

(1100/UB/MM)

(Q. 461)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, the hon. Minister's statement is really very satisfactory. It gives us new hopes. He said in his reply that we have entered into an agreement with USTDA with regard to modernisation of Indian National Airspace System and to prepare a roadmap for the development of our systems. That is very good. But will it be sufficient? That is my question.

It is a fact that the Indian aviation sector is showing extraordinary growth in the last few years and the report says that Indian airports are estimated to handle 100 million passengers including 60 million domestic passengers by 2020 and cargo handling also would be in the range of 3.4 million tonnes per annum. There is no doubt that we must give top priority to it. The hon. Minister's statement is a hint to that.

What I am saying is that when we give this kind of consideration, it is mainly on big or major airports in the country, but what about non-metro airports? Sir, I would like to ask the hon. Minister through you whether we will have any special emphasis on the overall development of non-metro airports in addition to major airports in the country. I want to know what exactly the position of the Government is.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I am in full agreement with the hon. Member who said that the Indian civil aviation sector is experiencing a dynamic growth. On that note, there is absolutely no doubt. With only 7 per cent penetration and approximately 17 per cent rate of growth, I think, we are beginning to see the beginning of a new era where, today, we are the third largest market in the civil aviation sector. I think, with the rate at which we are growing, we currently have 345 million passengers per annum. This could reach the figure of one billion which the hon. Member has mentioned. It could possibly be done – whether it is in 2020 or 2022, I am not a soothsayer but all I will say is that the growth trends point to that direction.

The specific question the hon. Member has asked is about the U.S. Trade and Development Agency. It is a technical assistance programme which the U.S. Government provides to the exporters of its goods and services and we have

been participating in this programme not only in the civil aviation sector since 2007 but also in the Smart Cities Project, in the energy sector and elsewhere.

Insofar as the non-metro airports that the hon. Member has referred to, I would like to submit that our overall thrust of the policy is that we try and privatise the airports as we have done in Delhi and Mumbai airports. The resources that we get, we then utilise them to develop airports in Tier-II and Tier-III cities. I would like to submit to the hon. Member through you, Sir, that we have in the recent past successfully pursued the UDAN Scheme and the UDAN Scheme has had three rounds of bidding, and if my memory serves me right, we have already operationalised something like 184 flights connecting regional points including in Tier-II and Tier-III cities.

We have undertaken the development of a non-metro airport as a pilot project in Lucknow for capacity enhancement, and I would like to share with the hon. Member that airport modernisation, filling the gaps in the civil aviation sector or learning through best practices followed elsewhere introducing air traffic flow management system, is an on-going process.

(1105/KSP/SJN)

We are always consulting with stakeholders including the consumers and passengers to pursue this.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I thank the Minister for the proper reply for my first question.

My second question is with regard to green field airports. With regard to green field airports, we have actually decided to have 100 per cent Foreign Direct Investment and we have announced PPP also. Similarly, Built, Operate and Transfer (BOT) mode is also there. But according to my information, – I am subject to correction – this has not developed up to our expectations even though we have made all these efforts. Development of green field airports has not materialised as we expected. What I would like to ask the Minister, through you, is whether we will have any exclusive programme for the development of green field airports and what exactly is the programme of action the Government wish to take in this regard.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the hon. Member has asked a specific question on green field airports. In cities where the existing airport either cannot or does not lend itself to expansion because of constraints of land or congested

habitation, obviously we look at green field prospects. I would like to submit to the hon. Member that Delhi Airport for instance, which has been in operation for many years, currently handles something like 70 million passengers as per current load. It could, perhaps, expand with the fourth runway to take in, maybe, up to 100 million passengers per annum. But that is where it would begin to face constraints. So, we are looking at a green field airport in Jewar in Uttar Pradesh which is nearby and I would also like to submit to the hon. Member that if you look at international airports, if you look at for instance the United Kingdom, Heathrow is the big airport, then there is Gatwick and then there is Stansted; all these three put together handle roughly 154 million passengers per annum.

So, green field airports are becoming necessary in our own country because many of the existing airports are situated in populated areas where there is no scope for expansion. I could give the hon. Member a list of the green field airports. I do not think he is requesting for that. He has some doubts as to whether we have been successful. I would say that we have been rather successful; even though I have no authorship, some of the green field airports to which I would like to draw the hon. Member's attention are Jewar in Uttar Pradesh, Mopa in Goa, Navi Mumbai etc. and we have tried to pursue this policy through a single window clearance. I think, things are moving very fast and I would, of course, welcome any suggestion that the hon. Member or others might have.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to ask a question pertaining to my own constituency Sriperumbudur. The much talked about Sriperumbudur Green Field Airport is not at all seeing any development; for the past 10-15 years it is lying idle. I would like to know as to who is at fault, whether the State Government, Central Government or the Civil Aviation Ministry itself. I would like to know this so that I can take up the matter or at least come and meet the Minister on this aspect.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, it would always be a pleasure to meet the hon. Member as I have been doing for the last 20 years in different jobs I have held. A green field airport, first and foremost, depends on adequate land being made available by the State Government. Let me say, that is the starting point. When the land is available and the State Government would obviously make the land available if it has made a determination on the viability, on the kind of traffic

etc. In the case of Sriperumbudur, as I have mentioned, I have just been confirmed that land is the issue. Now, once land is made available, I would be happy to put the resources of the Ministry of Civil Aviation including the Airports Authority of India to see how to pursue it and I would welcome a discussion with the hon. Member to which I will invite the representatives of the Airports Authority of India and other concerned agencies and, perhaps, the State Government if they wish to also participate in the meeting.

(11110/KN/KMR)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब से उन्होंने अर्बन और एविएशन, दोनों मिनिस्ट्रीज का कार्यभार संभाला है, तब से मेट्रो सिटीज के पोटेंशियल और कनेक्टिविटी के बारे में वे ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे पीपीपी मॉडल की जो बात आती है, सूरत एकमात्र शहर है, जिसके लिए हम लोगों ने तीन करोड़ रुपये डिपोजिट के साथ कनेक्टिविटी के लिए पहला प्रयत्न किया था। पीपीपी मॉडल पर एक्सटेंशन और एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन का क्या प्रावधान है? नरेन्द्र भाई ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत में नींव रखी थी, उसको आप कब तक एक्सटेंड कर पाएँगे? मैं आपके माध्यम से उसी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I can only endorse what the hon. Member is saying that the hon. Prime Minister had laid the foundation stone and that we will now pursue this. She wants to know the specific time by which we will complete it. I am not carrying those details with me because that is an airport-specific, a project-specific issue. But I will share those with the hon. Member.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, recently the Ministry of Civil Aviation has taken a decision to privatise three airports including Thiruvananthapuram, Ahmedabad and Lucknow. They have been handed over to Adani group for modernisation. This is like handing over assets built with Government money to private parties. A few years ago, there was a proposal to privatise Kolkata and Chennai airports also. This was withdrawn in the face of determined opposition by the workers and all concerned people in the country. The Minister has mentioned that they have been preparing a masterplan for developing a cost-effective way to add capacity to meet future traffic demand at Kolkata and Lucknow airports. I would like to ask the hon. Minister, if he would assure us that no further effort would be made to privatise the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata which has been modernised recently at a cost of

Rs.2,300 crore. I would like him to assure us that this is not being privatised as it will be totally against the interests of workers and the State.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I will confine myself to saying that the Government has taken a decision to privatise six airports. This was a decision taken in November of 2018. Out of these, we are proceeding with three of them. In respect of two others, I think we have resolved all the other issues. What further programme of privatisation will we undertake etc., ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): To whom have you handed over?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: There were bids invited for six airports and one bidder succeeded in all the six bids. In respect of three airports, we have taken a decision to hand them over to that bidder. ...(*Interruptions*) It is Adani Enterprises, yes. ...(*Interruptions*) If you look at the bid document, unlike the previous period when bids were confined to just one or two bidders and we received low bids, this one received nine bids and all of them were of international class. And I can tell you that they were extremely successful. ...(*Interruptions*) Sir, I would welcome a discussion on what was done to the civil aviation sector during an extended period of time when my friends were in office. I would be happy to have that discussion on what they did to that sector. ...(*Interruptions*) I would be happy to have that discussion in the House because we will then talk about civil aviation rights, we will then talk about ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): What about Kolkata?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनका जवाब मत दीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: As regards Kolkata, it is not my job to give assurances on hypothetical things. If we receive a demand that a particular airport needs to be privatised, we will look at the issue on merits. I am in no position to give private assurances to hon. Members. That is not a Minister's job.

(ends)

(1115/CS/SNT)

(प्रश्न 462 एवं 477)

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए पिछले बजट के मुकाबले इस बार के बजट में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इसका ब्यौरा क्या है और अगर बजट कम हुआ है, तो उसका कारण क्या है?

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : महोदय, माननीय सदस्य ने अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तीकरण और विकास के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार 130 करोड़ हिन्दुस्तानियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए मजबूती और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। समाज के सभी वर्ग, खास तौर से पिछड़े, कमजोर, वंचित तबके तक विकास की रोशनी पहुँच सके, वह विकास के सफर का हिस्सेदार, भागीदार बन सके, हमने इस दृष्टि से काम किया है। पिछले 5 सालों में हमने अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को, जो नोटिफाइड माइनोरिटीज हैं, इनमें जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, मुस्लिम और सिख समाज के लोग हैं, उनको हमने 3 करोड़ 18 लाख रुपये स्कॉलरशिप्स दी हैं। इनमें 50 परसेंट से ज्यादा लड़कियाँ हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर समाज के सभी वर्गों को मिले, डेवलपमेंट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हो, सशक्तीकरण बिना अपीजमेंट के हो, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि अगर आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें, तो जो लगातार ड्रॉप आउट रेट हो रहा था, वह घटा है। जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे, उसमें कमी आयी है, क्योंकि 3 करोड़ 18 लाख रुपये की स्कॉलरशिप्स डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में पहुँची है। बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी बेईमानी और लीकेज के यह कार्य हुआ है।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): महोदय, मेरा सवाल यह था कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में धनराशि बढ़ाई गई है या कम की गई है। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे और अगर इस बजट में वह धनराशि कम हुई है, तो उसका कारण भी बताया जाए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : पिछले बजट के मुकाबले 500 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं। एक चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि यह हमारा संकल्प है और हम शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक की बात नहीं करते हैं। समाज का वह तबका जो वंचित है, जो पिछड़ा हुआ है, जिस तक विकास की रोशनी पहुँचनी चाहिए, जिस तक विकास की रोशनी कुछ राजनैतिक कारणों से नहीं पहुँची है, उन तक विकास की रोशनी पहुँचे, उस विकास के सफर के हमसफर समाज के सभी हिस्से बनें, इसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 477 को भी इसी प्रश्न के साथ क्लब किया जाता है।

डॉ मनोज राजोरिया जी।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय, हमारे देश में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” का विश्वास व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्रालय ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक बालिकाओं के हित में काम किया है, मैंने उससे संबंधित प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री जी ने उसका काफी विस्तृत जवाब दिया है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि वे पूरे देश में अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए क्या-क्या विशेष योजनाएं चला रहे हैं, जिससे उन्हें यह अहसास हो कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित है और वे देश की उन्नति में अपना योगदान देंगी।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : महोदय, अल्पसंख्यक समाज की जो बच्चियाँ हैं, उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं जमीन पर आई हैं। इनके बारे में हमने अपने पहले स्कॉलरशिप से संबंधित प्रश्न में बताया है। उसके अतिरिक्त नई रेशनी योजना है, नया सवेरा योजना है, सीखो और कमाओ जैसी योजनाएं हैं, जो रोजगारपरक कार्यक्रम हैं। बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है, जो शुद्ध रूप से केवल लड़कियों के लिए की गई है। इसके साथ-साथ जो वे इलाके हैं, जिन इलाकों में अभी तक स्कूल नहीं बने हैं, कॉलेज नहीं बने हैं, पॉलिटेक्निक नहीं बने हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं बने हैं, उन तमाम इलाकों में शैक्षणिक ढाँचा बन सके, इसके लिए हमने इन 5 सालों में काम किया है।

(1120/RV/GM)

हमने इन पाँच सालों में इन क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास की दृष्टि से 25 डिग्री कॉलेजेज बनाए, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है। हमने 1151 इंटर कॉलेजेज बनाए। उस इलाके में हेल्थ सेन्टर नहीं था तो हमने वहां पर 821 हेल्थकेयर सेन्टर्स बनाए हैं। आँगनबाड़ी केन्द्र, जहां पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चियां काम करती हैं, हमने उसका निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, हमने लगभग बीस हजार से ज्यादा आई.टी.आई. का निर्माण किया है, 71 पॉलिटेक्निक्स बनाए हैं। उसमें 5 गर्ल्स होस्टल्स बनाए गए हैं। इसी तरह, हमने 411 वर्किंग विमेन होस्टल्स बनाए हैं। इस तरह से हमने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के काम किए हैं।

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): Hon. Speaker, Sir, the Ministry of Minority Affairs is giving merit-cum-means scholarship to the students who get admission to a college to pursue technical or professional courses like medical and engineering on the basis of a competitive examination. This process is being done through National Scholarship Portal and the amount of scholarship is directly being transferred to the students. For the year 2016-17, about 600 to 700 students of West Bengal were informed that their scholarships were granted and the amount had been transferred to their bank account. But the students have not got the scholarship amount till now. Will the Minister please tell us when

the students of West Bengal will get the scholarship amount for the year 2016-17?

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: माननीय सदस्या मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप्स की बात कर रही हैं। अब सीधे तौर पर, जैसा आपने कहा, हम डी.बी.टी. मोड में सीधे बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं। पहले इसमें बीच में बिचौलिए होते थे। उनके पास यह पैसा जाता था और जाने के बाद उन्हें मिलता था, नहीं मिलता था, इस तरह की बात थी। पर, अभी अगर किसी ने बैंक अकाउंट गलत दिया, कहीं पर कोई डुप्लीकेशन है तो ये सारी चीजें पोर्टल पर हैं। इसे राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर किया जाता है। यह राज्य सरकारों की जानकारी में होता है। राज्य सरकारें उसे वेरिफाई करती हैं। उसके आधार पर उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं।

अगर आपकी जानकारी में कोई स्पेसिफिक घटना है तो उसके बारे में आप मुझे बताएं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, माननीय मंत्री जी को शायद यह मालूम है कि उन्हें जिस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, वह माइनोंरिटीज पर ही फोकस करने के लिए है। अभी 6 सेन्ट्रली नोटिफाइड माइनोंरिटीज हैं, जिनमें जैन समुदाय पढ़ने-लिखने में सबसे आगे है और सबसे पीछे मुसलमान हैं।

सर, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान मेरे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में रहते हैं। वर्ष 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद मुर्शिदाबाद में 15-पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसका आपने जिक्र भी किया है, वह शुरू हुआ। हमारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैम्पस बनाया गया। उस कैम्पस का अभी हाल देखिए। जब यह कैम्पस शुरू हुआ था तो पिछली सरकार में, मतलब आपकी पार्टी की सरकार नहीं, आपसे पहले की सरकार के कार्यकाल में 107 करोड़ रुपये हमारे मुर्शिदाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैम्पस के लिए दिए गए थे। इसके साथ-साथ उन्हें 280 एकड़ जमीन भी सौंपी गई थी। उसमें अभी तीन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एम.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.एड., लेकिन कोई जनरल कोर्स नहीं है। पिछले कई सालों से आप चवन्नी नहीं दे रहे हैं। उनके 740 करोड़ रुपये बाकी हैं, पर आप उन्हें चवन्नी नहीं देते हैं और आप कहते हैं - 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।' आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। गोल-मोल जवाब देने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपके बजट में कंजूसी का सबूत है। हमारे बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैम्पस है, इस कैम्पस को पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? वहां जनरल कोर्सेज क्यों नहीं चलाए जाते हैं?... (व्यवधान)

केरल और दूसरे राज्यों में भी इसके कैम्पस हैं, जैसे मलप्पुरम है, किशनगंज है। इस सदन में हम चाहते हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में खुल्लम-खुल्ला बताएं कि क्या आप 'सबका साथ, सबका विकास' करेंगे या नहीं करेंगे?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यहां इस सदन में जो होता है, उसे इस सदन के बाहर भी देश और दुनिया देखती है।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम इन्होंने पहली बार यह कहा कि 6 नोटिफाइड माइनोंरिटीज़ हैं। अभी तक इन्होंने माइनोंरिटीज़ मिनिस्ट्री को मुस्लिम मिनिस्ट्री बना कर रखा हुआ था।

(1125/MY/RSG)

अभी तक ये लोग कभी नहीं कहते थे। हम लोगों ने बार-बार कहना शुरू किया कि यह मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि माइनोंरिटी मिनिस्ट्री है। माइनोंरिटी का मतलब है कि 6 नोटिफाइड माइनोंरिटीज़ हैं। उसमें आपने जो जैन धर्म के बारे में कहा, वह भी उसमें है। जहां तक आपका प्रश्न है, आपने जो बात कही कि मूल प्रश्न से उसका संबंध नहीं है। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की। ...(व्यवधान) मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं है, फिर भी मैं आपको इस बारे में बताता हूँ और आपने खुद उसको दोहराया है कि यह पिछली सरकारों की गलतियां हैं। उन पिछली सरकारों की गलतियों का बोझ हम उठाकर चल रहे हैं। उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं, उनको हम साफ कर रहे हैं। ...(व्यवधान) उनका उद्देश्य सशक्तिकरण नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य तुष्टिकरण था। ...(व्यवधान) उन्होंने जो काम किया था, वह सशक्तिकरण के लिए नहीं किया था, बल्कि तुष्टिकरण के लिए किया था। ...(व्यवधान) अगर सशक्तिकरण के लिए किया होता, तो अब तक वहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई होती। ...(व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नई सदस्य हैं। पहले आप प्रश्न संख्या बोल दीजिए।
...(व्यवधान)

(प्रश्न 463, 466 और 471)

श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर): महोदय, क्या खेल और संरचना उपलब्ध कराने हेतु राज्य और केन्द्र सरकार कमेटी बनाने पर विचार करेगी, ताकि एसटीसी के संचालन में जो बाधाएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके? वहां पर बुनियादी सुविधाएं जैसे कोच की नियुक्ति और रखरखाव आदि की व्यवस्था की जाए।

श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, हम लोग राज्य सरकारों को मदद करते हैं। यह माननीय सदस्य ने सही दोहराया है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ मदद करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह प्रशिक्षण की होती है। उसके लिए कोच की व्यवस्था करने के साथ-साथ अन्य जरूरी चीजें भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से या 'खेलो इंडिया' के तहत दी जाती हैं। उसमें राज्य सरकारों के तालमेल के बिना काम नहीं हो सकता है। जैसा माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के संबंध में सवाल पूछा था। उसमें राज्य सरकार का समर्थन नहीं मिला है, इसलिए इलाहाबाद में जो स्पोर्ट्स सेन्टर खुलना था, वह चालू नहीं हो पाया। जब राज्य सरकार साथ देगी, तो वह काम हो सकता है।

श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको निखारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बने स्टेडियम में खेल गतिविधियों को और तेजी से संचालित किया जाए।

श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिसको हम रॉ टैलेन्ट्स कहते हैं, वे गांवों में बहुत ज्यादा छुपी होती हैं। छोटी उम्र में ही हम लोग टैलेन्ट्स की पहचान करें कि कौन किस खेल के लिए लायक है, फिर उसका प्रशिक्षण करें। अभी 'खेलो इंडिया' के तहत हम देश भर के अलग-अलग प्रशिक्षण केन्द्रों में लगभग 14,000 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों से ही ज्यादा लोगों को ला रहे हैं। शहरों में तो पहले से ही इसकी व्यवस्था है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस कर रहे हैं और वहीं के लोग हमें आगे चलकर मेडल्स भी दिलाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 466 को क्लब कर दिया गया है।

श्रीमती किरण खेर जी।

...(व्यवधान)

श्रीमती केसरी देवी पटेल (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद स्पोर्ट्स सेन्टर में कितने बच्चों को 'खेलो इंडिया' स्कीम के तहत ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मूल प्रश्न पूछते हैं और एक सप्लीमेंट्री पूछते हैं।

श्रीमती किरण खेर जी।

...(व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 466

श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, इसे क्लब कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: हाँ, इसे क्लब कर दिया गया है, लेकिन माननीय सदस्य ने ठीक पूछा है। आप केवल सदन के पटल पर रखने के लिए बोलें।

SHRIMATI KIRRON ANUPAM KHER (CHANDIGARH): Thank you, Speaker Sir. मैं आपके माध्यम से अपने यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, पहले उन्होंने जो रिप्लाय दिया, I thank him for that, on the issue of enhancing the performance of Indian sportspersons. However, there are several cases, जहाँ पर गरीब लोग होते हैं, मुझसे बहुत से ऐसे लोग मिले हैं, जो गांव से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, उनमें भरपूर टैलेन्ट होता है। उन्हें वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह के लिए जाना पड़ता है। उनका एक ही रोना होता है कि उनके पास बेसिक एक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। People have come to me and said that they did not have shoes but they were going for world championships.

(1130/RK/CP)

They do not have money to buy air tickets. So, I would like to know from the hon. Minister, whether the Government has funds or it is doing something so that the aspiring persons can reach a place from where they can get funding for this.

श्री किरन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, पहले हमें यह खबर काफी मिलती थी कि बहुत से अच्छे खिलाड़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकते हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। खास कर जब विदेशों में खेल प्रतियोगिता होती है, तो उनके जाने-आने की एयर फ्लाइट की टिकट का खर्च और रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती है। नया मंत्री पद संभालने के बाद हमने फिर रिव्यू मीटिंग ली। कोई भी खेल, जो ओलम्पिक्स में खेला जाता है या हमारे खेल मंत्रालय में जिसकी रिकग्निशन है, उसकी पूरी की पूरी फंडिंग हम ही करते हैं और हम फेडरेशन्स को देते हैं। फेडरेशन्स अपने आप से और फंड्स जेनरेट कर सकते हैं, तो वह अच्छी बात है। हम किसी खिलाड़ी को खाली नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि जो हमने रिकग्नाइज्ड किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई प्रतियोगिता चल रही है, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करके उसकी भी मदद करते हैं। खासकर जो गरीब है, लेकिन वह बहुत अच्छा खेल खेलता है, उसकी हम 100 प्रतिशत मदद करेंगे, यह मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ।

SHRIMATI KIRRON ANUPAM KHER (CHANDIGARH): The Government may also tell us कि प्रक्रिया कैसी है? अगर हमारे पास कोई आए, तो हम किसको भेजें, किसको लिखें? It will be helpful to us.

Keeping in line with the Government's National Sports Policy to promote excellence in sports, in the last five years, in my own constituency of Chandigarh, we have built six new stadiums and sports complexes of international standards. They have been made functional but unfortunately, we do not have enough coaches. और दूसरे पर्सनल भी नहीं हैं। नंबर ऑफ सैक्शंड जूनियर कोचेज सिर्फ 20 हैं। यह

हमारे लिए पूरे नहीं पड़ते हैं। The administration is forced to outsource coaches for the young and talented sportsmen in the city. The city has given many international sportspersons. Unfortunately, in India, I find that sportspersons do very well in individual sports. क्रिकेट को छोड़कर बाकी चीजों में, एथलेटिक्स वगैरह में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोचिंग की बहुत कमी है। क्या थोड़े और कोचिंग आप सैंक्शन करेंगे, ताकि उन वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स को शुरू कर सकें?

SHRI KIREN RIJIJU: Hon. Speaker, Sir, it is good to hear the hon. Member Shrimati Kirron Kher, who is a great sports lover.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): Not only sports lover, she herself was a national level player.

SHRI KIREN RIJIJU: She herself was a player....(व्यवधान) वे खिलाड़ी थीं। मैंने चंडीगढ़ में विजिट भी की है। जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, तो मैंने चंडीगढ़ में काफी प्रतिभाओं को देखा है। जो सिलेक्शन्स होते हैं, उनमें हम किसी खिलाड़ी को डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। खेल संघ होते हैं। जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं, वे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए व्यवस्था करना, पैसे की मदद करना, वह अलग चीज है, लेकिन सिलेक्शन हम नहीं करते हैं। हमें कोई अगर डायरेक्ट एप्रोच करेंगे, तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ... (व्यवधान) मैं वही बता रहा हूँ। उसको बाहर भेजने की बात है, तो खेल संघ के माध्यम से हम उनकी मदद करते हैं।

अध्यक्ष जी, मैंने ट्रेनिंग के बारे में शुरू में कहा कि ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हमारे भारत में ट्रेनिंग की बहुत कमी रही है। एक बहुत बड़े फैसले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले एक लाख या दो लाख रुपये से ज्यादा हम कोचिंग को नहीं देते थे। आजकल दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच को लाने के लिए जो सारा कैप था, रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। अब 10-15 लाख रुपये प्रति माह कोई कोच चार्ज करते हैं, तो उसको देकर हम अपने खिलाड़ियों के लिए फॉरेन से कोच भी ला रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस प्रश्न के साथ 471 भी क्लब कर रहे हैं।

श्री मारगनी भरता

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Thank you, Speaker, Sir, for giving me the opportunity. We welcome and appreciate the Khelo India Scheme. How much fund has been allotted towards this in this Budget and will it be enough? What is the roadmap for 2020 Tokyo Olympics? How many medals do you expect India to win and can India be in the top ten positions in this Olympics?

(1135/PS/NK)

SHRI KIREN RIJIJU: Hon. Speaker, Sir, no matter how much fund allocation has been done, it will never be enough because the need is unlimited. ...*(Interruptions)* Do not disturb. He has put a very pointed question. He has asked as to how much money has been provided. That is his question. ...*(Interruptions)* Please do not interfere.

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर दूँ। माननीय मंत्री जी, कभी भी कोई माननीय सदस्य बैठे-बैठे सवाल पूछे तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जवाब न दें।

श्री किरन रिजीजू: महोदय, खेलो इंडिया के तहत हमने काफी फंडिंग की है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, उस राज्य को भी मदद मिली है। यदि उनको जानकारी चाहिए तो मैं अलग से भेज सकता हूँ। जहाँ तक ओलम्पिक का सवाल है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि हम कितने मेडल्स जीत कर आएंगे। इसके लिए हम लोगों को पूर्ण रूप से तैयारी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने उस दिन हमें स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स पर चर्चा करने का मौका दिए, उसमें मैंने विस्तार से बताया भी था कि अगला टोकियो ओलम्पिक 2020 में है। अभी 365 दिन बाकी हैं। कल रात से हमने काउंट डाउन शुरू किया है, हम एक अच्छी उम्मीद लेकर जाएंगे। This time, India is going to send a good number of contingent for Tokyo 2020 Olympics.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): In the last Olympics, in the year 2016, our rank was at 66th place. When our country is developing and when our hon. Prime Minister is sitting on the global pedestal, is it not our pride to be in the top ten position? Is there any roadmap for this Olympics? Can India be in the top ten position or not? Do you have any roadmap for this? Kindly tell us.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, after Rio 2016 Olympics, we did not really perform well. We got only two medals. Thereafter, the hon. Prime Minister constituted a task force. That task force has already recommended and given their suggestions to the Ministry. Now, we are in the process of implementing those very effective suggestions which we have received and definitely, we are going to promote sports culture in the country. We will definitely perform better in the Olympics also.

SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY (NELLORE): Hon. Speaker, Sir, I thank you for allowing me to put a supplementary question.

Sir, 'Khelo India' is really a good concept introduced by the Government of India. India is a big country. I have my apprehensions whether this scheme is percolating to every nook and corner of the country.

Sir, there is a sports complex at Amancherla Village which is 10 kms away from my Parliamentary Constituency, Nellore. In fact, this was sanctioned three years back, but the work is still going on at a very slow pace for want of funds.

May I know from the hon. Minister whether he would allocate adequate funds for this project and instruct concerned officials to expedite the work? Thank you, Sir.

SHRI KIREN RIJJU: Sir, the total budget allocated for 'Khelo India' for this year, is Rs. 500 crore. Besides this, there are other programmes which we are doing along with various sports bodies and the State Governments.

The specific question which the hon. Member has asked is about Amancherla in Nellore. I will get back to the hon. Member and will give the detailed status about the project.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि युवा खेल-कूद मंत्रालय पर अनुदान की मांगों की चर्चा के बाद भी सारा सदन, देश में खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ें, 'खेलो इंडिया' के प्रति माननीय सदस्यों की जिस तरह से सदन में प्रसन्नता देख रहा हूँ, निश्चित रूप से यह उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। मेरे पास बहुत लंबी सूची है। माननीय सदस्य शार्ट में अपना क्वेश्चन पूछ लें।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): अध्यक्ष महोदय, हाथ उठा-उठा कर दर्द होने लगता है, प्लीज अपोजिशन के बारे में सोचिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य को कभी मैंने हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपका नाम हाथ खड़ा करने के बाद ही लिख लिया था।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): अध्यक्ष महोदय, बीरभूम में ट्राइबल बच्चे हैं, जहां लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारी जगहों पर है, उन्हें कोचिंग और ट्रेनिंग देनी है, आप इतनी बार बोल रहे हैं, लेकिन वे डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल पर नहीं आ पा रही हैं।

(1140/SK/SNB)

इंडीविजुअली नहीं, पूरी टीम की कोचिंग की जाए, ग्रूमिंग की जाए। माननीय मंत्री जी आप क्या सोचते हैं कि कैसे ट्राइबल लड़कियां बाहर आएँ और नेशनल लेवल तक खेलें?

श्री किरन रिज्जू: माननीय अध्यक्ष जी, प्राइमेरली स्पोर्ट्स राज्य के विषय में है। राज्य सरकार कुछ भी अच्छा काम करेगी तो हम सहयोग देंगे। माननीय सदस्य ने बीरभूम के बारे में जिक्र किया है, अगर आपको लगता है कि वहां टैलेंट है और उसे प्रशिक्षण मिलना चाहिए तो मैं जरूर आपकी बात नेशनल फुटबाल फेडरेशन तक पहुंचाऊंगा। ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन का दायित्व है कि जहां टैलेंट है, वहां आइडेंटिफाई करे। हम सीधे जाकर टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आपने सदन में बात उठाई है, मैं जरूर खेल संघ को बताऊंगा और राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त करूंगा कि राज्य सरकार ने इस मामले में क्या किया है।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न काल में अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी का ध्यान बागपत की व्यथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बागपत खेलों की निर्माण भूमि रही है। बागपत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। शूटिंग क्षेत्र में पूरे देश के 50 प्रतिशत बच्चे बागपत से आते हैं। यहां साई का सेंटर है। यहां पहले दो कोच थे, पिछले पांच सालों से केवल एक ही कोच रह गया है और पिछले तीन सालों में एक का भी आधा ही रह गया है, क्योंकि तीन दिन हमारे यहां रहते हैं और तीन दिन दूसरे जिले में रहते हैं।

यहां पहले 48 बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर था और अब इसे घटाकर 20 कर दिया गया है। पिछले 20 सालों से शूटिंग के बच्चों को भारत सरकार से 600 रुपये प्रति महीना सहायता मिलती थी। क्या इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहां के लिए कोच कब मिलेंगे?

श्री किरन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बागपत क्षेत्र के बारे में जिक्र किया है। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां शूटिंग का जिक्र किया गया है, विश्व में भारत पर्टिकुलर शूटिंग में महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, उसमें बहुत भारतीय मैडल्स जीतकर लाए हैं। हमारी प्राथमिकता है क्योंकि भविष्य में ओलिम्पिक्स में ज्यादा से ज्यादा मैडल्स शूटिंग में आने वाले हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्य से इस सेंटर के बारे में अलग से बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: आप सब माननीय सदस्यों को शूटिंग की ट्रेनिंग भी दें ताकि निशाना सही जगह बैठे।

श्री विनसेंट एच. पाला जी।

SHRI VINCENT H PALA (SHILLONG): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to ask a supplementary question.

The Sports Authority of India has created a huge sports infrastructure all over India. One of them is in the North-Eastern region which is in the North-East Hills University. The sports infrastructure at the North-East Hills University is not a property of the State Government. It is a property of the Central Government. It has been there for the last five to six years but its totally unattended and is not being used properly. I have personally visited the place twice.

Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to complete the project and start the training process in a proper manner. The climate of the place is very good for training. Will the Government complete the project and pay some personal attention to it?

SHRI KIREN RIJIJU: Hon. Speaker, Sir, on the issue of the Sports Centre in the North-Eastern Hill University in Shillong, I would like to submit that I am not

having the details of the status of the centre. I have not visited there yet. But I am planning to visit the place right after the Budget Session of Parliament. Since the State of Meghalaya is going to host the 2022 National Games, all the sporting facilities must be of international standards. Definitely I will look into the matter and try to resolve the issues raised by the hon. Member.

(ends)

(Q. 464)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Hon. Speaker, Sir, you are very well aware of the plight of the State of Andhra Pradesh post-bifurcation. Our State is suffering owing to lack of industrial growth in the last five years. There is severe unemployment problem. According a special category status to the State of Andhra Pradesh promised in the Parliament by the then hon. Prime Minister and consequently passed by the Union Cabinet is yet to be fulfilled.

Keeping all these facts in view, will the Ministry of MSME provide special incentives to the State of Andhra Pradesh by exempting taxes and providing subsidies for the MSMEs that are being set up in the State to promote industrial growth and thereby address the issue of unemployment in the State?

(1145/MK/RU)

Also, the State of Andhra Pradesh has submitted 23 proposals to the Government of India for cluster development under the Micro, Small and medium Enterprise Cluster Development Programme. When will the Government of India issue approval for these proposals which are intended for the development of MSMEs in Andhra Pradesh?

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, कलस्टर डेवलपमेंट के बारे में भारत सरकार की यह नीति है कि हम इसको प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल ही सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कलस्टर को क्लियर करने के लिए मीटिंग हुई है। बीते तीन महीने में जो काम साल भर में नहीं हुआ था, उतना काम हमारी मिनिस्ट्री ने कलस्टर को मान्यता देने के लिए किया है। हम कलस्टर डेवलपमेंट के बारे में और एक बात सोच रहे हैं। पहले इसमें काफी रिस्ट्रिक्शन्स थीं। चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन प्रोफिट मेकिंग आर्गेनाइजेशन वगैरह के प्रावधान थे। अब कलस्टर डेवलपमेंट में वहां की स्थानिक इंडस्ट्री अगर अपना कोई नया आइडिया देकर बात करती है तो हम उसके बारे में भी विचार करेंगे और उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे।

जहां कपास का उत्पादन होता है, हमने कॉटन कलस्टर में सोलर से वस्त्र तैयार करने की अच्छी स्कीम बनाई है। काफी जगहों पर इसको अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें एक्सपोर्ट और डिजाइनिंग के काम भी हो रहे हैं और 29 तारीख को मुम्बई में हमारे एक्सपोर्ट के काम करने वाले लोगों के साथ मीटिंग भी आयोजित हुई है।

जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, विशाखापट्टनम में मेडिकल डिवाइसेज का अच्छा कलस्टर है। आपको पता होगा कि हमारे देश में पचास हजार करोड़ रुपये के मेडिकल डिवाइसेज इम्पोर्ट होते हैं। यह कलस्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके कारण हमारा इम्पोर्ट भी बचेगा। जैसे आज एमआरआई की कीमत साढ़े चार करोड़ रुपये है, वह एमआरआई हमारे भारतीय वैज्ञानिक यहां केवल 98 लाख रुपये में बना सकेंगे। स्टैन, घुटने आदि से लेकर जितने भी अलग-अलग प्रकार के

जो डिवाइसेज हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको मेन मानकर एक प्रपोजल आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजा है कि यह कलस्टर मेन होगा। इसके साथ जुड़कर अन्य राज्यों में भी करीब 5 से 6 कलस्टर्स बनाने की योजना है जिससे आंध्र प्रदेश का जो कलस्टर है, उसको और बिजनेस मिलेगा, लेबोरेट्रीज को काम मिलेगा। अभी वह प्रोफिट कमा रही है और राज्य सरकार को दे रही है। हमने इसका बड़ा एक्सपैन्शन करने के लिए मुख्य मंत्री जी को लिखा है।

जहां तक आंध्र प्रदेश की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, देश में जो भी नीति बनती है वह पूरे देश के लिए एक होती है। एक राज्य के लिए कोई विशेष प्रकार की योजना बनाना, कन्शेसन या जीएसटी देना, आज के समय में संभव नहीं है। आपको पता होगा कि जीएसटी की एक काउंसिल बनी हुई है और यदि जीएसटी काउंसिल में भी कोई कन्शेसन देना है तो देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें शामिल हैं। इसलिए एक स्टेट के लिए देना इस समय संभव भी नहीं है और कठिन भी है। लेकिन, एक बात जरूर है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जितने भी नए कलस्टर्स होंगे, नई योजनाएं होंगी और जो भी इस प्रकार के नए प्रपोजल आएंगे, उनको हम निश्चित रूप से प्रधानता देंगे। आंध्र प्रदेश में रोजगार का निर्माण हो, विकास हो, इसके लिए हम पूरी मदद करेंगे। वर्तमान में, हमारी जितनी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पास आंध्र प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल्स, हम उनको पॉजिटिव एप्रोच में स्वीकारेंगे और एम्प्लायमेंट और ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए हम आंध्र प्रदेश की पूरी मदद करेंगे।

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, Andhra Pradesh needs the helping hand of the Central Government.

Hon. Prime Minister has announced two per cent interest subvention for MSMEs. I would like to request the hon. Minister to consider the same Scheme to be applied for MSMEs which have taken credit under Andhra Pradesh State Finance Corporation also. If this Scheme is made applicable to even the companies which have taken credit under Andhra Pradesh State Finance Corporation, it would cover a large number of MSMEs which would at least provide more employment and industrial growth as well.

(1150/NKL/YSH)

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, दो परसेंट इन्टरस्ट देने की योजना है। एमएसएमई को इसका फायदा भी मिल रहा है और बैंकों के द्वारा इन्टरस्ट दिया भी जा रहा है, लेकिन आपके साथ आपकी स्टेट की फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। आपके प्रश्न का अर्थ मैं समझ रहा हूं कि शायद उसको यह फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जैसा आप कह रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी डिटेल् में जाऊंगा और वेरीफाई करूंगा। अगर ऐसा हो सकता है, तो सरकार उसके लिए जरूर सहूलियत देगी।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Thank you, Respected Speaker Sir, for giving me this opportunity.

अध्यक्ष जी, मेरा एक ही प्रश्न है। May I know, whether the hon. Prime Minister, while reviewing the Scheme, had directed the Finance Ministry to increase the disbursement of MSME loan amount from Rs. 1 crore to Rs. 3 to 5 crore, keeping in view the rising unemployment rate which is a 45-year high, a never before situation? Has the Government taken any steps to raise the MSME loans up to Rs. 3 to 5 crore without any collateral from the present financial year itself; and if so, the details thereof?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, माननीय प्रधान मंत्री जी ने एमएसएमई की तरफ विशेष ध्यान दिया है। For this, 12 key initiatives were announced on 02.11.2018 to expedite the growth of MSME Sector:

(i) Loans up to Rs. 1 crore through 59 minutes online portal;

इसमें करीब 36 हजार लोन्स सैंक्शन हुए हैं और आज मैंने इसकी इंकवायरी भी की है। ऐसी सूचना दी गई है कि इसका डिसबर्समेंट भी तुरन्त होना चाहिए। शुरुआत में इसमें थोड़ी देरी हो रही थी, लेकिन अब तुरन्त देने के बारे में कहा गया है।

(ii) Interest subvention of 2 per cent for all GST registered MSMEs, on fresh or incremental loans;

(iii) All companies with a turnover of more than Rs. 500 crore to be mandatorily on TReDS platform to enable entrepreneurs to access credit from banks, based on their upcoming receivables, thus, solving the problems of cash cycle;

(iv) All Central Public Sector Undertakings to achieve an overall procurement of a minimum 25 per cent from MSMEs;

इसमें भी 40 हजार करोड़ का गवर्नमेंट अण्डरटैकिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर में एमएसएमई को काम मिला है।

(v) Out of 25 per cent procurement, mandated from MSMEs, 3 per cent reserved for women entrepreneurs;

(vi) All CPSUs to compulsorily procure through Government e-Marketplace (GeM) Portal;

मुझे खुशी हो रही है, जैसे चाइना की ग्रोथ में अलीबाबा नाम से एक पोर्टल था, उसका टर्न ऑवर इतना बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अमेरिका में अमेजॉन है, तो हमने भी तय किया है कि एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए हम एक पोर्टल बनाएंगे, उसका टेन्टेटिव नाम

भी निश्चित किया गया है। जेम के नाम का जो हमारा पोर्टल है, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई है और माननीय पीयूष गोयल जी से भी मेरी इस बारे में चर्चा हुई है। वे हमें गाइड कर रहे हैं और एमएसएमई के लिए पोर्टल खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि महीने भर के अन्दर इसकी लांचिंग भी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यह पोर्टल शुरू हो जाएगा तो इसमें दो साल में करीब 10 लाख करोड़ का धंधा होगा। इसको वर्ल्ड का एक्सिस मिल जाएगा तो एमएसएमई को बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा।

(vii) 20 Technology Centres and 100 extensions to be established in the country;

(viii) Government of India to bear 70 per cent of the cost for establishing Pharma clusters;

यह भी कर रहे हैं। जैसे मैंने मेडिकल डिवाइसेज के लिए बोला है। इसमें यह सोचा गया है कि अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट सब्सिडीयूड इकोनॉमी की तरफ जाए ताकि हमारे क्लस्टर इम्पोर्ट को कम करें, इसकी भी कोशिश हो रही है।

(ix) Returns under 8 labour laws and 10 Union Regulations to be filed once a year;

(x) Establishments to be visited by an Inspector will be decided through a computerised random allotment;

(xi) Single consent under air and water pollution laws. Returns to be accepted through self-certification, and only 10 per cent MSME units to be inspected; and

(xii) For minor violations under the Companies Act, entrepreneurs no longer have to approach court but can correct them through simple procedures.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मार्च 2017 में जो अमाउंट बैंको ने एमएसएमई के लिए दिया था, वह 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये था। मार्च 2018 में यह करीब 10 लाख 70 हजार करोड़ रुपये था।

(1155/RPS/KSP)

बाद में यह 11 लाख 49 हजार करोड़ रुपये हुई और मार्च, 2019 तक, प्रोविजनली अभी तक इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यह 14 लाख 97 हजार 687 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मतलब है कि एमएसएमई को मैक्सिमम बैंक्स फाइनेंस कर रही हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि किसी भी देश की ग्रोथ रेट में, इम्प्लायमेंट पोर्टेंशियल बढ़ाने में एमएसएमई का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। खादी ग्रामोद्योग और विलेज कमीशन का भी आगे एक प्रश्न है। हम लोग कोशिश करें कि रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में भी नई-नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके कैसे रोजगार निर्माण हो, यह भी सूचना दी गई कि सरकार के स्तर पर जितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए इनोवेशन्स हैं, उनको भी

इसके साथ एड करके, हम एमएसएमई को प्रोत्साहित करेंगे, रोजगार निर्माण करने की भी कोशिश करेंगे और ग्रोथ रेट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Speaker, Sir, I represent a constituency called Virudhunagar. Virudhunagar is one of the aspirational districts and MSME sector is the backbone of the district where Sivakasi fireworks and other industries are there. The hon. Minister has given a detailed reply to the question. I would like to say that the demonetisation has broken the backbone of the industries like fireworks, matchbox and printing. When the cluster approach programme was introduced by Dr. Manmohan Singh, there was a cluster programme on matchbox industry in my constituency. I would like to ask the innovative Minister whether he will consider a proposal for the fireworks and printing industry to have a cluster model so that they can be protected from Chinese imports on fireworks and other printing facilities.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Mr. Speaker, Sir, the Government's policy is very clear. We are very keenly interested to give the highest priority for the development of MSME sector, particularly in backward areas. As regards any new technology, new innovation and new research, which is going to create more market, more employment potential or which is going to add to the growth rate of the country, definitely we are not restricting it anywhere and there is no limitation. Any new idea, any new research, any new technology which you have, you can take the proposal to us, we are ready to consider, we will support it. Ultimately it is import substitute, cost effective and, at the same time, it is going to create more employment potential and contribute to the growth rate of the country. Already, particularly for village industry, our turn over is very huge. Now, our highest priority is for agriculture, village and tribal sector where we want to create more employment potential. So, anywhere any technology related with forest material for making biodiesel, now there is a possibility in India that the non-edible oilseed is available particularly in tribal areas. I have already given instruction to my Ministry to create such an industry where raw material is available there. I would like to inform that particularly the tribal areas like your district where a lot of materials are available, if you want to use any new technology to expand industry, we will support it.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I had asked a question regarding the fireworks industry.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Regarding fireworks industry, I do not have the rules and regulations with me now. But as far as ecology and environment are concerned, there are many reservations about the fireworks industry. After checking all these things, we have to find out a technology which will not create more air pollution. So, definitely, while considering your demand, we will go into the details, verify everything and on the basis of that, we will try to resolve your problem.

(ends)

(Q. 465)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Hon. Speaker, Sir, I would like to thank the Minister for giving a very detailed reply. But I would like to bring to the notice of the House and the hon. Minister that under the *Pradhan Mantri Awas Yojana* (Urban), the selection of beneficiaries takes place at the Municipality or the Municipal Corporation level. What we have seen in my Nandurbar Municipality is that the selection process is not done transparently. The forms are called in from all the beneficiaries and only some forms are selected, others are rejected. So, I would like to ask the hon. Minister, through you, as to what steps the Government will take to bring in transparency in the process of selection of beneficiaries.

(1200/SRG/RAJ)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana is being implemented within a framework of cooperative federalism. We receive a demand from the States and this is filtered through a State level Selection and Monitoring Committee.

I would like to inform the hon. Member that as against the target of one crore homes to be built initially, the revised target is 1.12 crore and we have already sanctioned 84 lakh homes. So, the scheme is proceeding very well. If there are any issues at the local level, that is at the municipality or the urban local bodies level, she should feel free to bring those issues to my attention and I would be very happy to take these up with the State Government through the recognized machinery. The scheme is operating very well and we will have it completed by 2020, well before 2022, which is the target. But please do bring those issues to my attention.

The selection of the beneficiaries ultimately is the job of the urban local bodies, then of the State Government and then of the Central Government.

(ends)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 hours

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे दो विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर 2, श्री किरन रिजीजू।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Administrative Report (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2017-2018.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
 - (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Minorities Development and Finance Corporation and the Ministry of Minority Affairs for the year 2019-2020.
- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dope Testing Laboratory, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Annual Budget (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2019-2020.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the North Eastern Electric Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.

(ii) Memorandum of Understanding between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2019-2020.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 published in Notification No.L-1/236/2018/CERC in Gazette of India dated 3rd May, 2019.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2019 published in Notification No.L-1/153/2019/CERC in Gazette of India dated 21st May, 2019.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff)(Fourth Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No.L-2/2(2)/2011-Estt./CERC in Gazette of India dated 14th June, 2019.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Commission of Railway Safety, Lucknow, for the year 2017-2018.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Commission of Railway Safety, Lucknow, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-
 - (i) S.O.1236(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2019, making modifications in Unified Building Bye-Laws for Delhi 2016.
 - (ii) S.O.358(E) published in Gazette of India dated 21st January, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.3173(E) dated 29th June, 2018.
 - (iii) S.O.359(E) published in Gazette of India dated 21st January, 2019, regarding fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021.
 - (iv) S.O.1237(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O.3027(E) dated 21st June, 2018.
 - (v) S.O.372(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2019, regarding fixation of use conversion charges for Mixed Use/commercial Use of premises and shop-cum residence plots/complexes later designated as LSCs.
 - (vi) S.O.373(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2019, regarding corrigendum of fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing,

Mixed Use/Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and hotel parking) arising out of MPD 2021.

- (vii) The Ministry of Housing and Urban Affairs, Delhi Development Authority, Chief Engineer (Civil) and Chief Engineer (Electrical) Recruitment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.319(E) in Gazette of India dated 22nd April, 2019.
- (viii) The Delhi Development Authority (Repeal of recruitment regulations for the post of Naib Tehsildar) Regulations, 2019 published in Notification No. K-11011/34/2018-DDII in Gazette of India dated 30th May, 2019.
- (ix) The Delhi Development Authority (Naib Tehsildar) Recruitment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.392(E) in Gazette of India dated 30th May, 2019.
- (x) The Delhi Development Authority (Survey Cadre) Recruitment (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.128(E) in Gazette of India dated 20th February, 2019.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the
Table:

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Shipping Corporation of India Limited and the Ministry of Shipping for the year 2019-2020.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008:-

(i) Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2018 published in Gazette of India dated 19th July, 2018, regarding Ordinances governing administrative and academic matters of the Indian Maritime University.

(ii) Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2018/2 published in Gazette of India dated 12th September, 2018, regarding Ordinances governing administrative and academic matters of the Indian Maritime University.

(iii) Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2018/3 published in Gazette of India dated 13th February, 2019, regarding Ordinances governing administrative and academic matters of the Indian Maritime University.

(3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) & (ii) of (2) above.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

(i) G.S.R.473(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2019 approving the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(ii) G.S.R.228(E) published in Gazette of India dated 19th March, 2019 approving the New Mangalore Port Trust (Licensing of stevedoring and shore handling) Regulations, 2019.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): Sir, on behalf of General (Retd.) V.K. Singh, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Highways Authority of India, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Highways Authority of India, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956
 - (i) S.O.2224(E) published in Gazette of India dated the 28th June, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.78 (New NH 43) (Katni-Umariya Section) in the State of Madhya Pradesh on EPC mode (Package-1).
 - (ii) S.O.2225(E) published in Gazette of India dated the 5th July, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.12A (New NH 30) (Mandla-Chilpi Section) in the State of Madhya Pradesh on EPC mode under NHDP-IV(Package-3).
 - (iii) S.O.2381(E) published in Gazette of India dated the 5th July, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.49 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram Section) in the State of Tamil Nadu under NHDP Ph-III on EPC mode.
 - (iv) S.O.2382(E) published in Gazette of India dated the 5th July, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.45B (Trichy Bypass-Tovaramkurchi-Madurai Section) in the State of Tamil Nadu as Public Funded Project.
 - (v) S.O.2383(E) published in Gazette of India dated the 5th July, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National

Highway No.56 (New NH 731) (Lucknow-Sultanpur Section) in the State of Uttar Pradesh-IV on Hybrid Annuity Mode.

- (vi) S.O.2384(E) published in Gazette of India dated the 5th July, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.233 (Ghaghra Bridge to Varanasi Section) in the State of Uttar Pradesh under NHDP-IV on EPC mode.

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1203 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 2) Bill, 2019, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th July, 2019 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

- (ii) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance (No. 2) Bill, 2019, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th July, 2019 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 266th REPORT OF STANDING
COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 266th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 260th Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Shipping.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 265th REPORT OF STANDING
COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID**

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): Sir, on behalf of General (Retd.) V.K. Singh, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 265th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 259th Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 293RD REPORT OF STANDING COMMITTEE ON
INDUSTRY – LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 293rd Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

(1205/KKD/IND)

INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL

1205 hours

HON. SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 12, Shri Gajendra Singh Shekhawat.

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT):
With your permission, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am opposing the introduction of the Bill under the nomenclature ‘The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019’ under rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha.

Sir, here Article 262 is very clear, which says:

“Adjudication of disputes relating to waters of inter State rivers or river valleys:

Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.”

However, Sir, Article 252 says:

“Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State:

(1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in Articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the House of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act

for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State ”

महोदय, हमारा देश एक संघीय ढांचे से चलता है। हम सभी को जानकारी है कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पहले से चलता आ रहा है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा।

Whenever the riparian states are not able to reach amicable agreements on their own in sharing of an inter-State river waters, section 4 of IRWD Act provides dispute resolution process in the form of Tribunal.

मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूँ और वॉटर डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए, लेकिन सभी कुछ हमारे संविधान के मुताबिक होना चाहिए।

Sir, when the Tribunal final verdict issued based on the deliberations on the draft verdict is accepted by the Central Government and notified in the Official Gazette, the verdict becomes law and binding on the States and Union Government for implementation. In case the Constitutional rights of States are ingressed upon by the Tribunal Award in any manner, the Central Government, for extending purview of its enactment to implement the Tribunal Order, is obliged – Sir, I am reiterating, is obliged -- to take the consent of Parliament and all riparian states under Article 252 of the Constitution before publishing the Tribunal Awards in the Official Gazette.

Therefore, Sir, इस बिल में कहीं नहीं है कि आपने किसी सूबे की सरकार से चर्चा की है या बात की है। यह जिक्र कहीं नहीं है कि आप उनकी सहमति लेकर यह बिल ला रहे हैं। इस बिल में इन बातों का जिक्र कहीं नहीं है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, Biju Janata Dal and Odisha are not opposed to this Bill, *per se* as the Union Government is empowered or conferred with powers to regulate and develop Inter-State Rivers under Entry 56 of List I of Schedule VII to the extent declared by the Parliament by law to be expedient in public interest.

But my objection at the time of introduction is the same which I had raised in 2017 when the same Bill was being introduced in this House in the 16th Lok Sabha.

As Adhir Ranjan Babu has very rightly mentioned that as water is a State Subject, the respective stakeholders -- which are the State Governments -- need to be consulted before preparation of this Bill. I am not questioning the intent of the Bill. Yes, there are many Tribunals, which are actually not functioning as per our liking and a lot of time is being wasted to give a

decision. But implementation of that decision is another aspect. When this Bill will be discussed in this House later on, we may discuss on the merits of the Bill. But the question here is, whether the State Governments have been consulted when you are going to form a specific, a single Tribunal to deal with all river water disputes. But it has not been done. It has not been explained in this Bill. It is just a ditto of what had been placed in 2017. Again, that Bill has come without any correction. Therefore, I oppose the introduction of this Bill.

(1210/RP/PC)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Government of Tamil Nadu and the State of Tamil Nadu is aggrieved of many disputes. Many disputes have been addressed by the tribunals. Orders have been issued but all the orders are pending before the Supreme Court. The Central Government is just bringing everything overnight without consulting the State Governments. We do not know anything. They are just bulldozing everything day in, day out. We would only know about them in the morning when we go through the Parliamentary papers. How can you allow all these things? I want to know this. I am not asking the Government. I am asking the hon. Speaker. You are requested to advise these people to act according to the wishes of Parliament. This is the Parliament of India. We have been elected by the people. We have to work for the people. How can you allow all these things? They are bulldozing everything. The hon. Speaker is not at all asking anything.

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : स्पीकर सर, एंट्री 56 और 262 के बारे में मैं इस पार्लियामेंट को केवल यह बताना चाहता हूँ कि यह बिल एंट्री 262 में कितना ज़रूरी है। ...(व्यवधान) मैं झारखंड राज्य से आता हूँ। ...(व्यवधान)

मेरे यहां तीन डैम्स हैं - मसानजोर, पंचेत और मैथना। ...(व्यवधान) ये तीनों के तीनों डैम्स हमारी ज़मीन पर हैं। ...(व्यवधान) तीनों के तीनों डैम्स का पानी बंगाल सरकार यूज़ कर रही है। ...(व्यवधान) वर्ष 1978 में बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु और बिहार के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर के बीच समझौता हुआ था। ...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूँ। ...(व्यवधान) उसके बाद उनको दो डैम्स बनाने थे। ...(व्यवधान) वर्ष 1978 से उन्होंने एक भी डैम नहीं बनाया। ...(व्यवधान) बिहार सरकार हमको पानी नहीं दे रही है। ...(व्यवधान) यदि यह बिल नहीं आएगा तो हमारे जैसे राज्य पानी कहां से ला पाएंगे? ...(व्यवधान) ज़मीन हमारी, पानी हमारा, लेकिन उसका यूज़ बंगाल और बिहार कर रहा है। ...(व्यवधान) इसीलिए, यह बिल आना ज़रूरी है।

...(व्यवधान) यह एंटी 262 में लेजिटिमेट है। ...(व्यवधान) भारत सरकार को यह बिल जल्दी से लाकर पास कराना चाहिए। ...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Let them go and consult the State Governments.

माननीय अध्यक्ष : माननीय वरिष्ठ सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, these are all urgent matters. These are matters of life and death. On a theory, we cannot just sit and watch the wrongdoings of the Central Government. We have been elected by the public. We come here for doing certain things. We cannot just sit together. We have to have our say in Parliament. People have voted us only for this purpose.

माननीय अध्यक्ष : मैंने बिना नोटिस के माननीय सदस्य को अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कई बार कई माननीय सदस्यों ने इंटर-स्टेट वॉटर डिसप्यूट के विषय को यहां उठाया है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी केवल बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जब इस पर डिटेल्ड चर्चा हो, तब आप अपनी डिटेल्ड बात कहें। यह सदन आप सभी का है। सबकी सहमति से ही बिल लिए जाते हैं। कभी भी आपकी असहमति से बिल नहीं लाए हैं।

माननीय शेखावत साहब, आप बोलिये।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की है कि इस बिल के इंट्रोडक्शन से पूर्व राज्यों से कंसलटेशन नहीं किया गया। मैं सदन को इस बिल के बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। वॉटर डिसप्यूट एकट वर्ष 1956 में बना था। उसके बाद ट्रिब्युनल्स बनाए गए।

अब तक कुल मिलाकर नौ ट्रिब्युनल्स स्थापित हुए हैं। जिन चार ट्रिब्युनल्स ने अभी तक अपना अवॉर्ड पारित किया है, उनमें 28 साल से लेकर कम से कम 10 साल का समय लगा है। जो ट्रिब्युनल्स बनाए जाते हैं, उनके लिए न तो कोई समय सीमा निर्धारित है और जो ट्रिब्युनल्स एक्सटेंड होते हैं, वे इनडैफिनेटली एक्सटेंड किए जाते हैं। ट्रिब्युनल्स अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, अवॉर्ड पारित कर दें, उसके बाद भी गवर्नमेंट उसको लागू करे, इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। जिन ट्रिब्युनल्स ने काम किया है, उन्होंने 28 साल से लेकर 10 साल का समय लगाया है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह बिल पहले वर्ष 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था।

(1215/PC/RCP)

वर्ष 2017 में जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ तो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से वह स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 में जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले वर्ष 2013 में इस बिल को स्टेट्स से प्रॉपर कन्सलटेशन के बाद लाया गया था। ड्राफ्ट बिल को कन्सलटेशन करने के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2017 का बिल प्रस्तुत करने के बाद जब स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर बिल वापस इन्ट्रोड्यूस करने के लिए लोक सभा की अविधि समाप्त हो गई थी, इसलिए इस बिल को हमने अब पुनः इस सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: I introduce the Bill

REPEALING AND AMENDING BILL

1217 hours

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 13, रवि शंकर प्रसाद जी।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments.

Sir, I seek your kind indulgence to introduce a Bill for repealing and amending nearly 58 legislations of the country. One of the keen objectives of Shri Narendra Modi Government was to repeal all the old Acts which are 100 years or 150 years old. ...(*Interruptions*)

Till date, we have repealed about 1458 Acts. Today, 58 Acts are sought to be repealed by this Repealing and Amending Bill. We have also conveyed to the State Governments; about 225 old Acts belong to the realm of the State Governments. They are also taking steps.

सर, हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जितने भी पुराने कानून हैं, जो 100-150 वर्षों से हैं ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप ब्रिटिश ज़माने के कानून बोलिये।

श्री रवि शंकर प्रसाद : जी हां, सर। आज भी वर्ष 1875 के कानून हैं। मैं इस सदन में हमारे प्रधान मंत्री जी के इनीशिएटिव के बारे में कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने 1458 एक्ट्स रिपील किए हैं और आज हम 58 एक्ट्स और रिपील करने जा रहे हैं।

मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो नई शुरुआत है, देश में पुराने कानून जो असुविधा पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनको समाप्त किया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम लोगों को एक और निर्देश दिया है। ऐसे कानून, जो दो कानून एक हो सकते हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आज इस बिल को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि कतिपय अधिनियमितियों के निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों के संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

डॉ. शशि थरूर जी, आप बोलिये।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I do regret to oppose it because we all support the objective of repealing the enactments. But the fact is, this Government has got a very bad habit of rushing Bills through without enough time for the MPs to have a look at them.

Direction 19B of the Directions by the Speaker Lok Sabha, which I have in front of me, says very clearly: "No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of Members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced."

Last night, they came and gave us this Bill. Many of us got it today morning. ...(*Interruptions*) The fact is, when 58 Acts are involved, the Members have a right to study these Acts, to see whether all of them should be included, whether some more should be added or some should be subtracted. This is a serious exercise. We need two working days to do our work.

There is one more reason. You could say, you have given them permission. But you cannot give permission without their giving special reasons for violating the Speaker's directives to the House.

So, my first objection is fundamentally procedural. We have seen it many times in the course of this - incredibly hasty, rush-through legislation being pushed into the House.

Secondly, I also have a substantive objection which is that as far as I can see, the Statement of Objects and Reasons here says that it is a periodical measure but it does not indicate which Bills have come through where. There is a pre-legislative consultative policy which has not been resorted to. So, no one can give ideas or suggestions to the Government.

(1220/SMN/SPS)

On top of that, if you look at 'Exception 2' to Section 375 of the IPC, the marital rape exception, Justice Verma's Committee recommended the repeal of that 'exception' so many years ago. Still, so far, this Government has ignored it. There are many other archaic provisions that can easily be dealt with. You are rushing through the Bills without consulting the MPs. Here is a matter where the MPs want to help you. We also want to get rid of old laws, archaic laws and obsolete laws. Marital rape is a very good example of this and deleting 'Exception 2' to Section 375 of IPC is necessary. But my concern

is not that only. When you are doing something which, we agree, is in the national interest and is not even a political exercise, why do you not take us all along? Why do you want to present us with a *fait accompli*? आप हमें साथ लेकर चलिए। हम इस विषय पर आपके साथ हैं, लेकिन हमें मौका तो दीजिए। ... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am supporting this. It is useful. So many statutes are not necessary.

माननीय अध्यक्ष: कल्याण बनर्जी साहब, सभी माननीय सदस्यगण और लोक सभा के सभी सदस्यों को ऐसे एक्टों पर पुनर्विचार करना ही चाहिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I request you to please consider new enactments. For example, the Indian Penal Code was enacted long back. What is the need for pre-British laws? There are many new changes. Therefore, you should bring new laws.

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सदन को प्रयास करना चाहिए कि ब्रिटिश जमाने के कानूनों को संसद के द्वारा नए रूप में बनाया जाना चाहिए।

... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): In addition to what Mr. Tharoor has said, I wish to add one more thing. We are now getting these parliamentary papers at around quarter to nine or nine 'o' clock. Earlier we used to get these papers early in the morning. If we get the parliamentary papers at nine 'o' clock from the Parliament, when will I read those papers? I think this is a general problem. Kindly give the instructions to the office that these papers should reach our residences early in the morning. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो आपत्ति जताई है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र के समय कोई भी विधेयक पुरःस्थापित करना हो तो आपको वह नियम के अनुसार दो दिन पहले मिलेगा, लेकिन अगले सत्र में मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब मैंने व्यवस्था दे दी है। आपकी भावनाओं के अनुसार व्यवस्था दे दी गई है। अब माननीय मंत्री जी के अलावा किसी का भी वक्तव्य अंकित न हो।

... (Not recorded) ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, they are taking undue advantage of this. Please take note of this. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन आप सभी को साथ लेकर चल रहा है।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, whatever items were there in the BAC, let us first exhaust them first. They were already approved by the BAC. ... *(Not recorded)* ...*(Interruptions)* What has happened to the Surrogacy Bill? ...*(Interruptions)* Order should not be changed.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Law Minister is so clever. ...*(Interruptions)* He brings every new legislation.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, मेरा यहां एक सजेशन है। ...*(Interruptions)* Sir, your Office has empowered all Members to utilize Internet and the speed of internet has also increased in due course of time.

(1225/MMN/MM)

Every Member, who is conversant with the Internet, can find out what is tomorrow's agenda, at around 8-8.30 p.m. in the evening. ...*(Interruptions)* You may have your own opinion. ...*(Interruptions)* Sir, every Member is provided with a supporting staff. Mr. Premachandran is very much aware of the provision that has been made. We, perhaps, are more accustomed to the hardcopy but Internet is also available; and the entire agenda of tomorrow is provided to us by this evening. Sir, when the Internet is not working, we can lodge a complaint before your office. ...*(Interruptions)* Please allow me to say.

Hardcopy, of course, is necessary. Sir, you have said you will be providing it from the next Session as early as possible. I do not know whether Mr. Kalyan Banerjee has shifted his house or not. But the issue is regarding whatever Bills that are being brought here, unlike the previous Governments where suddenly the supplementary agenda was used to be circulated in this House and the Bill was discussed and passed, this has not happened in this Session yet. Whatever is being listed is as per the provisions of the Business Advisory Committee. One hour has been given for this Bill. Until and unless this is recorded in the Business Advisory Committee, how can a Bill come? That was our concern earlier but now it has not happened yet.

What Mr. Raja has been saying is to go as per the Order Paper. I think he was a Minister earlier and he can very well explain whether it is the prerogative of the Government or not. Sitting in the Opposition, I know it. I have been sitting in the Opposition for the last 20 years.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बिल पर दो घंटे प्रपोज़ किए थे। लेकिन आपने डिसकस करके कहा कि हमें इस बिल के बारे में जानकारी है, इसलिए वन ऑवर कीजिए। स्पीकर साहब ने एक घंटा कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि बीएसी में डिसकस नहीं हुआ, जबकि डिटेल में डिसकस हुआ है। यह लिस्टेड है तो हम कैसे रश कर रहे हैं? हम कोई रश नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय रविशंकर जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, as regards the objection of hon. Dr. Shashi Tharoor, I wish to convey to him that two days in advance the notice has been given. ...*(Interruptions)* Did I disturb you?

Now when there is a consensus in the House that the step we are taking is the right step, as the hon. Speaker also rightly pointed out, then, is it a new thing we are doing? I think hon. Dr. Shashi Tharoor is a Member of this House for some years now. We came with the Repealing and Amending Act No. 1517 of 2015, No. 19 of 2015, No. 22 of 2016, No. 23 of 2016, No. 2 of 2018 and No.4 of 2018. ...*(Interruptions)* Now, when these six Bills became the Acts, you were present in the House. We had discussed it *ad nauseum* and we will do it again. We are only introducing the Bill. I think, being wise and experienced, you are aware that this is just the introductory stage. When the time for debate will come, you can raise all the questions and I will be willing to answer them.

As far as hon. Baalu Ji's observations are concerned, we have worked in the Vajpayee's Government. I am neither clever nor cunning. I work properly and with determination. I hope you know that.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि कतिपय अधिनियमितियों के निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों के संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

(1230/SJN/VR)

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

1230 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए”

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not opposing the introduction of this Bill because I have no opportunity. The Agenda 13A was circulated while we were sitting in the House. As per Rule 72, any opposition to introduction must be made by 10 o'clock that morning. So, if I even give a notice for opposing the introduction, I have no scope to do so. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं आपको विधिवत इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं आपका नाम लेकर इजाजत दूंगा। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, अब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आप बड़े दयालु हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लाई हैं, उसके बारे में पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। महताब जी, आपकी व्यवस्था के पक्ष में हैं।...*(व्यवधान)* वह कह रहे हैं कि अगले दिन...*(व्यवधान)* इंटरनेट नहीं आता है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की व्यवस्था के पक्ष में हैं। उसमें पूरा सदन आ गया है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, कोई कहता है कि इंटरनेट सुबह देर से आता है। लेकिन किसी भी सिस्टम में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल को लाने की इच्छा जाहिर नहीं की थी। इसलिए, हम लोग बिल के इंट्रोडक्शन पर अपोज़ नहीं कर पाए हैं। आप देखते हैं कि बिल के इंट्रोडक्शन के अपोज़ के समय यहां पर कितने अच्छे-अच्छे और भारी-भारी प्रश्न उठाए जाते हैं। इसलिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे हम लोग हमारे अधिकारों से वंचित हो जाएं। बिल के

इंट्रोडक्शन का विरोध करना हमारा अधिकार है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस सदन को मजबूत बनाने की बात करते हैं और आप सब लोगों को लेकर सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। आप एक व्यवस्था दीजिए कि आज श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस बिल को विद्वा करें और कल हमको नोटिस देने का मौका दिया जाए, उसके बाद बिल को पुरःस्थापित किया जाए।

महोदय, आप महामहिम हैं। आपके हाथ में इस सदन की व्यवस्था है और इसकी गरिमा बनी रहे, यह आपका लक्ष्य भी है। मैं चाहता हूँ कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप उनको निर्देश दीजिए कि यह 12 बजे नहीं, बल्कि बिल को फिर से सर्कुलेट किया जाए। हम इस बिल के इंट्रोडक्शन पर अपोज़ करें, उसके बाद आप उनको बिल को पुरःस्थापित करने का अधिकार दीजिए। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूँ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I also strongly oppose the introduction of the Bill brought in by Smt. Nirmala Sitharaman.

मैं डायरेक्शन्स बाई द स्पीकर, लोक सभा 19ए और 19बी का जिक्र करता हूँ। मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सारी जानकारी है। मुझे यह कहना है कि सदन में कोई भी हो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे कोई अन्य सदस्य हो, किसी को भी जो सदन का रूल्स एंड प्रोसीजर है, अगर वह उससे ऊपर उठकर कुछ न करे, तो बेहतर होगा। नहीं तो, हमारे सदन का जो अधिकार है, उसके ऊपर बड़ा एनक्रोचमेंट और हस्तक्षेप होता जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराने के लिए यह कहना चाहता हूँ कि पिछले फाइनेंस बिल में भी हमारी माननीय मंत्री जी इस तरह अचानक अमेंडमेंट ला रही थीं। उस दिन उन्होंने जवाब दिया था। हमने कहा था कि ठीक है, आप जब इतना बड़ा फाइनेंस बिल ला रही हैं, तो हम आपको यह मौका दे रहे हैं। लेकिन हम बार-बार इस तरह का मौका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह के मौके देते रहेंगे, तो जो हमारे सदन की गरिमा है, वह भंग होगी।

महोदय, मैं इसी के संदर्भ में एक और बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जिसे मैं बेहद जरूरी समझता हूँ। मैं और यहां पर बहुत सारे सदस्य हैं, जो पुराने दिनों से इस सदन में आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारा एक रिवाज है कि जो बिल पारित होते जा रहे हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।...(व्यवधान) महोदय, एक मिनट और दे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। इसलिए, मैं उनका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ने कल जवाब दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अलग बात है। 13वीं लोक सभा में 102 बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए थे।... (व्यवधान) 14वीं लोक सभा में 147 बिल, 15वीं लोक सभा में 146 और 16वीं लोक सभा में... (व्यवधान) महोदय, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आप दो-तीन बार बोल चुके हैं। मैं इसके लिए आपको अलग से व्यवस्था दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि वह जवाब देंगे। आप इसके लिए अलग से व्यवस्था उठाइएगा।

... (व्यवधान)

(1235/KN/SAN)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): निर्मला सीतारमण जी, इस तरीके के बिल को यहाँ पारित न करें। मैं सौगत राय जी का समर्थन करते हुए कह रहा हूँ कि इसको आप वापस लें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ऐसे तो नियम-प्रक्रिया आपने पढ़ रखी है, मैं भी पढ़ कर बता सकता हूँ कि 19(ख) में स्पष्ट निर्देश है। लेकिन मैंने आपकी भावनाओं को देखते हुए पहले ही इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि आपने जो विषय उठाया है, अगले सत्र से उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): सर, अगले सत्र के लिए तो बिल आया ही नहीं, अगर इस तरह से बिल चलते रहे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज पूरे देश के अंदर इस सदन को चलाने में एक चर्चा हो रही है कि इस बार संसद सत्र चल रहा है। आपके और आपके सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से चल रहा है और 130 करोड़ जनता पॉजिटिव तरीके से सोच रही है कि संसद सदस्य आते हैं, सदन में चर्चा करते हैं। यह एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए हम सारी बात आपके सामने रखते हैं। आप हमारी बात सुनते रहिए और अच्छा सदन चलेगा। हम चाहते हैं कि आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर सबसे बैस्ट स्पीकर की हैसियत से उभर कर आएँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा आपकी उम्र इतनी नहीं है, फिर भी आपको दादा कह रहे हैं। आपकी उम्र अभी 72 साल की हुई है। आपसे बड़े उम्र के लोग भी हैं। माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहली बार आई हैं, बैठे-बैठे नहीं बोलें। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way. Please sit down.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरीके की टिप्पणी भी नहीं करें। माननीय मंत्री जी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, before I take the opportunity to lay an explanatory note as to why it is important to have this Bill here, I would just like to remind, in response to Prof. Sougata Ray and also Shri Adhir Ranjan Chowdhury, that this is not a Bill which is coming without a background.

I want to draw the attention of all the hon. Members to the fact that on 2.11.2018, the Companies (Amendment) Ordinance was promulgated by the President of India. The Ordinance was promulgated in November, 2018 because at that time, the House was not in Session. Then, on 5.11.2018, a public notice was issued and so on, but following all that, post consultations with the stakeholders, on 4.1.2019, the replacement Bill was considered and passed by the Lok Sabha as the Companies (Amendment) Bill, 2019. This House has passed that. Therefore, on 4.1.2019, the Companies (Amendment) Bill was passed as a replacement Bill of the Ordinance which was earlier passed.

The Bill was transmitted to the Rajya Sabha and was listed for consideration and passing from 7.1.2019 to 9.1.2019. So, it was listed from 7th to 9th January in the Rajya Sabha, but could not be considered and passed by the Rajya Sabha. Then on 12.1.2019, the Companies (Amendment) Ordinance was promulgated again. So, that was the second Ordinance on the same subject.

(1240/RBN/CS)

On the same subject, the Second Ordinance was promulgated on 12th January 2019. On 31st January, 2019, the replacement Bill, namely the Companies (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha and lying in Rajya Sabha could not be passed during the Budget Session. Then, approval of the Cabinet was obtained again. Therefore, a replacement Bill to replace the Companies Ordinance, 2018 was passed by the 16th Lok Sabha on 4th January, 2019. Now, therefore, this Bill is being introduced only because we are continuously moving from one Ordinance to the other, like the Ordinance of

12th January and the Ordinance of 21st February as the Session has recommenced.

Therefore, the necessity for bringing this Bill now is only because this House has considered, passed and then sent this Bill to Rajya Sabha where it could not be cleared. Again an Ordinance was promulgated. Then, a second Ordinance was promulgated. When the House was reconvened for the Interim Budget, we had to bring the Ordinance all over again by the very rule. So, it is just the same Bill. ...(*Interruptions*) I will answer you. Would you please give me a chance? Prof. Saugata Roy, I am answering you. So, I am only trying to say that this House has considered it earlier and passed it, but Rajya Sabha could not pass it. Then, an Ordinance was brought. An Ordinance was brought again. So, we are coming with what is otherwise a best practice, get the Bill in the place of an Ordinance, which I am sure the Opposition will support.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce the Bill.

**STATEMENT RE: COMPANIES (AMENDMENT)
SECOND ORDINANCE -- LAID**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 13बी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to lay on the Table an explanatory Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (No. 6 of 2019).

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1242 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

**Re: Need to take steps for overall development of Musahar caste in
Rewa parliamentary constituency, Madhya Pradesh**

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा (मध्य प्रदेश) में मुसहर जाति हैं जो शादी समारोह में जूठे पत्तल उठाने का काम करती हैं और उसी में जो पूरी बचती हैं उसे सूखाकर खाती हैं। बारिश के दिनों में वही उनका भोजन का आधार होती है, ये बहुत गरीब जाति हैं। इनके बच्चे कुपोषण और अशिक्षा के शिकार हैं। भूख से लड़कर ये लोग अपनी जान दे देते हैं। इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। भारत सरकार से अनुरोध है कि मुसहर जाति के समग्र विकास के लिए योजना बनायें।

(इति)

**Re: Need to expedite doubling of railway line from Jhansi to Kanpur in
Uttar Pradesh**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मंडल में झाँसी से कानपुर रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्ण करने का लक्ष्य जून-2018 निर्धारित किया गया था। लेकिन अभी तक एक साल अतिरिक्त होने के बाद भी इस दोहरीकरण कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। इस दोहरीकरण की कुल दूरी झाँसी-भीमसेन के बीच 206 किलोमीटर है। इसके पूर्ण करने का कार्य तीन कम्पनियों ने लिया था, लेकिन समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाये एवं जिन कंपनियों ने तय समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया है, यदि उन कम्पनियों की गलती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(इति)

Re: Need to relax qualifying marks for recruitment of Urdu teachers in Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): बिहार सरकार ने 2013 में स्पेशल टी.ई.टी. उर्दू शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया था ताकि पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उर्दू शिक्षकों का नियोजन हो सके और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का पठन-पाठन सुचारू रूप से हो सके। गौर तलब है कि उर्दू भाषा बिहार की दूसरी राज्य भाषा है।

संयोगवश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में उर्दू भाषा के अभ्यर्थियों को अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त हुए। इस कारण बड़ी संख्या (लगभग 12 हजार) में अभ्यर्थी निम्नतम पात्रता अंक से नीचे रहे गये। इसीलिए 24,000 (चौबीस हजार) रिक्त पदों में से लगभग 12,000 (बारह हजार) उर्दू शिक्षकों का नियोजन हो सका, लगभग 12 हजार पद आज भी रिक्त है। इस कारण शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की योग्यता में छूट दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि कुछ और अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके।

दिनांक 07.02.19 को इस आशय का एक पत्र राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा है जिसमें अनुरोध किया गया है कि शिक्षक अर्हता योग्यता के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति देने की कृपा की जाय। दिनांक 26/06/19 को पुनः राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने पत्र के द्वारा केन्द्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस कार्य के लिए स्मारित किया है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 10/01/2019 को अपने लिखे गए पत्र के माध्यम से त्रिपुरा सरकार के शिक्षा विभाग को शिक्षकों की बहाली में इस तरह की छूट की अनुमति देने की कृपा की है। |

आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह होगा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को भी इस तरह की छूट देने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय जिससे कि बिहार में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित न हो। सनद रहे हाल के दिनों में केन्द्र सरकार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू में परीक्षा देने की छूट दी है जो पूर्व में कभी नहीं हुआ है।

(इति)

Re: Alleged fraudulent scheme of Adarsh credit cooperative society

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे संसदीय क्षेत्र सहित देशभर के गरीब किसान को लाभकारी योजनाओं का कथित रूप से झाँसा देकर आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी नाम की संस्था क्रेडिट सोसायटी में धन जमा करवा रही थी। परिपक्व होने पर राशि चुकाने के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में लोगों की करोड़ों की धनराशि डूब गयी है। यह राशि कभी मिलेगी भी या नहीं इसमें संशय बना हुआ है। एक मोटे आकलन के मुताबिक राजस्थान में उक्त सोसायटी की 309 शाखाओं में करीब 10 लाख निवेशकों द्वारा लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ऐसे में हाथ खड़े किए जाने पर जमा धन भी सोसायटी में ही फंस गया है। ऐसी क्रेडिट सोसायटियों पर प्रतिबंध लगाकर इनकी चल-अचल संपत्तियों को बेचकर निवेशकों की पाई-पाई रकम चुकाई जाये तथा चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की निजी संपत्तियों को भी जब्त किया जाये तथा कठोर दंड दिया जाये।

(इति)

Re: Need to renovate Maldaha Airport in West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र मालदा उत्तर (प० बंगाल) सीमावर्ती जिला है। यह एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक एयरपोर्ट है जो बहुत ही बुरी हालत में है। मात्र कहने को है कि यह एयरपोर्ट है। यहां से यात्री विमानों का परिचालन नहीं होता। एयरपोर्ट का भवन तथा परिसर भी जर्जर स्थिति में है। यहां से यात्री विमानों का परिचालन न होने की स्थिति में लोग एयरपोर्ट की भूमि पर खेती करने लगे हैं जो काफी दुखद है।

महोदय, मेरे जिले में यात्री विमानों के परिचालन तथा एयरपोर्ट के सुचारू रूप से चालू हो जाने से वहां रोजगार की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सरकार के राजस्व में भी काफी वृद्धि होगी। इस एयरपोर्ट के सुचारू रूप से शुरू हो जाने से यह सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने जाने से मेरे क्षेत्र के व्यापारी और किसानों को भी काफी लाभ होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मालदा एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया जाए और अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। इसके बनने से मेरे क्षेत्र के व्यापारियों, किसानों, युवाओं तथा आम जनता को काफी सहूलियत होगी और रोजगार का भी सृजन होगा।

(इति)

Re: Release of required funds to Maharashtra under PMAY-Urban

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon'ble Prime Minister envisioned Housing for All by 2022 when the Nation completes 75 years of its Independence. In order to achieve this objective, Central Government has launched a comprehensive mission called Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)-Urban. The mission seeks to address the housing requirement of urban poor by 2022. The Government has sanctioned 9,86,933 houses & central assistance of Rs.14,292 crore in the last three years for the State of Maharashtra under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). Out of the sanctioned amount under Central Assistance only Rs.743.65 crore has been released to the State of Maharashtra. The delay in disbursal of funds under Central assistance by the Ministry of Housing and Urban Affairs hampers the pace of construction of houses under PMAY. I request the Hon'ble Minister to kindly look into this matter & take necessary action to expedite the release of required funds to Maharashtra.

(ends)

Re: Talks with Gorkha representatives

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING):The people of Darjeeling Hills, Terai and Dooars have long struggled for a separate state which we know as the Gorkhaland agitations of 1986-88, 2007-11, 2013-14 and again in 2017.

Two failed experiments in the form of stop gap semi-autonomous bodies like DGHC and GTA, have failed to address the demand for a permanent political solution to this problem.

From the perspective of national security, a permanent solution will check cross-border illegal infiltration and help to secure our borders at the critical “chicken neck” region, The region today severely lags behind the rest of nation in terms of development and economic progress.

I request the central government to initiate tripartite talks involving the Centre, West Bengal government and Gorkha representatives. In case of a refusal by the WB Govt. for tripartite talks, I request the Union Government to appoint an interlocutor and start bipartite talks with Gorkha representatives at the earliest.

(ends)

**Re: Need to establish a Rice Research Institute in Bhandara-Gondiya
parliamentary constituency, Maharashtra**

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): मेरे निर्वाचन क्षेत्र भंडारा - गोंदिया जिसे महाराष्ट्र का राइस बाउल कहा जाता है। यहां करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है और जहां के किसान मुख्यतः चावल का उत्पादन करते हैं और अभी भी यह जिला पिछड़ा होने की वजह से यहां अभी भी पारम्परिक पद्धति से चावल बोया और उगाया जाता है। अतः कोई दूसरी मुख्य फसल नहीं है, लेकिन वहां अभी तक कोई राइस रिसर्च सेंटर नहीं है जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वहां एक राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट बनाया जाये जिससे भंडारा गोंदिया के साथ नजदीकी जिले चंद्रपुर और गढ़चिरौली के किसानों को भी उचित लाभ मिलेगा और चावल के उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी।

(इति)

Re: Need to give recognition to Electropathy as a branch of medical science

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): इलैक्ट्रोपैथी जिसे इलैक्ट्रोहोम्योपैथी भी कहते हैं। यह पूर्णतयः हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसमें केवल वनस्पतियों का उपयोग होता है। यह पद्धति शीघ्र प्रभावी, कम खर्चीली एवं सुरक्षित है। इस पद्धति की मान्यता की मांग भारत सरकार सहित अनेक राज्यों से लम्बे समय से होती रही है। सर्वोच्च न्यायालय सहित अनेक उच्च न्यायालयों ने भी इस पद्धति के लिए कानून बनाने के लिए आदेश दिये हैं।

सरकार ने उठ रही मान्यता की मांग को ध्यान में रखते हुए 28. 7.2017 को एक "इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी (आई.डी.सी.) का गठन किया था। इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जबकि इलैक्ट्रोपैथी मान्यता हेतु अंतिम प्रपोजल 6.8.2017 को ले चुकी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कमेटी को कहे कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करें ताकि सरकार इलैक्ट्रोपैथी की मान्यता के विषय में निर्णय ले सके।

(इति)

Re: Need to provide appropriate compensation to people whose lands have been acquired for construction of NH-527C in Muzaffarpur parliamentary constituency, Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): एन0एच0-527 सी (मझौली-चरौत खण्ड) के निर्माण हेतु हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर अन्तर्गत मौजा-भुसरा-हसना मुख्य सड़क में पड़ने वाली अर्जित भूमि का व्यावसायिक किस्म में अधिसूचित किया गया है लेकिन भूधारियों को आवासीय किस्म के रूप में मुआवजा भुगतान के लिए बाध्य किया जा रहा है जिसका विरोध भूधारियों द्वारा किया जा रहा है जबकि जिला प्रशासन द्वारा इस दलील के साथ भूधारियों को बाध्य किया जा रहा है कि सरकार द्वारा व्यावसायिक किस्म पर नीतिगत निर्णय तक आवासीय दर से मुआवजा प्राप्त करें जो न तो नीतिगत है और न ही व्यवहारिक। यहां एक बात और भी काबिलेगौर है कि इस मार्ग में पड़ने वाली जमीन की खरीद ब्रिच में निबंधन कार्यालय द्वारा व्यावसायिक दर से मुद्रांक शुल्क लिया जाता है। निबंधन कार्यालय द्वारा प्रधान सड़क में पक्का भवन आर0सी0सी0 छत का 2800 रुपये प्रति स्क्वायर फीट राजस्व लिया जाता है और भू-अर्जन द्वारा 630 रुपये प्रति स्क्वायर फीट लेने के लिए बाध्य किया जाता है। भुसरा-हसना वर्तमान में विकासशील बाजार है। जिसमें जमीन का बाजार मूल्य 20 से 25 लाख रुपये कच्चा है। इस प्रकार के व्यावहारिक भुगतान से भूधारियों में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भू-धारक आंदोलित होंगे और निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से बाधित होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि भूधारियों के हितों के मद्देनजर व्यावसायिक किस्म पर पहले नीतिगत निर्णय शीघ्र लिया जाए और व्यावसायिक रूप से अधिसूचित अर्जित भूमि का व्यावसायिक मुआवजा भुगतान कराया जाए।

(इति)

Re: Utilization of funds allocated to District Mineral Foundation Trust

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): भारत सरकार ने खनन प्रभावित जिलों में प्रधानमंत्री खनज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की है। जिसमें जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डी. एम.एफ.टी.) के माध्यम से विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इस योजना से कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वच्छता एवं शेष 40 प्रतिशत सिंचाई, बिजली एवं जल संग्रह विकास आदि में उपयोग करना चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अकेले चतरा जिले में डीएमएफटी मद में 400 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। इसका उपयोग जल संरक्षण, तालाब, आहर गहरीकरण के लिए करना चाहिए।

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। यह अभियान जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए चलाया जायेगा। मानसून मौसम के दौरान 1 जुलाई से 15 सितम्बर 2019 तक जन भागीदारी से यह अभियान चलाया जाएगा। कुछ राज्यों के लिए अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक चलाया जाएगा, जहां इस दौरान मानसूनी बारिशें होंगी। इस अभियान में पानी की कमी वाले जिलों और प्रखंडों पर जोर दिया जायेगा। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने कहा है कि जल शक्ति अभियान से जल संरक्षण के लिए लोगों में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 2.3 लाख से भी अधिक सरपंचों को हाल में लिखे गये पत्र के प्रभाव से लोगों का जल संभरण, तालाबों एवं ग्रामीण टांकों के रखरखाव तथा जल संरक्षण के लिए काम करने में मदद मिलेगी।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि डीएमएफटी की राशि उपयोग पुराने जल संचय के साधनों जैसे तालाब, आहर, वाटर हारवेस्टिंग आदि के लिए किये जाने के निर्देश जारी करें। साथ ही वॉटर बॉडिज को जीओ-टैगिंग से जोड़ा जाए।

(इति)

Re: Participation of Members of Parliament in implementation of development schemes in LWE affected districts

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) के दोनों जिले औरंगाबाद और गया अकांक्षावान जिलों की सूची में है। ये दोनों जिले वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से बुरी तरह प्रभावित हैं। दोनों ही जिले देश के 34 एलडब्ल्यूई जिलों की सूची में हैं। उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार की तरफ से विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना कई वर्षों से चलाई जाती है। इस योजना के तहत योजनाओं के चयन के लिए केवल अधिकारियों की एक समिति है जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी और सदस्य सब चिन्हित जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं जिला वन पदाधिकारी होते हैं। जनप्रतिनिधि का सुझाव या उनकी अनुशंसा का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कि यह समिति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जबकि सांसदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर जानकारी होती है।

मेरी सरकार से मांग है कि क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए समिति में सांसदों की भागीदारी तथा उनकी अनुशंसा पर योजनाओं का चयन सुनिश्चित किया जाये। उग्रवाद की समस्या से प्रभावित जिलों में नक्सलवाद के खात्मे और क्षेत्रीय विकास के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण की योजनाओं (एलडब्ल्यूई) का कार्य भी " शिथिल है, जिसे तेज गति से चलाने की आवश्यकता है।

(इति)

**Re: Need to include Pawanagar in Uttar Pradesh under Swadesh
Darshan scheme**

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण पावानगर (फजील नगर) में हुआ था। वहीं पर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यह महावीर स्वामी से जुड़े होने के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। देश ही नहीं दुनिया भर से जैन धर्मों के लोग यहां पर आते हैं लेकिन यहां की दुर्दशा देखकर निराश और दुखी होकर चले जाते हैं। महावीर स्थली हमारे देश के संत परमात्माओं में उच्च कोटी का स्थान रखती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पावानगर को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करते हुए इसे भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये।

(इति)

**Re: Need to develop historical temples in Gadchiroli-Chimur
parliamentary constituency, Maharashtra as tourist places**

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर जनजाति बहुल है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर मार्कंडा (देव) तहसील चामोशी, जिला गड़चिरोली, कचारगढ़, तहसील सालेकसा, जिला गोंदिया एवं रामदेगी, तहसील चिमूर, जिला चंद्रपुर है।

गड़चिरोली के उत्तरवाहिनी वैनगंगा के किनारे स्थित पवित्र मार्कंडा (देव) में भगवान शंकरजी का हेमउपंती मंदिर है तथा मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से पावन है। इस थल को विदर्भ की काशी भी कहा जाता है।

गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में स्थित कचारगढ़ हेमाडपंती मंदिर कुपारलिंगो व महाकाली कंकाली के नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त देशभर के आदिवासी समाज का श्रद्धास्थल है। इन दोनों क्षेत्रों में महाशिवरात्रि की सात दिवसीय यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

इसी प्रकार रामदेगी (चिमूर), जिला चंद्रपुर में भगवान राम का मंदिर है। यहां पर पौष (जनवरी) महीने में यात्रा होती है। आसपास के क्षेत्र से हजारों भक्तगण यात्रा में पधारते हैं। किंतु, जनसुविधाओं के अभाव में तथा पक्के रास्तों के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः उक्त स्थलों को ऐतिहासिक स्थल घोषित कर पर्यटन स्थल का दर्जा देकर। रास्तों की मरम्मत, मजबूतीकरण कॉक्रेटिकरण करने, शौचालयों, धर्मशालाओं का निर्माण, आदिवासियों के कला-गुणों को विकसित करने हेतु सांस्कृतिक भवनों का निर्माण, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धन का आबंटन करना अत्यंत अनिवार्य है।

(इति)

**Re: Need to ensure smooth implementation of Deen Dayal Upadhyay
Gram Jyoti Yojana and Pradhan Mantri Awas Yojana in Burhanpur
district, Madhya Pradesh**

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): बुरहानपुर जिले के मांडवा, बाकड़ी एवं सगफाटा जैसे अनेक वन ग्रामों में दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना के अंतर्गत स्वीकृत बिजली के खम्भे और तारों को विद्युतीकरण कार्य को वन विभाग द्वारा रोका जा रहा है। बुरहानपुर जिले के अनेक वन ग्रामों में स्वीकृत प्रधान मंत्री आवास, वन ग्रामों में बनाने से रोका जा रहा है। बुरहानपुर जिले के वन ग्रामों में बरसों से निवासरत 2006 के पूर्व वन भूमि पर पुराने कब्जेदार अनुसूचित जनजाति के लोगों को कब्जा भूमि का सर्वे कर पात्र लोगों को वन भूमि अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि के पट्टे दिए जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए जाये।

(इति)

Re: Change in the present education system

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): As the world evolves and practical knowledge is considered vital, India's education system continues to stress on pure theoretical mastery and success is measured in terms of marks obtained in examinations. In order to reform the lacklustre system, I propose to ensure a system wherein internships are made mandatory from high school to college. Every student must have the freedom to choose his/her career path after significant experiential knowledge. At the university level, every student must have hands on experience with the industry they are dealing with, for smooth transition to the working environment. To ensure that this arrangement is a mutually beneficial one, the industries may receive tax exemption for assimilating this arrangement into their framework. A change of approach in the way education is imparted is imperative and a system that supports both the employer and student is the key.

(ends)

Re: Rail facilities in Attingal parliamentary constituency, Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): There are 10 level crossings in my parliament constituency which require Rail Over Bridge. Passengers are facing acute difficulties at level crossing at Chirayinkil. Land acquisition has been completed but the works have not started. Construction of a Railway Overbridge at Edava in Varkala is a long pending demand. The alignment for the same is yet to be finalized, ROBs at Punnamood, Kaniyapuram should also be considered. The demand for construction of a foot over bridge at Varkala Maithanam Level Cross is a genuine demand from the local residents. Thousands of people including children are facing difficulties at this level cross every day. A lot of representations have been submitted for allowing stoppage for Maveli Express (16603/16604) and Parasuram Express (16649/16650) at Chirayinkil and Kadakkavoor stations. Considering the difficulties faced by thousands of passengers, Railway authorities should take a favourable decision in this matter.

(ends)

**Re: Construction of Overbridges in Karur Parliamentary Constituency,
Tamil Nadu**

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Overbridges along the national highways in Karur Constituency around Manmangalath, Vaangaampalayam Circle, Semmadai, Periyar Circle, Kodaangipatti, Veerakkiyam Circle and Kodutnbaalur need to be constructed with utmost urgency to prevent the unfortunate accidents in future.

(ends)

Re: Addressing the problems of plantation labourers of Tamil Nadu

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): The plantation labourers of Valpaarai of Tamil Nadu who work in the nearby estates and in dense forest areas have to travel a lot to have access to ATM facility to withdraw their salary. Moreover at times such ATMs are out of cash adding to their woes. The Union Government should ensure that labourers of Tea Estates in that area are paid their salaries well in time in cash by the estate authorities concerned. As the professional tax deducted as TDS from the salaries of the plantation labourers affects their livelihood, they should be exempted to pay tax up to an income limit of Rs. 5 lakh per year. Plantation labourers working in Malukkappaarai of Kerala get a daily wage of Rs. 386/- and there is a possibility of this wage being revised. On the contrary, plantation labourers from Valpaarai of Tamil Nadu get a daily wage of Rs. 312/- which is Rs. 74 less than that of paid in Kerala. It amounts to a loss of Rs. 1350/- per month. The livelihood of labourers is affected. I, therefore, urge upon the Union Government to ensure that Welfare Acts are adhered to by estate authorities strictly besides enhancing daily wages and a minimum of 20 per cent bonus and gratuity for 30 days per year, to the plantation labourers of Tamil Nadu. Moreover, the demand from labourers for two fold daily wage for work on holidays should be fulfilled.

(ends)

**Re: Construction of railway platform shed at Canning railway station,
West Bengal.**

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to inform the hon'ble Railway Minister that construction of Railway platform shed at Canning Railway station is a long pending issue. I would be highly grateful if you kindly take necessary steps for the same and instruct your good office for taking earliest action accordingly. Thousands and thousands of daily passengers have been suffering a lot during summer and winter season so it would be a boon for them.

(ends)

Re: Setting up of a Welfare Commission for Fishermen.

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Geo-cultural region in the Indian Subcontinent spans the entire coastline of India of about 7516.6 Km including 6100 km of mainland coastline and coastline of 1197 km of Indian islands touching 13 States and Union Territories. Centrally Sponsored Schemes and department of the Fisheries have different developmental projects on fisheries and aquaculture. However, there is no commission or board in the country to regular follow-up or to meet the practical problems of the Fishermen and their family including their livelihood and social security. The National Fisheries Development Board (NFDB) is engaged to enhance fish production, productivity and development. All the components of CSS are very limited and the budget for the welfare of Fishermen is very less compared to their job status. Almost 18 million people in the country are fishermen/women and India is the second largest fish producer in the world where more than 70 percent have to work on deep sea water and their life is always in nightmare and filled with uncertainty.

Keeping in view real benefits and welfare of the fishermen and their family, there is an urgent need to constitute a commission for fishermen welfare with all members of the Parliament, who are directly involved with fishing community and representing coastal constituencies of the country. I, therefore, urge upon the Government to immediately set up a 'Welfare Commission for Fishermen' of the country.

(ends)

Re: Subsidy to farmers by the National Horticulture Board subsidy scheme

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत 2014-15 के वित्तीय वर्ष में फल उत्पादक किसानों को 40 प्रतिशत और ग्रीन हाउस (सब्जी और फूल) उत्पादक किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। जबकि सब्सिडी योजना का लाभ लेने हेतु किसानों द्वारा बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है।

विगत दो वर्षों से किसानों को इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड को 775 करोड़ रुपये का बजट मिला था और यह स्कीम अप्रैल 2018 से शुरू होनी थी, लेकिन बोर्ड प्रबंध निदेशक द्वारा यह बजट स्कीम दिसंबर 2018 में जारी की गई और बजट की कटौती कर मात्र 300 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया और शेष 475 करोड़ रुपये का बजट वापस कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया, जिसके कारण देश में केवल 281 किसान ही इस योजना के लाभ हेतु आवेदक कर पाये, इन 281 किसानों में से केवल 12 किसानों के आवेदन का मंजूरी मिली, किन्तु आज तक इन 12 आवेदक किसानों को सब्सिडी नहीं मिली और वित्तीय रूप से किये गये बजट प्रावधान से कुछ भी राशि का उपयोग नहीं हुआ जबकि पिछले तीन वर्षों से पेंडिंग प्रोजेक्ट को इसी 300 करोड़ रूपयों में से 250 करोड़ रुपये मंजूर किये गये।

आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड द्वारा लागू किये गये अव्यवहारिक नियमों को समाप्त करने और किसानों को पुनः सब्सिडी दिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान करें।

(इति)

**Re: Need to construct a level crossing at Bagaha in Valmiki Nagar
parliamentary Constituency, Bihar**

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो (वाल्मीकिनगर): मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय 15वीं लोक सभा में बाल्मीकि नगर लोक सभा में सरकार द्वारा स्वीकृत तीन रेल समपार परियोजना के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। 15वीं लोक सभा में मेरे द्वारा कई बार बाल्मीकि नगर लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत तीन रेल समपार क्रमशः हरिनगर समपार सं० 31, नरकटियागंज समपार सं० 22 और बगहा समपार सं० 50 की मांग की गई थी, जिसे सरकार ने स्वीकृत भी कर दिया था। परन्तु स्वीकृत होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। इसके बाद मेरे नेतृत्व में धरना दिया गया। तत्पश्चात् डी०आर०एम० और आर०एम० द्वारा शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने की बात कही गई परन्तु माह बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तब मेरे नेतृत्व में ही चक्का जाम कर ट्रेन का परिचालन कुछ समय के लिए ठप्प कर दिया गया। मेरे साथ खुर्शीद आलम मंत्री बिहार सरकार, विनय बिहारी विधायक, प्रदीप सिंह, पू० वि०, प्रभात रंजन, पू०वि० व मुरली मनोहर, कार्यकर्ता पर सरकार द्वारा केस दर्ज कर दिया गया। हम सब अभी बेल पर हैं।

माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूँ कि सरकार द्वारा दर्ज केस वापस लिया जाए या समाप्त किया जाए और पूर्व में स्वीकृत तीन रेल समपार में दो का ही निर्माण हो चुका है, पर एक समपार सं० 50 बगहा जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके निर्माण कार्य करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराकर निर्माण अतिशीघ्र प्रारम्भ करायें।

(इति)

Re: Development of Ramayan Circuit

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Two years ago, Central Government launched a tourism project Ramayan Circuit under Swadesh Darshan scheme. In this circuit, Ministry included 15 tourist spots in the country having importance of Ramayan era. Out of 15 sites, Mahendragiri in Odisha's Gajapati district was one of them. Odisha Government and our dynamic Chief Minister hailed the decision and people of Paralakhemudi was happy. But unfortunately, the project is yet to be implemented at Mahendragiri though two years have passed. Recently Hon'ble P.M.'s visit to Sri Lanka had given much importance to Ramayan sites. Meanwhile, some of the sites out of 15 have been developed. Mahendragiri in Eastern Ghat has mythological importance. Legends revealed Parsuram performed his Tapasya there. There are five temples dedicated to Yudhishtir, Bhima, Kunti etc at the top of the hill. There is a Sita kunda and a water body is also there. With the limited resources, state government has developed infrastructure there. Lakhs of people gather on the eve of Shivaratri festival. Though ASI has taken up the protection of temples located at hill top, the condition of these temples is in dilapidated situation. So through you I request the Central Government, Tourism Ministry to develop Ramayan Circuit at Mahendragiri so that it could be one of the best tourist spots and a mythological site in Eastern Ghat.

(ends)

Re: Setting up of National Prison Academy, Telangana

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Prisons in our country continue to follow archaic practices and prison officials quite often have been found wanting in dealing with criminals from different backgrounds. Not only this, the jail officials need to think with a different perspective or in a different fashion. Now-a-days, jails are not meant for punishment, but to reform prisoners and make them good human beings before they leave prison.

It is with this sole objective, the Government of Telangana has decided to set up National prison Academy, which is first of its kind in the country, and also allotted 100 acres of land at Vikarabad. The Ministry of Home Affairs approved the proposal and also allocated Rs. 320 crores for this purpose.

The main objective of this Academy is to train prison officials from all over the country, since there is no National Academy to train prison officials, although there are academies set up by some States. But, there is no National Academy for prison administration.

Vikarabad has been aptly chosen by the Government, since there is National Police Academy and also training academy for CISF in and around Hyderabad. The proposal was approved in 2012, but since then gathering dust in the Government. I understand that the work has also been allotted to NBCC.

In view of the above, I request the hon'ble Minister of Home Affairs to allocate sufficient funds and direct NBCC to complete the project by fixing a time-frame.

(ends)

Re: Need to construct railway line on Chandausi-Sambhal-Gajraula section in Uttar Pradesh

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): भारत सरकार में विचाराधीन रेलवे प्रस्ताव जिसमें सम्भल-गजरौला रेल मार्ग निर्माण होना है, को चन्दौसी-सम्भल-गजरौला किया जाना क्षेत्रवासियों के हित में होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव में चन्दौसी को जोड़े जाने में केवल, 15-16 किलोमीटर अतिरिक्त रेलमार्ग का निर्माण होगा परंतु क्षेत्रवासियों के साथ-साथ रेलवे को सुविधा की प्रतिबद्धता तथा आय सहित काफी फायदे होंगे।

चन्दौसी रेलवे जंक्शन काफी पुराना अंग्रेजों के वक्त का मालगोदाम सहित पुराना स्टेशन है, जहां से बरेली-लखनऊ तथा अलीगढ़-इलाहाबाद को सीधी ट्रेनें हैं। चन्दौसी जंक्शन से जुड़ने पर सम्भल जनपद दिल्ली-लखनऊ-इलाहाबाद से सीधा जुड़ जायेगा।

सम्भल व्यापार की बहुत बड़ी मंडी है जहां पर किस्म-किस्म का अन्न पैदा होता है। और यह आलू की भी बहुत बड़ी मंडी है। इसके अलावा मेन्था ऑयल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। हजारों ट्रक माल हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में आता-जाता है। और यह हेन्डीक्राफ्ट की बहुत बड़ी मंडी है।

लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हित में उपरोक्त कार्यों को विशेष रूप से कराने की कृपा करें। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा।

(इति)

**Re: Problem of land erosion in Kokrajhar parliamentary constituency,
Assam**

श्री नबा कुमार सरनीया (कोकराझार): मेरे कोकराझार निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ आती है क्योंकि सभी नदी भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आती है इसलिए उसमें बहाव तेज होता है जिसके वजह से अपरदन व्यापक तौर पर होता है, जिसमें अपरदन के वजह से खेत की जमीन फोरेस्ट की जमीन, घर, रास्ता ब्रिज, पुल भी बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती है। यहां बरसात के समय में पानी ज्यादा हो जाता है और सूखा के समय में पानी की बहत किल्लत होती है। भारत और भूटान सरकार के पास इन नदियों में लाख मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने का योजना है इससे हालत और भयानक होने वाला है। इसलिए सदन के जरिए केन्द्र सरकार से मांग है कि नदी के तल की सिल्ट को बाहर निकलना है। नदी के किनारे में जल संग्रहित करने की व्यवस्था और पेड़ पौधे लगाने का इंतजाम करना है। जल विद्युत पकल्प योजना क्रियान्वयन करने के समय लोगों की जान मालों की सुरक्षा का पक्का इंतजाम करना, नदी के किनारे बाढ़ रोधन लगाना ।

(इति)

SPECIAL MENTION

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): The SBI has conducted a preliminary examination for over 8,500 posts of Junior Assistants in the clerical cadre. The DMK leader, Shri M.K. Stalin, has pointed out that the cut-off marks for the General Category is 61.25 per cent; for Backward Classes it is 61.25 per cent; for Scheduled Castes and Scheduled Tribes it is 53.75 per cent; but for the Economically Weaker Sections the passing percentage is 28.50 per cent. It is just 28.50 per cent.

This fails any logic. How is the qualifying mark for them is substantially lower than that of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes also? We had warned that this would happen when the economic criterion was brought in for reservation. This has usurped the opportunity of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This is a brutal form of social injustice against the Constitution. This is against the protection Dr. Babasaheb Ambedkar had promised to us.

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF MUSLIM WOMEN
(PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ORDINANCE
AND
MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) BILL**

1244 hours

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 15 और 16 पर एक साथ चर्चा की जाएगी।
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, आप संकल्प पेश करें।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move the following resolution:

“That this House disapproves of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (No. 4 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019.”

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

(1245/RV/SM)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): जी, सरा...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले इन्हें अपनी बात बोलने दीजिए।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I want to move my amendment to the motion moved by the hon'ble Minister.

I beg to move:

“That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 23rd October, 2019”

1245 बजे

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बहुत संक्षेप में इस बिल की भूमिका सदन के सामने विनम्रता से रखना चाहता हूँ।

सर, कुछ तीन तलाक से पीड़ित बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2017 के फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। पाँच जजों की बेंच थी। हम यहां इसलिए आए हैं कि यह बिल पहले यहां से पारित हुआ था और उसके बाद यह राज्य सभा में गया था। चूंकि हाउस डिजॉल्व हो गया था तो हमें फिर से यहां आना पड़ रहा है, जो हाल बाकी ऑर्डिनेंस का हुआ है। हमें इसके लिए ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा, प्रेमचन्द्रन जी के लिए मैं इसका भी उत्तर दूंगा।

सर, चूंकि कई माननीय सदस्य नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा समय लेकर इस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन फैसले दिए। एक फैसला दिया जस्टिस नरीमन और जस्टिस ललित ने। उन्होंने कहा - "Triple talaq is arbitrary, unconstitutional and, therefore, is invalid". उन्होंने उन्हें यह कहा। दूसरे जज थे माननीय जस्टिस कूरियन। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को कुरान शरीफ में ही गलत बताया गया है, what is not right in the Sharia, cannot be right in law. इसलिए उसे उन्होंने गलत पाया। दो जज, तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री केहर और जस्टिस नजीर ने यह पाया कि यह शरिया का इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए और उन्होंने अपने निर्णय में दुनिया के लगभग 20 इस्लामिक देशों को भी विस्तार से देखा जहां शरिया को बदला गया है, तीन तलाक, तलाक-ए-बिद्दत को बदला गया है, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, ईजिप्ट है, ट्यूनीशिया है और बाकी देश हैं।

सर, जस्टिस केहर की एक बात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि सदन को कानून बनाना चाहिए तो उनकी टिप्पणी की एक बात को मैं आरम्भ में कहना चाहता हूँ। यह पैरा 199 में है। I am quoting: "We would, therefore, implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart, while considering the necessary measures requiring legislation."

सर, हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद और कानून लाने के बाद यह मामला रुकेगा, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे सदन के सामने यह बताने की आवश्यकता है कि जनवरी, 2017 से अब तक 574 तीन तलाक के मामले आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही 345 मामले आए हैं। इसकी मैं तारीख दे रहा हूँ कि यह 24 जुलाई, 2019 तक की है यानी दो-तीन दिन पहले तक की है। यह सूचना वह है, जिसे हम समाचार-पत्रों से इकट्ठा कर पाए हैं।

सर, मैं सदन के सामने बहुत पीड़ा से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। यह अखबार 15 जुलाई, 2019 का है। इसमें है - 'निकाह के बारह घंटे के बाद शौहर बोला - तलाक, तलाक, तलाक' वजह

क्या थी? पत्नी तम्बाकू वाला मंजन करती थी। उसे गुल बोलते हैं। उसे तीन तलाक दे दिया। इसे देखिए - 'पत्नी ने सब्जी के लिए माँगे 30 रुपये तो शौहर ने कहा - तलाक, तलाक, तलाका' इसकी तारीख है - 29 जून, 2019. यह ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) 25 जुलाई, 2019 की है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, किसी का नाम और अखबार का वर्जन यहां न रखें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, लेकिन यह बताना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष: आप न ही अखबार का नाम बोलें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं समझ गया। मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं कि एक मोबाइल ऑपरेटर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। उसका ऑपोज किया तो कह दिया - तलाक, तलाक, तलाका।

सर, एक सवाल है कि ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए?

(1250/MY/AK)

सर, तीन सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल है कि अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने तीन तलाक को नियंत्रित किया है, तो हिन्दुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? उसे ऐसा करना चाहिए। यह पहला सवाल है। जो दूसरा सवाल है, वह बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि संसद कानून बनाए। जब हम कानून बनाकर आए, तो कहा जा रहा है कि इसका विरोध करें। हमारी जो विकिटम बहनें हैं, क्या वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगें? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है?

सर, हमारे संविधान के लगभग 70 साल हो गए। आज जब बार-बार उधर से बात आती है, तो संविधान की दुहाई दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की फैसले की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? उसे मैंने पढ़ दिया है। भारत के संविधान की जो कोर फिलॉसफी है, मैं तीसरी बात कह रहा हूँ। जेंडर जस्टिस और महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। इसको हमें समझने की जरूरत है। चाहे वे किसी समाज से आते हों, उनका धर्म-ईमान कुछ भी हो, हिन्दुस्तान की बेटे तो हिन्दुस्तान की बेटे हैं और भारत का संविधान सभी बेटियों को एक समान देखता है।

सर, आज मैं अपने प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। जेंडर जस्टिस, हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं कुछ मुद्दे गिनाता हूँ। हम लोगों ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम शुरू किया। हमारे पोस्टल विभाग ने 'सुकन्या समृद्धि योजना' चलाई है। उसमें लगभग 1 करोड़ 26 लाख बेटियों ने 28,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसके माध्यम से उनकी सुविधा की चिंता की गई है। उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए है। मैं डिजिटल इंडिया का काम देखता हूँ। हमारे कॉमन सर्विस सेन्टर को 73,000 महिलाएं चलाती हैं और उनका एम्पावरमेंट देख कर खुशी होती है। जो नाबालिग के साथ रेप करता है, उसको फांसी की सजा इसी सदन ने दी है। अभी दो दिन पहले पॉक्सो कानून पारित हुआ। आपने भी परसों देखा होगा।

आपने देखा होगा कि इसी सरकार ने भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी। यह आपने देखा होगा कि आज चन्द्रयान हो या मंगलयान हो, हमारी महिला वैज्ञानिक उसको लीड कर रही हैं। आज मैं जब से इस सदन में हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा संतोष इस बात की है कि इस सदन में पहली बार हमारी 78 बहनें लोक सभा की मेम्बर बन कर आई हैं। ... (व्यवधान)

सर, इस बार मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे पटना साहिब की जनता ने मुझे इस हाउस का मेम्बर पहली बार इलेक्ट किया है। जब मैं इस हाउस का मेम्बर बना हूँ, तो मुझे एक बात कहने की इच्छा होती है कि कहीं खामोशी भी है, एक आवाज़ खामोश है, वह कहानी कभी और सही, लेकिन इस सदन की आवाज़ तीन तलाक के मामले में खामोश नहीं रहेगी, बल्कि न्याय दिलाकर रहेगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ और इस सदन से मेरी एक अपील है, बाकी मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा, जब बहस चलेगी। यह सदन बहुत ऊंचाई पर जाता है। इसकी परंपरा जो 70 साल की है, एक से एक मामले में यह सदन ऊंचाई पर गया है। आज इस सदन से मेरी क्या गुजारिश है - इस मामले को सियासी चश्मे से न देखें, इस मामले को धर्म तथा ईमान के चश्मे से नहीं देखें। यह सवाल इंसाफ और इंसानियत का है और इसी चश्मे से देखें। यह मामला न सियासत का है, न धर्म का है, न ईमान का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है, बल्कि यह मामला नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का है।

सर, मुझे केवल एक अंतिम बात कह देनी है, फिर मैं बहस जरूर सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा। जब हम इसको लेकर आए थे, तो कुछ आशंकाएं आई थीं। हमने उन आशंकाओं को मिटाया है। पहली आशंका थी कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति पड़ोसी को तंग करने के लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा? हमें लगा कि यह बात सही है, इसलिए हमने कहा है कि अब यह मामला तभी दर्ज होगा, जब विक्टिम बेटि या बहन या उसकी शादी से संबंधित कोई पारिवारिक रिश्तेदार केस करेगा। दूसरा, जो कहा गया था कि समझौते की गुंजाइश रखी जाए। अब वह भी कर दिया गया है। तीसरा, बेल के बारे में भी कहा है कि विक्टिम पत्नी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है।

(1255/CP/SPR)

ये तीनों सेफगार्ड्स, जिनकी चर्चा बार-बार हुई थी, इसमें रखे हैं। मैं आज इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस बिल को एक स्वर से पास करिए, ताकि इस मुल्क की बेटियों को एक संदेश जाए। ... (व्यवधान) हम आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्या करें? हम कोशिश करते हैं। I am not a Barrister from England. मैं पटना लॉ कॉलेज से पढ़ा हूँ। जैसा मैंने बताया कि आर्डिनेंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महिलाएं सफर कर रही हैं। हम उनको क्या कहते कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एक बहुत ही लायक दोस्त प्रेमचन्द्रन साहब हैं, वे डिसअप्रूवल का रिजोल्यूशन ले आएंगे। देश ऐसे नहीं चलता है। अगर आर्डिनेंस करके इस देश की खवातीनों को इज्जत देनी थी, तो It is the best use of Ordinance provision as far as this law is concerned.

सबसे अधिक 74 मामले यूपी के आए हैं। आज मैं यूपी सरकार का अभिनन्दन इसलिए करूंगा कि उन्होंने कार्रवाई की है, चार्जशीट दाखिल की है। मैं चाहूंगा कि बाकी स्टेट भी ऐसा करें। हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम उनको न्याय दिला सकें।

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।”

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

“कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे 23 अक्टूबर, 2019 तक परिचालित किया जाए।”

1256 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. My Statutory Resolution is there; my amendment to the Motion moved by the hon. Minister regarding the consideration is there; and the discussion on the Bill is there. So, my humble submission before the hon. Speaker is that I may be permitted some more time since I am the mover of the Resolution.

Sir, I rise to oppose both the Ordinance and the Bill which has already been introduced or taken for consideration by the hon. Minister. Hon. Minister in his opening remarks has made an eloquent and elaborate speech regarding the necessity for promulgating the Ordinance as well as taking up the Bill for consideration. I would first like to dispute the arguments advanced by my very learned Law Minister of this country, Shri Ravi Shankar Prasad *ji*. He has stated in the House that it is necessitated only because of the Supreme Court judgement. The Supreme Court judgement is a five-member judgement. It is a 3:2 judgement. You may please note that Justice Nariman and Justice U.U. Lalit had held that the 1937 Muslim Personal Law, that is, *Shariat Application Act*, insofar as it refers to Triple *Talaq* violated Article 14 of Indian Constitution, that is, the right to equality. Justice Kurian instead argued that Triple *Talaq* was not a valid practice in Islam, and was, therefore, illegal. Sir, it is 2:1:2.

Sir, the minority view was held by Chief Justice Jagdish Singh Khehar, and Justice Abdul Nazeer was of the opinion that Triple *Talaq* was undesirable, and the court could not strike it down and only Parliament could legislate on the matter. So, the judgement of the hon. Supreme Court is 2:1:2 in actual figures and terms. Now, the Government is coming up with a legislation on the basis of a minority or dissent judgement. The hon. Minister was arguing his case that they are legislating because of the directives of the Supreme Court.

If that is the case, then, I would like to ask a simple question to the hon. Minister regarding Sabarimala issue. What is the legal and political position of the BJP-led NDA Government in respect of Sabarimala issue? What had the Prime Minister stated during the elections in Kerala, in Chennai and in south Indian States? So, I would like to seek the clarification from the hon. Minister on the fact that the Supreme Court has never directed the Government to make a legislation to ban the Triple *Talaq*. All India Muslim Personal Law Board has sworn in an affidavit before the Supreme Court that it is not the court but Parliament to make a law on this issue. Based on that, the minority or dissent judgement had come. Only two Judges have suggested to have a legislation.

(1300/UB/NK)

If the Government is so pertinent and significant in promulgating an Ordinance and to make a legislation so as to protect the Muslim women in the country, then, Sir, mob lynching is also there in the country. Last week also, three persons were killed by the mob and the hon. Supreme Court has already specifically directed the Government to have a legislation on it. Why is the Government not ready to initiate a legislation on mob lynching? I am not going into the history of this case. This is being done with a clear political motive – to target a particular community in the country and there is no doubt about it.

Three Ordinances have been promulgated. The first Ordinance was promulgated on 19th September, 2018, the second Ordinance was promulgated on 12th January, 2019 and the third Ordinance was promulgated on 21st February, 2019. Consecutive Ordinances have been promulgated so as to ban *Triple Talaq*. I cannot understand what was the necessity and emergency for promulgating an Ordinance. There is no justifiable answer.

Sir, continuous promulgation of Ordinances one after another is lacking bona fide; it is with a political motive – to target a particular community. This is a specified targeted agenda of the BJP-led Government in the country. That is the first point which I wanted to make.

1258 hours

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Sir, you are very well aware that article 23, a well-established constitutional position, can be invoked only under extraordinary and compelling circumstances. No extraordinary and compelling circumstances are prevailing in the country so as to promulgate this Ordinance. Sir, the seven-judge bench of the hon. Supreme Court on 2nd January, 2017 in the case of Krishna Kumar vs. State of Bihar held, “Re-promulgation of an Ordinance is impermissible and is a fraud on the Constitution”. Sir, it is a big dictum on the part of the Supreme Court. Consecutive promulgation of Ordinance is a fraud on the Constitution. Further, it says, “The Ordinance-making power does not constitute the President or the Governance into a parallel source of law-making authority or an independent legislative authority”. So, here in this case, this is an abuse or misuse of Constitutional provisions under article 123. Hence, I oppose the Ordinance route of legislation.

Sir, I am coming to the contents of the Bill. The contents of the Ordinance and the Bill are against the interests of the Muslim men and women. As per the Statement of Objects and Reasons, the Bill is intended to prevent discrimination against the Muslim women and for the empowerment of Muslim women. The Supreme Court Judgment in the case of Shayara Bano vs. Union of India which was held on 22nd August, 2017: *Talaq-e-Bidat*, i.e. an instantaneous and irrevocable divorce by a Muslim husband on his wife is null and void. This is the Judgment of the hon. Supreme Court on 22nd August, 2017 which means an instantaneous and irrevocable divorce given by a Muslim husband on his wife is null and void. It means that it is *void ab initio* –the marriage has no legal sanction; no legal sanctity; and the marriage status is still subsisting. That is the position. I would like to know, what is the need for a new law on *Triple Talaq* when the hon. Supreme Court's verdict is the law of the land?

I would like to quote one of the fundamental maxims of criminal jurisprudence, "*Nullum crimen sine injuria*". That means, no person shall be punished for an attack that does not prove to be significantly harmful to anyone. Here, Sir, after 22nd August, 2017, i.e. after the pronouncement of the Judgment, an act of *Talaq-e-Bidat* does not in any way harm or violate the rights of a Muslim wife unless the husband refuses to perform the conjugal responsibilities or duties upon him or the wife is forced to leave from the residential place of the husband. Only in these two circumstances, you can invoke it. If these two circumstances exist, we have Section 498A of the Indian Penal Code which can be invoked and we also have the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. You can very well invoke it. What is the necessity and need for another law? Sir, I am moving the Resolution, please give me some more time. (1305/KMR/SK)

Section 498A of IPC as well as provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 are applicable here. So, what is the necessity of having such a legislation?

Secondly, this is about criminalising a civil wrong. At the time of introduction of the Bill a very detailed narration has already been given. It is absolutely a personal law. How can a wrong arising out of a personal law be treated as a crime under criminal law? A dispute arising out of a marriage has never been considered a crime within the purview of the criminal law. Marriage

disputes in all religions are covered by personal laws and are treated as civil wrongs. Matters of marriage, divorce, succession, etc., are considered as civil wrongs.

Imposing the punishment of imprisonment for three years for divorce is not applicable to any other community. Why are you not imposing imprisonment for divorce in the Hindu community? Why are you not imposing imprisonment for divorce in the Christian community? Why do you want to have it only in the Muslim community? That is why I say that this is a discrimination against the Muslim community. This is violation of Article 14, violation of Article 15, and violation of Article 25 of the Constitution.

The provisions of the Bill contradict each other. Clause 3 says that if instant talaq is pronounced by a Muslim husband upon his wife, it will be null and void. Clause 4 says that the punishment is imprisonment for a period of three years. Clause 5 says that the wife is entitled to claim maintenance from the husband. My simple question is, how can a jailed husband provide maintenance to his wife? Is this protecting the rights of women? If a wife is claiming compensation or maintenance or subsistence allowance from her husband who is in jail, how will he be able to give it? And it says the wife is entitled to the custody of children. If talaq is void and illegal, why are you separating the husband and wife from cohabitation under a single umbrella? Why are you separating them? Why are the children being separated from their father?

As per the CrPC, police is the complainant and prosecution is initiated by the police. Here, the woman upon whom talaq is pronounced shall be heard for granting bail. They are also not to get bail. That provision is also there.

The Bill is not intended to protect the rights of Muslim women but to harass the Muslim husband. Three-year imprisonment of husband while the marital relationship is subsisting, such a provision in legislation is never even heard of. This lacks bona fides. This is brought in with the ulterior political motive to target the Muslim community and violate the basic principles of criminal jurisprudence, and hence I oppose it.

With these words, I conclude, Sir. Thank you.

(ends)

1308 hours

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I would like to endorse the views expressed by Shri Premachandran here. The hon. Minister has very skilfully argued his case. Unfortunately, that is not at all convincing for the stakeholders of this country, that is, the major minority community of India. Why is the Government not at all bothered about that? According to the hon. Minister, this maybe a very genuine case and it is very beneficial to the relevant minority community, the Muslim community. But why is he not having even one consultation? Has any Muslim organisation, minority organisation, ever supported him on this? If it is so beneficial for them, why is it not at all convincing to the major minority community of this country? What is the need for you to make it an issue?

(1310/SNT/MK)

It is discriminatory as Shri Premachandran told here now. Generally, you are not doing this discrimination with any other community on any other issue. This is the only issue. I do not think that the statistics establish your argument. Of course, the Supreme Court has given its judgement that the triple talaq has come to an end. Where has the Supreme Court told that the Government should bring a law? You are saying that it is reported in this or that paper. So many such arguments are there. That is what the hon. Minister is saying here. That is the reason for bringing this Bill. ...(*Interruptions*) Sir, I have sacrificed two minutes for the Congress Party. That is why you have given me permission.

I do not think the statistics establish your argument. As per the last census, the percentage of divorce among Muslim communities is very minimal. No statistics establish your argument. I should bring to your notice that it is only 0.56 per cent, whereas, in other communities, it is much higher. So, what is the reason for you to bring this Bill? Major minority community of the nation as well as the whole country knows that it is nothing but your political agenda. Now, the election is over and you have convincing majority, absolute majority. So, what is the need for you to pass such a legislation in a hurry? What you are doing here is you are going ahead with your political agenda, nothing else. That is the reason for this discrimination.

Sir, we are a minority party. We have supported the Sabarimala issue. We are believers and you are also believers. Shri Premachandran was talking about that. So, why is this double standard? Why is this discrimination? Are you not ashamed? Is it not shameful to have discrimination and make the argument so convincingly? Any lawyer can make a bad issue a good issue. That is what I should say to our hon. learned Minister. So, you have to withdraw this Bill. Since you are having a convincing majority and the election is over, political agenda can be set aside. At least you should have a reconsideration about that and withdraw the Bill. That is what I say and you should consult others on this issue.

(ends)

1313 बजे

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी तो मुझे अचानक इन सबको याद दिलाने के लिए जवाहर लाल नेहरू जी की याद आई। जो स्ट्रगल जवाहर लाल नेहरू जी की थी, उनसे एक आंद्रे मेलरॉक्स नाम के फ्रेंच जर्नलिस्ट ने पूछा- "What has been your greatest difficulty in independent India?" And his answer was, "To make a just society on the basis of just laws." And not just this, he also said, "...perhaps to create a secular state in a religious country." क्या यही दिक्कतें आज प्रधान मंत्री मोदी जी की नहीं हैं? Creating a secular state in a religious community और उस समय के तमाम जो भाषण दिए गए और जो-जो विवाद खड़े किए गए, चूंकि यह बिल पहले भी दो बार आ चुका है तो जितने भी विवाद खड़े किए गए थे कि धर्म संकट में है, यह डिवाइज लॉ है, इसके बिना पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, यह मुसलमानों के हूकूको का सवाल है, आदि सब प्रश्न उठाए गए थे। ठीक इसी प्रकार की बहस उस जमाने में भी हिन्दू कोड बिल को लेकर हुई थी। ठीक उसी बहस के अंदर, जैसे आजकल सुनने में आता है कि वर्ष 1986 के बाद की एक बॉडी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक इसी किस्म की एक बॉडी ऑल इंडिया एंटी हिन्दू कोड एसोसिएशन तब भी बनी थी, यह भी उसके खिलाफ बनी थी। उस जमाने में भी, अभी कुछ समय पहले जब हम एनआईए और अन्य विषय पर बहस कर रहे थे, तब भी आया था।

(1315/GM/YSH)

मेरे मित्र पिनाकी जी यहां नहीं है, उन्होंने यह बात उठाई थी कि एक विशेष कौम के लोग ज्यादा फंसते हैं, जिसका कारण आर्थिक व्यवस्था है। I want to tell that it is not just economic backwardness, but the backwardness of mind and thought and that needs to be corrected. The thinking that religious law is immutable is wrong. People, who think that religion will control every aspect of social life, are wrong in their thinking and this is what needs to be corrected. When the Hindu Code Bill, which was a difficulty, was brought अम्बेडकर जी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि यह उनके मन की इच्छा थी कि हिन्दू कोड बिल आए। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो एक मुख्य आधार था कि वे हिन्दू कानूनों को, जो जाति में बंटे हुए थे, तमाम तरीके के विवाह आदि जो समाज को कभी भी एक नहीं कर सकते थे, उन सबको रोकने के लिए वे कानून लेकर आए थे और उस कमेटी की अध्यक्षता उन्होंने खुद की थी। हिन्दू कोड बिल को बनाने में और लाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्री जवाहर लाल नेहरू की भी थी। आज मैं इन लोगों के बारे में सोचती हूँ। मैं जस्टिस चागला के बारे में सोचती हूँ, जो एक बेहतरीन मुसलमान थे। उनका कहना था कि संविधान का जो कानून है, वह किसी एक कौम के लिए नहीं है। वह भारत की जनता के लिए है और आर्टिकल 44 को आप बिल्कुल नेस्तनाबूद नहीं कर सकते और उसको डेड लैटर नहीं बना सकते। You have

to get out of this problem. यह कानून पूरे भारत की जनसंख्या के लिए है। भारत के हर व्यक्ति के लिए है। उसका प्रोटेक्शन हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। I can use the phrase for Justice Chagla that he must be turning in his grave. People like Nehru and Ambedkar must be wondering at the kind of people who succeeded them, because their dream of making India as one nation, their dream of having equality amongst people seems to have been forgotten by the people. This entire book is on the kind of difficulties that existed in post-Independence India. उस कानून को बनाने में क्या-क्या तकलीफें हुईं, अम्बेडकर जी को सदन में क्या-क्या कहना पड़ा और किस-किस तरह के विवाद खड़े किए गए, जैसे धर्म संकट में है, डॉ राजेन्द्र प्रसाद जैसे व्यक्ति ने भी उसका विरोध किया था, उसके बावजूद वह कानून लाया गया और उस कानून को लाने का फल हमें आज मिल रहा है। जो समाज में बदलाव आए हैं, जो महिलाओं को अधिकार मिले। Basic things like polygamy हमारे यहां भी थी। कोई सुधरे हुए लोग नहीं थे। वे कानून के डर से सुधरे हैं। Succession Act बहस में अम्बेडकर जी को कहना पड़ा कि एक चौथाई माइनोरिटी सक्सेशन फॉलो करता है जब एक चौथाई देते हो तो बराबर का अधिकार लड़कियों को भी दे दो। That is how the succession law changed. दलित समाज के अन्दर एक कानून था कि तलाक हो सकता है। बाकी समाज तलाक ही नहीं मानता था। It is a sacrament आप तलाक नहीं ले सकते भले ही कोई आदमी कितना भी निर्दयी हो, कोई औरत कितनी भी खराब हो divorce is an impossibility. दलित समाज के कानून को आधार बनाकर यह हक सभी को दिया गया कि सभी को तलाक का अधिकार है...(व्यवधान) आप बैठ जाइए। आप हिन्दू महासभा की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कुछ सीखिए, मैं जवाहर लाल नहेरू जी की बात कर रही हूँ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं भारत की संसद में खड़ी हूँ और एक सांसद हूँ। महिला अधिकारों की बात कर रही हूँ। अगर हिन्दू महासभा की गलती थी तो वह भी बता रही हूँ, आज उसी गलती का दुरुपयोग करके जब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो उस पर भी रोक लगाना चाहती हूँ। मैं इस संसद में यह बताना चाहती हूँ कि इस देश का एक ही धर्म है और वह है भारत का संविधान। आपके जो धार्मिक अधिकार हैं वे अधिकार आपके घर के अन्दर हैं। घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है।

(1320/RPS/RSG)

घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है। No area can be away from constitutional protection. That has been repeatedly given colour by the Supreme Court's enactments and orders. Somebody was talking about Sharia courts. I think, Shri Premachandran mentioned that in Uttar Pradesh those courts exist and must continue to exist. This has been the observation of Supreme Court in Raghunath vs. Union of India in 1994 on what the State's role is, could there be a parallel judiciary in the country, how could a parallel judiciary exist when

judicial role is assigned to Judiciary under the Constitution of India; probably he chose not to quote it but I am just quoting it. The Constitution of India is a paramount document on the basis of which each person needs to be granted protection and laws.

अब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर क्या रही है? कभी दस करोड़ शौचालय बनवा देती है, कभी महिलाओं का 12 करोड़ गैस के सिलेंडर बंटवा देती है और जब कुछ नहीं मिला, तो नरेन्द्र मोदी जैसा हिन्दू व्यक्ति मुसलमान बहनों का भाई कैसे हो सकता है, यही सोचते हैं ये लोग। भूल जाते हैं कि भारत का संविधान है और वे भारत के प्रधान मंत्री हैं और भारत का प्रधान मंत्री होने का हक अदा कर रहे हैं। वह हक जो जवाहर लाल नेहरू जी के बाद राजीव गांधी जी अदा कर सकते थे और उन्होंने अदा नहीं किया। मैं वह इतिहास भी बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ष 1984-85 में जब शाहबानो का केस आया, उससे पहले भी ऐसे केसेज हो चुके थे, शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको वही मौका दिया था, जो शायरा बानो के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि कानून बनाकर, जितने भी विवादास्पद मामले हैं, इनको समाप्त किया जाए। किसने विरोध किया उस बात का? वर्ष 1986 में आप क्या लेकर आए? प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमन ऑन डिवोर्स एक्ट। ये डिवोर्स की बात करते हैं, हम निकाह की बात करते हैं। ये घर तोड़ने की बात करते हैं, हम घर बचाने की बात करते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है। ... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): दिवाली और रमजान ... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): दिवाली और रमजान की भी बात करेंगे... (व्यवधान) सभी बातें कर रही हूँ... (व्यवधान) दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में शरिया कोर्ट्स बन्द कर दिए होते तो वहां की औरतों के साथ यह अन्याय नहीं हुआ होता... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): उस अन्याय का सबसे मुख्य कारण वे शरिया अदालतें हैं, जो इनके समय में चलती रहीं। ... (व्यवधान) ये वहां मुख्य मंत्री थे। किस तरह के मुख्य मंत्री थे, जो कि मुसलमान औरतों के हकूक को नहीं बचाना चाहते थे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): बाद में जब आपका अवसर आएगा, तब आप बोलिए। प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, she is speaking as if he is not entitled to defend himself. ... (Interruptions)

माननीय सभापति : अखिलेश जी, बैठ जाइए। प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Akhileshji, no, you are not allowed. Please sit down.

... (Interruptions)... (Not recorded)

माननीय सभापति : प्लीज, आप बैठ जाइए। वह यील्ड नहीं कर रही हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You can speak only when your turn comes; not now. She is not yielding. Please co-operate.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : जब आपका अवसर आएगा, तब आप बोलिए। अभी मत बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अवसर दिया जाएगा। बैठ जाइए। She is not yielding. Please co-operate. आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ:

“निकाह निकाह न रहा, मजाक बन गया।
तलाक, तलाक, तलाक और तलाक हो गया।”

कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा और खत्म, एक बेबस औरत बच्चों के साथ रात में घर से बाहर। क्या एक औरत सिर्फ बीबी होती है? क्या उसके कोई मां-बाप नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वह किसी की बेटी नहीं है, वह किसी की बहन नहीं है, वह किसी की मां नहीं है? जो लोग धर्म के नाम पर साक्षी देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यह कानून धर्म के प्रति अन्धा है। ... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): सभापति जी, अखिलेश जी बहुत सीनियर मेंबर हैं, पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं, जब एक महिला सांसद महिलाओं के न्याय के बारे में बात कर रही हैं... (व्यवधान) आपको भी समय मिलेगा, आप अपने समय पर जरूर बोलिए, लेकिन बीच में टोका-टाकी मत कीजिए। ... (व्यवधान) इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ... (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): How many Members from the Ruling Party will speak like this? ... (Interruptions)

(1325/RAJ/RK)

माननीय सभापति: मीनाक्षी जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप सभी बैठ जाइए। जब अवसर दिया जाएगा तो वह बोलेंगे। केवल मीनाक्षी जी जो बोल रही हैं, वह रिकॉर्ड में जाएगा।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The Hindus were singled out, partly because they were the largest community, and also because there were vigorous reform movements among them. Mahatma Gandhi, in particular, had challenged the discriminations of caste and gender by seeking the abolition of untouchability and bringing women into public life. इन सभी कारणों से समाज में बदलाव आया और उनकी वजह से देश में बदलाव आया। कुछ लोग पिछड़े रह गए। Some people lived in the past, lived with the medieval mindset. Those changes need to be brought forward and those changes are called for. It is a very simple thing. I talked about monogamy being mandatory, Succession Act, giving equal rights to girl child, and abolition of caste system. अंतरजातीय विवाह या एक ही जाति के कास्ट के बीच में विवाह, ऊपर भी रोक थी। वे सब भी नहीं हो सकते थे। इस देश में दो-दो सिस्टम्स थे- मिताक्षरा, दायभाग। उस सिस्टम में भी बहुत सारी वेरायटीज थीं। उन सभी में कोडिफाई करके बदलाव लाया गया। Towards the end, even the Britishers brought the Shariat Act ताकि मुसलमान औरतों और बाकी लोगों को डिवोर्स का अधिकार मिल सके। ऐसा कहना कि इम्यूटेबल है, कोई बदलाव संभव नहीं है, वह गलत थ्योरी है। वह गलत थ्योरी इसलिए है कि समाज बदलता है, कानून बदलते हैं और नई समस्याओं से जूझने के तरीके भी बदल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि समस्याएं वही हैं, जो वर्ष 1947 के पहले और उसके बाद थीं, सिर्फ क्षेत्र बदल गया है। उस क्षेत्र को संविधान के अधिकार के दायरे में ठीक करने की जरूरत है और हमारी कोर्ट्स वही कोशिश लगातार कर रही हैं। बाकायदा कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया, “what is it that is missing? Why are we unable to implement these judgements?” The Court said, the answer is, ‘political courage’. This is a judgement. I am not saying it myself. This is a judgement of the Court that it is the political courage which is missing out and it is for this reason that we are not able to settle this. This political courage is sought to be shown by this Government for the simple reason because earlier Governments were trying to appease certain sections to get their votes. We are trying to bring everyone together, and bring everyone on the path of progress. The path of progress is important.

If you look at other countries, 22 Muslim countries have given up this practice. दो ऐसे देश जो भारत का हिस्सा थे और आजादी के बाद अलग हुए – पाकिस्तान और बांग्लादेश। जो धर्म के आधार पर बने थे, वे सेक्युलर नेशंस नहीं थे। मुसलमान, हिन्दू एवं अन्य धर्म के जो लोग इस देश में रह गए, वे सेक्युलर्स हैं। जो धर्म को मानते थे, जो धर्म को अपने समाज का आधार बनाना चाहते थे, वे दूसरे देश में चले गए। They, who wanted a religion-based society, have gone to other countries. The basis of a religion-based society was two nation theory. If we go by this thought, this is nothing but a remnant of an

old thought, which is that religion is the basis and communities cannot live together. We have proved that this is wrong. We have shown that religion cannot be the basis of social interactions. To amend that thought, to get out of the thought process that religion can be the basis of any society, we built a secular India - secular India, which protects the women, takes care of the Dalits, where men and women are equal, where there is gender justice, and where there is justice for everyone. Why should a section of society be neglected and left to the *quam*?

(1330/IND/PS)

जो उन्हें करना है, वह कौम तय करेगी। क्या कभी स्वेच्छा से कानून पास होते हैं? क्या स्वेच्छा से हिंदू लॉ पास हुआ था? क्या आपको लगता है कि लोग चाहते थे कि उनका पोलीगैमी का अधिकार खत्म हो जाए, मुझे नहीं लगता है। जब कानून बना, तो वह रुक गया। मुझे नहीं लगता कि सक्सेशन एक्ट में कोई पुरुष प्रधान समाज औरतों को, बेटियों को बराबर का अधिकार देना चाहता होगा। ये अधिकार दिए नहीं जाते हैं, ये अधिकार लिए जाते हैं। These laws have given us the right to be equal and these are the laws which can give right to the ones who have been left out. Who were left out? The Muslim women were left out of the process of changes which happened in the Hindu society.

महोदय, कैथेलिक क्रिश्चियन में डायवोर्स का लॉ नहीं था, लेकिन अब आ गया है। हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, लेकिन सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी उसमें इन्क्लूडेड हैं, वे सबके अंदर इन्क्लूडेड हैं। The law can precede the changes. We have seen that 70 years have not been adequate time to bring those changes. Somebody has to initiate those changes. Somebody has to show that political courage, which this Government has chosen to showcase.

I come back to the area of Quran. कुरान की आयतों की बाद में बात करूंगी, लेकिन कुरान का मूल वक्तव्य है – ‘पापी को मिलेगा पाप का प्रतिफल, किसी पर अन्याय नहीं होगा।’ आप बताएं कि मुसलमान औरतों पर अन्याय हो रहा है या नहीं? यह बात भी देखने वाली है कि अन्याय की डेफिनेशन वे लोग तय करते हैं, जो खुद विक्टेमाइज करते हैं, एक्सप्लॉएट करते हैं या वे लोग जो स्वयं उस विक्टेमहुड के शिकार हैं। विक्टेमहुड के शिकार वाले लोग कोर्ट चले गए। यहां वे लोग बहस कर रहे हैं, जो स्वयं कानून का नाम लेकर, धर्म को आधार बनाकर एक्सप्लॉएट करते हैं। इसकी इजाजत तो कुरान नहीं देता है। किसी पर अन्याय नहीं होगा, यह मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा कुरान कहती है। उसी तरह हिंदू समाज के लिए है –

“रामराज्यवासी त्वम्, प्रोच्छ्रयस्व तेशिरम्,
 न्यायार्थ युद्धस्व सर्वेषु सम चर
 परिपालय दुर्बलम् विधि धर्म वरम्
 प्रोच्छ्र यस्व तेशिरम्, रामराज्यवासी त्वम्”

It means that you live in Ram's Kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know the rule of law is above everything. यह रामायण कहती है। आप चाहे कुरान पढ़ें या रामायण पढ़ें, समाज में कैसे रहना है, वह अधिकार आपको वहां से मिलते हैं। राज धर्म क्या होता है, वह आपको संविधान बताता है। Everything which is contrary to that, is propagated in the name of religion. This is the tragedy of this country. I genuinely fail to understand this. अगर साधारण भाषा में कहूं – ‘जो सोया उसे अल्लाह जगाए, जो जागते-जागते सो रहा है, उसका क्या करा जाए।’ इस संसद में सभी पढ़े-लिखे हैं और लोगों को समान अधिकार देने वाले बैठे हैं। यहां बहुत शिक्षित सामर्थ्यवान लोग हैं। अगर यही लोग उन अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कौन समझाएगा। Somebody has to come forward to bring a change. I genuinely feel this. मीनू मसानी और ऐसे ही अन्य लोग, जितना आप कांस्टीट्यूशनल डिबेट्स में जाते हैं, जितना एर्युडाइट मुसलमानों की बातों को पढ़ते हैं, तो लगता है कि वे कहां गए। ये इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हैं, ये सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग थे। This has changed and we are becoming more orthodox by the day. Why should we be orthodox? All of us are liberal people. All of us need to understand this aspect that women of this country are the biggest minority in this country. Let us give them gender justice. We can only afford that gender justice once all of us work together to achieve that target.

Sir, the argument has been to ‘scrap it’. That is the first argument which is going on. I must say the only way to do that is to amend the Constitution. जिस संविधान ने राइट टू इक्वेलिटी दिया है, जब तक आप राइट टू इक्वेलिटी को अमेंड नहीं करेंगे, तो यह कानून आता रहेगा, लिटिगेशन होती रहेगी और आपमें से किसी की क्षमता नहीं है कि आप अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट को बांध सकें।

(1335/PC/SNB)

So, you cannot scrap it; you cannot wish it away. Shri Premachandran talked about the aspect, कि 3:2 का जजमेंट है, 2:1:2 है, law has already declared it invalid; women continues there and that is why you need not make the law. Why should we not make the law? Is it not the duty of the Parliament to make the law even if there is something wrong? This is the case in which a Supreme Court

judgement exists. Even if the judgement did not exist, will you take away the right of the Parliament to make the law? Who will do that? You cannot take away that right. This is my duty and not just right. It is my duty. I got elected because I was supposed to make the law. I am a law-maker. सभापति जी, मुसलमान खतरे में हैं या इस्लाम खतरे में है, ऐसी भी कई बातें सुनने में आती हैं। उनके लिए मेरा कहना है, जो विचार मैं आपके सामने पहले भी प्रकट कर चुकी हूँ। Relic of the past; relic of two-nation theory just cannot go on. Preamble to the Constitution talks about fraternity, talks about universal fraternity.

सभापति जी, भाईचारे की बात होती है, सांप्रदायिकता विहीन समाज की बात होती है। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों को एक तरफ कर के हम सब को भाईचारे को बढ़ाना है। यह तब ही संभव है, जब हम जाति और धर्म से ऊपर उठेंगे। कुछ लोग आएंगे, जो कहेंगे कि मेरा संवैधानिक अधिकार हट रहा है, धर्म खतरे में है और संस्कृति खतरे में है। मैं उन लोगों को ज़रूर रिमाइंड कराना चाहूंगी कि धर्म, भाषा और संस्कृति के अधिकार आर्टिकल 26, 29, 31 और 31ए में सुरक्षित हैं। इसको कोई खतरे में नहीं डाल रहा है। मुसलमान खुद बदलाव चाहे तो बदलाव संभव है। जब तक मुसलमान बदलाव नहीं चाहेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। इसीलिए, मैंने हिन्दू कोर्ट बिल को भी आपके सामने रखा। हिन्दू बदलाव नहीं चाहते थे, यह कानून आने के बाद बदलाव आया है। अगर कानून आएगा तो खुद-ब-खुद समाज बदलेगा और उसकी शुरुआत और उसकी कोशिश यहां से होनी चाहिए। Nowhere does the Constitution say that consent is imperative. If they want to come together, so be it. Otherwise, the duty is on the State. कानून बनाने के लिए इम्पेरिटिव नहीं है, बल्कि यह स्टेट की ड्यूटी है, राष्ट्र की जो सरकार है, वह कानून बनाएगी। किसी ने कहा कि यह किस की बेहतरी के लिए है, यह कौन तय करेगा। हम सब मानते हैं कि भारत का संविधान हम सबकी बेहतरी के लिए लागू हुआ है।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : सर, मैं अपनी बात कन्क्लूड कर रही हूँ। मुझे अपने पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि उनके बिना मेरी बात अधूरी रहेगी। संविधान सभा और सदनों में इन सब चीजों पर बहस हुई। उस बहस में जो महिला अधिकार के विरोध में हैं तो आप मर्जी किससे पूछेंगे? जो महिला अधिकारों के विरोधी हैं, उनसे मर्जी पूछेंगे? उनकी मर्जी नहीं चलेगी, महिलाओं की मर्जी चलेगी। जो पीड़ित है, आप उसकी सुनेंगे? जो कमज़ोर है, आप उसकी सुनेंगे? You are supposed to work for the weak and not for the ones who are exploiters. These are the people who are exploiters, who are exploiting religion and casting aspersions on women. They cannot be protected under the law.

सभापति जी, मैं दो उदाहरण दूंगी। अगर कोई स्त्री सती होना चाहती है तो आप उस पर छोड़ दें, कोई कानून मत बनाइए, is that allowed? No. It is your duty to stop the wrong. अनपढ़ मां-बाप बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो आर्टिकल 45 को मत लागू कीजिए, ऐसा हो सकता है? You have talked about Fundamental Right to Education. My insistence is that it cannot be left to the people who are the basic problem. We have to work towards the solution and listen to the ones who are actually being exploited in the name. ...(*Interruptions*) I will talk about Sabrimala another time. It is not about same religion. The Constitution talks about ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): You please address the Chair.

SHRIMATI MEENAKSHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I am addressing the Chair. Uniform Civil Code is about uniformity in civil laws. It is not about uniform religious code. हर जगह एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि कौम खतरे में है। कौम खतरे में नहीं है, वह प्रोटेक्टेड है। सवाल यह उठता है कि सरकारें इतने लंबे समय तक चुप क्यों थीं? सरकारें चुप थीं, क्योंकि उनकी वोट-बैंक की दिक्कतें थीं।

(1340/RU/SPS)

पाकिस्तान के एक कमीशन की एक फाइण्डिंग है, उसे मैं कोट करना चाहती हूँ

“Report of the Commission on Marriage and Family Laws, Government of Pakistan in 1955 - whether Sharia is immutable or not.”

यह सवाल उनके सामने भी था। उनका कहना था कि reforms are a must. There is nothing called immutability of Sharia and they changed the law. And after they changed the law, ‘Islam is capable of evolution’ is the verdict. Islam is capable of evolution. पाकिस्तान का लॉ कमीशन मानता है, लेकिन हिन्दुस्तान के जो मुसलमान हैं, वे कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। It is shocking to know that we have such people who want to mislead the society in the name of religion.

माननीय सभापति: आप काफी समय ले चुकी हैं। प्लीज कनक्लूड।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): जो रिफॉर्म और सुधार की बात कर रहे हैं, तो सुधार के नाम आप डिवाइन लॉ को री-राइट नहीं कर सकते हैं। I have quoted many instances where divine laws have been re-written. आज मैं आप सबके बीच में खड़े होकर कहूँ कि मनु और याज्ञवल्क्य का जो कानून 750 बी.सी. में लागू होता था, मीनाक्षी लेखी उसको मानने को तैयार है, लेकिन वह 1950 ए.डी. में भी चलेगा, वह 2019 ए.डी. में भी चलेगा, बताइए आप क्या कहेंगे? If

that law is not divine and it is not away from immutability, it is capable of being mutated and evolved, how can the same be not applied to the Islamic law in the same country?

Necessity to promulgate was there because it is about public community and it is not the agenda of the BJP. This is the agenda of this nation.

...(Interruptions)

मज़लूम ख्वातीन की तरफ से,

“आज सारी औरतों का हौंसला बुलंद है, यह फैसला हर किसी को पसंद है,
जो दलाली - I hope it is not unparliamentary - करते थे धर्म के नाम पर, आज
उन सभी का मुंह बंद है।”

Thank you very much.

(ends)

1343 hours

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I rise to oppose the introduction of this Bill. I would like to put forward few facts in this august House.

The instant Triple Talaq has already been declared unconstitutional by the Supreme Court and is therefore *non est*.

As per this Bill, a Muslim man can be jailed for upto three years along with a fine. This provision has the potential to destroy a marriage because of a false complaint by a scheming relative.

As per this Bill, the Magistrate will grant bail only after hearing the wife. This provision has far-reaching consequences as a man may get bail only on the conditions imposed by the wife.

This Bill is in violation of article 14 of the Constitution as it discriminates Muslim women and women of other religions. Section 498A of IPC, Domestic Violence Act and Dowry Prohibition Act already apply to Muslims too. Therefore, there is no need of having an additional law to protect only Muslim women.

There are several contradictions to the Bill. Section 3 of the Bill says that Talaq-e-Biddat is void but in Sections 5 and 6, it discusses post divorce issues such as maintenance allowance for women and custody of her minor children as if marriage is dissolved through.

The Ordinance also provides for maintenance of the wife. However, if the husband is in jail, how will he be able to provide subsistence allowance over and above the maintenance he has to provide under other laws applicable?

(1345/MM/NKL)

सर, जब शौहर ही जेल में होगा तो मेन्टेनन्स कहां से दे पाएगा। यह बेबुनियाद मालूम होता है। The Supreme Court, in the Triple Talaq Judgment, nowhere said that Triple Talaq should be a criminally punishable offence.

We have to understand what this Government wants to do through this Bill. Imprisonment, not for abandoning his wife but merely for chanting 'Talaq' three times, for three years. Considering the punishment for causing death by negligence, which is imprisonment of only up to two years, I think, the present one is much more than what it deserves. This is more than rioting as well. This Bill is laid with a political intention to harass the Muslim community and to portray Islam, the religion of peace and equality, in bad light.

हम से पहले के वक्ता ने कुरान के बारे में कोट किया था। It is practised by more than 14 per cent of Indians and about 1/4th of the human race. यह बिल मुसलमान औरतों की बदहाली और मुसलमानों की बर्बादी की नीयत से लाया जा रहा है।

This Bill will cause distress to the familial ties and matrimonial relationships, and the only option available to the aggrieved Muslim husband would be to walk out of marriage and abandon his wife. यह चलन है। अगर आप वर्ष 2011 का सैन्सस देखेंगे तो उसके अनुसार ढाई लाख से ज्यादा औरतें सैपरेटिड हैं, जिसमें से दो लाख से ज्यादा औरतें हमारी हिन्दू बहनें हैं। अगर नया लाना है तो उनके लिए लाना चाहिए।

As per a report in 2006, the separation cases in Muslim women were 4.8/1000 compared to 5.5/1000 in Hindu women. तो क्या हमारी हिन्दू बहनों की इनको चिंता नहीं है? क्या इनको उनके लिए नहीं सोचना चाहिए?

Sir, if the present Government is serious and sincere towards Muslim women empowerment, अगर उनकी चिंता है, तो उनकी जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि सरकारी नौकरी उनको कैसे मिलेगी, उनका एजुकेशन कैसे होगा, उनको टेक्निकल स्किल्स कैसे दी जाएंगी, उनको लोकल बॉडीज़, असेम्बली और पार्लियामेंट में पॉप्यूलेशन के आधार पर सीट्स कैसे मिलेंगी? जिस तरह से एससी-एसटी का कोटा होता है, पार्लियामेंट और असेम्बली में भी हमारी मुस्लिम बहनों के लिए कोटा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर इनकी नीयत रहती तो 303 सीट्स में एक न एक मुसलमान जरूर जीतकर आता। 335 एनडीए मैम्बर्स चुनकर आए हैं, उसमें भी एक मुसलमान चुनकर आया है और उसको भी इन्होंने मंत्री पद नहीं दिया है। इनकी नीयत इससे साफ जाहिर होती है। अगर सही मायने में चिंतित होते तो इनको दर्द होता जो शाइस्ता, 19 साल की लड़की है, जिसके शौहर तबरेज़ को झारखण्ड में लिंग करके मार दिया गया। इनको चिंता होती तो अखलाक साहब की बीवी को जस्टिस दिलाते, जुनैद की मां को और जैनुअल साहब की बच्चियों को दिलाते, लेकिन ये यह नहीं चाहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने झारखण्ड की घटना पर काफी अफसोस जताया था... (व्यवधान) सर, मेरा बीस मिनट का टाइम है और आपने मुझे पांच मिनट ही दिये हैं।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): कांग्रेस के कई वक्ता हैं और समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा। सदन नियम से चलता है। टाइम अलॉटमेंट के अनुसार ही समय दिया जाता है।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, please try to conclude.

(1350/SJN/KSP)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने भी चिंता जताई थी, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। नतीजा यह हुआ है कि झारखंड में फिर से चार लोगों की मॉब लिंग के तहत हत्या हो गई। चार गैर-मुस्लिमों की हत्या हुई है। अगर प्रधान मंत्री जी सही मायने

में चाहते, तो पिछले साल ही एक्शन लेते, 8 मर्डर में जो कन्विकटेड हैं, उनके मंत्री जी ने जाकर उनको माला पहनाकर सम्मानित किया था।

महोदय, आज जो माहौल बनाया जा रहा है, वह मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही माहौल नहीं बन रहा है, बल्कि वह कमजोर, दलित, माइनोरिटीज और ट्राइबल्स के खिलाफ भी बनाया जा रहा है। नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं, आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है और यूएपीए को मजबूत किया जा रहा है। आज के दिन जो माहौल है, मैं उस पर आपको एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि एक मशहूर पॉस्टर, मार्टिन निमोलर ने आज से लगभग 80 साल पहले कहा था कि-

“First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist, then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionists, then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew, then finally they came for me and there was no one left to speak for me.”

सभापति महोदय, एकदम वही माहौल बनाया जा रहा है। हमें इससे बचना होगा। मैं आखिरी में कनक्लूड करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल लाया गया है, मुसलमानों को जेल भिजवाने का नया तरीका है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी लिस्ट बहुत लंबी है।

...(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सभापति महोदय, मुसलमानों को जेल भिजवाने के लिए नया कानून बनाया गया है। उसको या तो आतंकवादी घोषित करके अंदर कर दो, तबरेज की तरह लिंच करके मार दो या तीन लब्जों में उसको जेल भिजवा दो। तीन बार तलाक बोलो और तीन साल के लिए अंदर कर दो। सरकार यह चाहती है।...(व्यवधान) सरकार मुसलमानों को बरबाद करने के लिए और कितने नए तरीके निकालेगी।...(व्यवधान) Therefore, I oppose this Bill and request the hon. Minister, who come from Patna, my State, to send this Bill to the Standing Committee for review and make laws for separated women of all communities, not just Muslims.

महोदय, इन्होंने जिसकी तादाद 345 बताई है। इन्होंने बताया है कि 345 मुसलमान औरतों का तलाक के ऊपर जजमेंट आया है। 353 लोग 345 मुसलमान औरतों के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं।...(व्यवधान) यह अपीजमेंट है। ये लोग कांग्रेसियों को बदनाम करते हैं कि हम मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं। लेकिन यह दिखाने चाहते हैं कि असल में मुसलमान औरतों का अपीजमेंट ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। जैसा कि हमने कहा है कि जैसी इनकी नीयत है, जो कमजोर हैं, जो माइनोरिटी है, जो मुस्लिम है, उनको किस तरह कुचलकर एक किनारे ढकेल दिया जाए, ताकि इनकी हुकूमत ठीक से चल सके। मैं इस बिल को अपोज करता हूँ।

(इति)

1354 hours

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Mr. Chairman, Sir, on behalf of *Dravida Munnetra Kazhagam*, I rise to express my deep reservations, complete opposition and total disappointment with regard to the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.

I begin by questioning as to why this Government is in such a hurry to bring this Bill. What is the signal we are trying to send to this nation? Why are you in a hurry to pass Bills that arouse communal passions and divide our people? Is this the message that you want to give this country?

Sir, there are so many pressing issues. We are passing Bills here without enough representation of women. It is in your own Election Manifesto that you would pass 33 per cent Women Reservation Bill.

(1355/SRG/KN)

One term has passed and the second term has started, it has not even been listed. This Bill, you claim, is to protect the women's rights. Why can women not be here to participate and be a part of this dialogue? Let us decide what is good for us. We do not want a man to tell us what is good for us. So, please pass the 33 per cent Women's Reservation Bill before you talk about women's rights.

Have we even thought of bringing a Bill to end honour killings which happen in the name of caste and religion. What sins have these young people, women and men, done in this country other than being in love? They are being killed. Everyday there are news reports. What laws are we bringing in to stop this? Nothing.

The Member from BJP spoke here very eloquently and she spoke about freedom. I would like to ask, what freedom do we have here? We are not allowed to chose what to eat, who to pray to and if we want to refrain from praying. Have we brought a law to punish people who indulge in mob lynching and mob violence in the name of religion? This is the need of the hour and there is an urgency to bring Bills like this. When she spoke, she spoke about property rights to women. I would proudly like to say it here that Tamil Nadu was the first State to bring laws on property rights to women and that was because of our great leader Thanthai Periyar who insisted on it. Then our leader Dr. Kalaignar

implemented it as the Chief Minister of Tamil Nadu. But when Dr. Ambedkar wanted to make it a part of the Constitution and Pandit Jawahar Lal Nehru was supporting it, who were the people who opposed it? These are the same people who opposed it and made sure that you have to leave the Cabinet.

This law is short-sighted, discriminatory and divisive. Many people have pointed to the controversial history of this Bill. It was passed in Lok Sabha because you had a majority and it was sent to the Rajya Sabha. It was stalled there because it was against the Constitution. ...(*Interruptions*). Yes, I was there to stall the Bill. But then again you are bringing it back here. It has been twice promulgated. As many people have quoted the Krishna Kumar Singh Vs. State of Bihar case, where it was held that re-promulgation is a fraud on the Constitution. This is what the Judges said there. But I think, we have to be quoting it everyday because you are doing this again and again and again. When the Supreme Court, in the Shayara Bano Vs. Union of India 2017 case has outlawed the triple talaq, talaq-e-biddat, then what is the need for this Government to bring in this legislation? Under the Statement of Objects and Reasons, it has said:

“In spite of the Supreme Court setting aside *talaq-e-biddat* and the assurance of All India Muslim Personal Law Board, there have been reports of divorce by way of *talaq-e-biddat* in different parts of the country. It is seen that setting aside *talaq-e-biddat* by the Supreme Court has not worked as any deterrent in bringing down the number of divorces by this practice among certain Muslims.”

If this is the basis for the present legislation, then the Government must explain to the House as to how many reports are there. When the Minister introduced the Bill, he said 477 cases, but what is it based on and where did he get the statistics from? He has to explain this to the Parliament.

(1400/KKD/CS)

There are blatant deficiencies in this Bill. One is the penal provision in the present Bill under Section 4, which provides for imprisonment of up to three years and a fine.

I want to understand: how does this become a crime? When it is under a criminal law, then it is a civil issue. Why are you sending the husband to jail for three years?

What is more interesting is this. Clause 7(c) of the Bill prescribes preconditions for the bail, which are not in accordance with the legal principles of this country.

Clause 7(c) says:

“(c) no person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail unless the Magistrate, on an application filed by the accused and after hearing the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced, is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to such person ”

Sir, is it fair and just in any country to bring a law like this? I am not supporting men here; I am proud to say that I am a feminist; and I stand by women's rights. But will there not be an opportunity to use it against a husband? Is it fair to a man? I think, the Minister has to consider protecting men also because women's rights include men's rights also.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I will reply to it.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Now, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, give me just a few more minutes.

I would like to ask the Minister: why is it that he only cares about Muslim women in this country? Does he not care about Hindu women, Christian woman? There is no law which says, when you abandon a Hindu women or a Christian woman, that you would be sent to jail and there would be no bail? Why is that only Muslim women have to be protected and the Muslim men have to be targeted while Hindu men or Christian men or men belonging to any other community are allowed to go scot-free?

Mr. Minister, do you not think that our domestic violence laws are stronger than your Bill, which you have brought in here today? The domestic violence laws are stronger and they protect the Muslim women also. Our domestic violence laws do not leave the Muslim women out of it.

If they are really interested in going by what the Supreme Court says and carrying it out in letter and spirit, I would like to ask the Government that when the Supreme Court said that women can be allowed to enter Sabarimala Temple, why were the BJP and its Government silent on it? Why did they oppose it? Why should those women, who believe in God, who believe in that religion, who want to enter the Sabarimala Temple, be stopped? What is their answer for that?

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, within a minute, I am concluding.

Many people have asked this. Once you send a husband in jail, who is going to provide for his family? Who is going to maintain his family? What would happen to his kids' education?

HON. CHAIRPERSON: Now, with your last sentence, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I am concluding. There is just one more point.

Let me now talk about rights of women, about their marital relationship. This morning, even our hon. Member, Dr. Shashi Tharoor had mentioned it. What is your stand on rape laws within a marriage? Under Section 375, it provides a very shameful exception to a husband raping his wife. To a question, which I had raised in Rajya Sabha to this Government, there was a reply, which says:

“It is considered that the concept of marital rape, as understood internationally, cannot be suitably applied in the Indian context due to various factors, including level of education, illiteracy, poverty, myriad social customs and values, religious beliefs, mindset of the society to treat the marriage as a sacrament, etc, ”

Sir, if the Government holds marriage, religious laws, beliefs and social values so high, then why have they suddenly become so progressive in regard

to one community while in regard to other religions, they go back to their own values.

(1405/RP/RV)

The statistics prove that there are more Hindu women, 2.37 million Hindu women, abandoned in this country as against 0.28 Muslim women. Should this Government not reach out to those women for protecting them? What are you doing? You are doing nothing.

This Bill is brought entirely to target one community, one religion and the DMK will oppose it. We will not allow the minorities of this country to feel insecure.

Thank you, Sir.

(ends)

1406 hours

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Chairman, Sir, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019, was discussed last on 27.12. 2018. I took part in it.

It appears sometimes that the Government is being run through Ordinances only. In this case also, Ordinance was promulgated by President on 19th September, 2018. First of all, we want to say that we are totally in favour of empowerment of women in this country. India is a country which is a firm believer in secularism and communal harmony. All sections of women should be kept protected. That is beyond doubt.

1407 hours

(Shri A. Raja *in the Chair*)

Sir, when the hon. Supreme Court delivered its judgement, then nobody has any doubt about its implementation. I am telling you about my Constituency which I represent, Kolkata. I have been here from 12th Lok Sabha. My Constituency is Muslim dominated including linguistic minorities who can read and write Urdu language only. They are known as Urdu-speaking Muslims. They are a little bit tough as far as their religion is concerned. Many sensible Muslim people feel that triple talaq is sinful. They do not support this triple talaq. I sometimes become surprised to hear when they make such comments. It was the time when the entire community was against any interference as it was their personal law. Why was the Government interfering? Why were the people interfering? But, now, the situation has changed. There is no doubt about it. There cannot be any dispute about the need to protect not only married Muslim women but unmarried Muslim women also. They need to be protected from triple talaq. They should be given health education, etc., as has been discussed a few minutes back by others.

According to us, divorce by triple talaq is a threat to social security and well-being of a society as a whole. We are opposing the pronouncement and implementation of triple talaq.

We have some strong points against this Bill. We are yet to protect the married Muslim women who are, really, facing difficulties with the pronouncement of triple talaq and the way they are being divorced.

(1410/RCP/MY)

So, on this part which has been introduced by the Government, we have nothing to say. But, regarding the question of punishment, this is excessive, arbitrary and irrational according to us. There is three years of imprisonment to husband; we do not support that part of the Bill. He is being asked to look after his family. Once a person will go to jail, how will it be possible? How will it happen? A man who is imprisoned cannot look after his family. So, the question of giving maintenance by the husband will be moot if the person is in jail. He will find no scope and opportunity to provide her any financial support. There can be little question of maintenance as the person will not be in a position to earn money. The only women, who could be truly benefited under this law are those, whose husbands have significant estates and incomes. That will permit their husbands to make payment of maintenance even if they are not working.

This is the problem. So, if this provision of imprisonment persists, then the said Bill would lead to injustice and make a woman's life deteriorate further. The divorced women would suffer and justice would be denied to them. We, therefore, propose that this Bill should be referred to a Joint/Select Committee. We think that this is not a battle of war. Very firmly, we are for empowerment of women. We have very categorically said it.

In our Party, 22 MPs have been elected and certainly about 40 per cent of the women MPs are there in our Party. So, we have of course crossed the figure of 33 per cent and it has reached up to 40 per cent.

Our demand is this. By pronouncing 'talaq' three times consecutively, the lady is divorced; we do not support it. I would have been happy if I could have heard this from Members like Dr. Farooq Abdullah sitting in the House. I think, he will also agree with me that this portion should be immediately abolished. There is no doubt about it. This message should go to the country that our objection is very firm. If you withdraw the portion: 'punishing a person with three years' imprisonment', from the Bill, the whole nation and the whole country, including the responsible Muslims and Imams of masjids, will welcome it. I have discussed with the Imams of very important masjids of Kolkata like Nakhoda Masjid and Barri Masjid. They are also of the opinion that if you communicate their sentiment and their feeling also, they will not oppose it.

It is because, nowadays, empowerment of women is most important. We are also in a State where a woman Chief Minister is heading the State. We can see how courageously she is implementing the orders. Our political party, Trinamool Congress is making this statement by supporting the attitude of the Government and the Bill so vocally and so firmly. Mr. Ravi Shankar Prasad *ji*, you may not have taken degree from London or America, as you were telling that you are an Indian lawyer, but we have our respect for your lawyer-ship.

(1415/SMN/CP)

You are a very good lawyer. You have introduced a Bill. You are trying to pass it. It will go to Rajya Sabha. Again, there will be blockage. Why should it not be passed with some modifications? Women upliftment is our principle. We want to see that women's problems are sorted out, whichever community they may belong to – Muslim, Hindu, Jain or Christian; Muslims alone are not the minorities. There are six other groups who belong to minority groups. If this idea is decided in such a manner that it is accepted with unanimity as you are asking for, that will be a good thing. If this punishment portion can be withdrawn, what are the difficulties over there? We want to know it from you. If you imprison someone for three years, what does it give to you? You are putting somebody behind the prison. Do you expect that, that man will send financial assistance to the divorcee? Is it possible for him? So, we believe that we are for the empowerment of women. We are the firm believers in the principle of secularism and communal harmony of the country. Let it continue with united efforts if it can be implemented, every one will be happy – even if it is Hindu, or even if it is a Muslim. The whole nation will feel satisfied that a disputed question after long time has been sorted out very nicely. I hope this will be done and it will be accepted with unanimity.

(ends)

1417 hours

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): At the outset, I would like to thank you for permitting me to talk on the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 popularly known as the 'Triple Talaq Bill'.

Sir, I would like to reiterate that our Party is for gender equality; our party is for the empowerment of women; and our YSR-Congress Party is for the upliftment of women. All our schemes which our hon. Chief Minister has started is for the upliftment of women and he advocates communal harmony in a big way and we are for the empowerment of women in each and every possible way. But I would like to start by saying that we strongly oppose this Bill in the present form. We are not in a position to support this Bill. We are ready to support any Bill which is in the national interest – be it NIA or UAPA Bill - which were taken up recently. We strongly oppose this. We have our objections. I would like to put forth my objections.

In August, 2017, the Supreme Court has clearly declared the pronouncement of Triple Talaq as unconstitutional. Where is the point of criminalising this offence? There is no point in criminalizing this offence and it does not carry any value and that too a three years jail term is totally uncalled for. It is not at all required right now. As we all know that the Supreme Court in Shayara Bano case had held that the practice of *Talaq-e-biddat* is manifestly arbitrary and unconstitutional. An act that has no legal consequence being punished or are being made a criminal offence and that too with non-bailable cases is violation of Article 14 of our Constitution. It is not a fair thing since Muslim marriage is a civil contract between two people. So, the procedure for the break-up of the marriage should also be civil in nature. It should not be criminalized. There should not be criminal cases booked for a simple civil procedure. No country in the world penalizes for the plain divorce. I think the Government should reconsider this.

(1420/MMN/NK)

The Bill is discriminating in the sense that only Muslim men are penalised whereas the men of other religions are not penalised or no action is taken against them. So, I think the Government has to look into this. This is a serious objection we are raising. The law should be equal for all. Be it Hindu, be it Muslim, be it Christian or be it anybody, the law is law for everybody. That is

what is our demand. Though the Hindu Marriage Act does provide for a one-year jail term in case of harassment and in case of desertion, here just a plain divorce is being given a three-year jail term without any case of cruelty and desertion. If there is a violence within the marriage, we already have enough provisions. As the other speakers have spoken, there is Prevention of Domestic Violence Act, 2005; and also, we have section 498-A of the Indian Penal Code (IPC).

In the Prevention of Domestic Violence Act, 2005, section 20 clearly states that maintenance amount should be paid to the woman. Section 21 clearly states that the woman can have possession of the children. So, it is very clear that we have options which encompass both criminal and civil procedures. We have existing laws which are there for all religions; and no law should be based on a particular religion. We object to this. The law is law for everybody.

There is also no clear mention of the economic, social and legal support which they get when the husbands are in jail. We would like to know what support was given to those families of men who are being jailed like the hon. Minister was saying that a number of people were jailed in Uttar Pradesh. We want to know this because highest number of cases was there in Uttar Pradesh. What kind of support was given to those families? It is because already the women are suffering from divorce and in spite of that, they run into financial problems. It is a big problem for the women more than the men in jail. So, the term of imprisonment for three years is highly objectionable.

If you see, various serious crimes are having much lesser jail terms. For example, causing death by rash and negligent act comes under IPC section 304-A, rioting comes under IPC section 147, injuring or defacing places of worship with intent to insult is coming under IPC section 295, which is a serious offence—all these are punishable with imprisonment for only two years in jail and all these have lesser punishment than pronouncing triple talaq. We object to this.

I would like to recall what the Government is saying – “*sabka saath sabka vishwas*.” With this sort of laws, the *vishwas* part is not possible. If *vishwas* has to be there, the law should be equal for everybody. That is our request.

To sum it up, I would like to say that yes, we do not have a majority in the House. The Ruling Party has a huge majority in the House. But what we have to object, we are objecting. I want to tell the people of our State that yes, we are

understanding your concerns; you do not feel insecure; and our Party is there with the minorities of the State.

I would like to make one more point. If you see the world, the world-wide phenomenon is that terrorists are taking advantage of all these insecurities. If such Acts are there or even if there is a small insecurity, they will make use of it as they have made use of it in Sri Lanka and other countries where they have motivated the youth to join terrorists. All these Acts are going to motivate the youth to join terrorists in one way or the other. These are serious things and our country has to take care of it. I request the Government to re-consider our objections, clear them and then pass the Bill.

At the end also, I would like to reiterate that we are for the upliftment of women; and we are for the empowerment of women. Thank you.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Now, the hon. Minister, Shri Mukhtar Abbas Naqvi wants to make his intervention.

1424 hours

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI):
Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important and historical Bill, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.

सर, मैं अपनी बात एक गजल के साथ कहूंगा

“न हमसफर न किसी हमनशीं से निकलेगा
हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा
मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा
इसी से आज समुंदर से नूर निकलेगा ”

(1425/SK/VR)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Nothing will go in record except what the hon. Minister is saying.

...(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am on a Point of Order.
...(Interruptions) If the translation is correct, the hon. Minister is saying that we ourselves will resolve our problems. We would like to know whom does the Minister represent? ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: What is the Point of Order?

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Premachandran ji, you are a senior Member. When you raise a Point of Order, you have to first tell the Chair under which Rule you are on a Point of Order.

... (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am talking about the conventions and ethics of the Minister. ...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Premachandran ji, please sit down. After the hon. Minister finishes his speech, I will give time to you to speak.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

...(Interruptions) ... (Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you may continue your speech.

... (Interruptions)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: माननीय सभापति जी, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 5 मई, 1986 को इसी सदन में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर फैसला आया था। उस समय की सरकार इस सदन में 5 मई, 1986 को उस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए एक कानून लाई थी। आज की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करने के लिए कानून ला रही है। वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े फैसले को निष्प्रभावी किया गया। आज माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी और आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े फैसले को प्रभावी करने के लिए कानून लाए हैं।

महोदय, कभी लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुछ लोगों को खुश करने के लिए लम्हों ने खता की थी और तब से लेकर आज तक इसे सजा के रूप में माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस फैसले के बाद पूरे देश में चर्चा हुई और इस सदन ने उसके बाद महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानून को पास किया। लोक सभा के चुनाव घोषित हो गए और चुनाव घोषित होने की वजह से रवि शंकर प्रसाद जी को बिल यहां दोबारा लाना पड़ा।

महोदय, मैं तीन चीजें प्रमुख रूप से कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुधार के लिए कोई कानून ला रहे हैं। हमारा देश इस बात का गवाह है कि सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई और कुप्रथा को खत्म किया गया था। यह देश गवाह है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति और बुराई को खत्म करने के लिए आंदोलन हुए। उस वक्त भी कुछ लोगों ने धर्म के रूप का जामा पहना कर कहा यह तो धर्म पर हस्तक्षेप है इसलिए सती और बाल विवाह प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए। यह इस देश के लोगों की संवैधानिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक सोच है, जिसने इन तमाम कुप्रथाओं को खत्म किया है। आज ट्रिपल तलाक भी ठीक इसी प्रकार की कुप्रथा है, ठीक इसी तरह की सामाजिक बुराई है। अब इस सामाजिक बुराई और कुप्रथा पर लोग तर्क दे रहे हैं कि अगर पति जेल चला जाएगा तो उस महिला को कौन देखेगा? अरे, ऐसा काम ही क्यों करो कि जेल जाना पड़े? यह तर्क तो ऐसे हो गया कि कानून मत बनाओ, अगर आतंकवाद करेंगे, जेल चले जाएंगे तो परिवार को कौन देखेगा? अगर हमने कत्ल कर दिया तो हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा?

(1430/MK/SAN)

I am not yielding. ...*(Interruptions)* हमने कत्ल कर दिया, हमने चोरी कर दी, हमने जघन्य अपराध कर दिया तो हमारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? ये तर्क नहीं हैं, ये कुतर्क हैं। इसलिए इन कुतर्कों के आधार पर सामाजिक सुधार से जुड़े हुए सवाल हल नहीं होते। हम जानते हैं कि इस सदन में बैठे हुए ज्यादातर माननीय सदस्य, I am not yielding. ...*(Interruptions)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि टेररिज्म और ट्रिपल तलाक दोनों को एक साथ मत मिलाइए। आप ट्रिपल तलाक को ट्रिपल तलाक ही रहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: इस सदन में ही आपके बंगाल के एक माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी थे, मैं उनका जिक्र बाद में करना चाहता था। सैफुद्दीन चौधरी साहब ने 5 मई 1986 को इसी सदन में मुस्लिम महिलाओं के...(व्यवधान)

“आज उन सबकी परीक्षा का वक्त है जो धर्मनिरपेक्षता और हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करते हैं।”

यह बात हमने नहीं कही, यह कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट सैफुद्दीन चौधरी साहब ने कही थी, जो आपके बंगाल के थे। सुनिए-

“आज हमारी अंतरात्मा की परीक्षा की घड़ी है। आज इस पर विहप नहीं किया जा सकता। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एक राज्य मंत्री ने पर्यावरण के लिए समय विहप जारी किया है और कहा है कि सभी लोगों को इस बिल का समर्थन करना होगा जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने वाला है।”

इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इसको महत्वपूर्ण माना है- मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का समर्थन करने के लिए हमारी महिला वर्ग पर विहप करना होगा, लेकिन अभी भी वक्त है। मैं उर्दू में नहीं बोल सकता, मैं फैज अहमद फैज द्वारा लिखी गयी चार पंक्तियों को उद्धृत कर रहा हूँ। मेरा उच्चारण गलत हो सकता है। उन्होंने इसमें कहा था-

“बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है,
जिस्म ओ ज़बाँ की मौत से पहले,
बोल कि सच जिन्दा है अब तक,
बोल जो कुछ कहना है, कह ले।”

ये सैफुद्दीन चौधरी साहब ने उस वक्त कहा था यानी उस वक्त सदन के मूड और माहौल में फर्क था। उस वक्त राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे और आज नरेन्द्र मोदी जी हैं। आज हम सुधार के साथ हैं और उस वक्त वे लोग किसके साथ थे, यह वही लोग बताएंगे। आज हम मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए कानून ला रहे हैं। उस वक्त उस संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए वह विधेयक लाया गया था। अभी बहुत-सी बातें हो गई हैं, यहां पर कुरान और इस्लाम के बहुत विद्वान लोग हैं। वे अपनी बातें कहेंगे। लेकिन, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश किसी शरीयत, धार्मिक कानून, इस्लाम, हिन्दुत्व से नहीं चलता है, न किसी और धर्म से चलता है। संविधान में लैंगिक समानता की बात को बार-बार जोर देकर कहा गया है, क्या हम उसको भूल सकते हैं, क्या हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं?

आज एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे मालूम है कि इस ऐतिहासिक दिन में कई लोगों पर दबाव भी हो सकता है, कई लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं और कई लोगों को यह भी लग सकता है, चाहते हुए भी हो सकता है कुछ लोग इसका समर्थन न करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि

अगर करेंगे तो हो सकता है कहीं कुछ लोगों का वोट न खिसक जाए। लेकिन, यह गलतफहमी आप निकाल दीजिए। आज भारत के सभी वर्ग, उसमें मुस्लिम समाज भी है, सुधार के साथ हैं आपके उधार के साथ नहीं हैं।

अभी रविशंकर जी ने कहा कि तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं, जिन्होंने ट्रिपल तलाक या तलाक-ए-विदत को गैर-कानूनी और गैर-इस्लामी दोनों कहा है।

(1435/YSH/RBN)

तमाम ऐसे देश हैं, जिन्होंने इस पर रोक लगा दी है। वर्ष 1929 में सुडान ने तीन तलाक पर रोक लगाई। वर्ष 1956 में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने रोक लगाई, बांग्लादेश ने रोक लगाई। वर्ष 1959 में इराक ने रोक लगाई। वर्ष 1953 में मलेशिया ने तीन तलाक खत्म किया। इसके अलावा साइप्रस, जार्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर जैसे तमाम इस्लामिक देशों ने तीन तलाक खत्म किया, लेकिन हमें उस कुप्रथा और सामाजिक बुराई को खत्म करने में 70 साल लग गए और हम 70 साल बाद उसे खत्म करना चाह रहे हैं तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है। हमारा केवल इतना कहना है कि आज रविशंकर जी जिस कानून को लेकर आए हैं, यह कानून शुद्ध रूप से संविधान और संवैधानिक रक्षा के मूल्यों से संबंधित है। इसका मजहब से कोई संबंध नहीं है, इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तो इस्लाम में दखलअंदाजी हो रही है। उस समय जब बहस हुई थी तब तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उभरकर आए थे। नम्बर एक था कि आपने नॉन बेलेबल कर दिया है। नम्बर दो था कि जो कम्पाउंडिंग का प्रोवजिन है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रखी है। नम्बर तीन था कि कोई भी एफ.आई.आर कर दे तो पति जेल में चला जाएगा तो सरकार ने आपके और तमाम अन्य लोगों के सुझावों के आधार पर इन तीनों बातों पर फिर से विचार किया और विचार करने के बाद पहला इसको बेलेबल किया, दूसरा समझौते की व्यवस्था की और तीसरा संशोधन यह किया कि सिर्फ ब्लड रिलेशन ही एफ.आई.आर. कर सकता है, अन्य कोई एफ.आई.आर. करके किसी को जेल नहीं भेज सकता है। यह आपकी तीन चिंताएं थीं, अब आप कोई नई चिंता लेकर आए होंगे तो मैं नहीं कह सकता। आपके अपने जो तरकश हैं, उस तरकश में कितने तीर हैं वह तो आप चर्चा में बता सकते हैं कि यह हमारा तरकश है और हम एक नया तीर निकाल रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम लोग आपको सुझाव दे रहे हैं... (व्यवधान) हमारे सुझाव के बिना आप बदल नहीं सकते... (व्यवधान)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: हमारे सुझावों पर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो वर्ष 1986 में किया था उसकी सजा देश अभी तक भुगत रहा है। वर्ष 1986 में आपने जो मुद्दी भर लोगों के दबाव में घुटने टेक दिए थे और घुटने टेककर आपने जो पाप किया था, जो आपने गलतियां की थीं, उन गलतियों की सजा देश आज भी भुगत रहा है। इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। इसको लाने की जरूरत इसलिए हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आपने निष्प्रभावी कर दिया। मुझे लगता है कि आपने जो गलतियां की थीं, उसकी सजा आपने भुगती है। आप वह गलती मत करिए... (व्यवधान) इसलिए कह रहे हैं कि वह गलती दुबारा मत करिए, उस गलती से कोई फायदा

नहीं होगा। आप अपनी गलतियों में सुधार करिए। आप वोटों के उधार के चक्कर में मत पड़िए। मैं एक अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा।

यह बिल निश्चित तौर से जो संवैधानिक प्रतिबद्धता है, जो कांस्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, उस कांस्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ है। यह बिल मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए है। अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि माइनोरिटीज में तो 6 नोटिफाइड आते हैं, तो वे सब भी आ जाएंगे। आपके साथ तो हम लोग लोकसभा में भी रहे हैं, इस बिल का मतलब The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill is not a Minority Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, इसलिए यह माइनोरिटी बिल नहीं है, बल्कि मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल है इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और कन्फ्यूज करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग ईमानदारी के साथ बिना किसी दबाव के और सच्चाई के साथ इस बिल का समर्थन करें और इस बिल को पास करें। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उस हाउस में पास नहीं होगा। आपके आशीर्वाद से वह हाउस भी इसको पास करेगा।

(इति)

(1440/RPS/SM)

1440 बजे

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद, सभापति महोदय। यहां जो मुस्लिम विमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाले इतिहास का आज यहां निर्माण हो रहा है। 17वीं लोक सभा के हम सारे सदस्य भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे क्रान्तिकारी निर्णय का साक्षी बनने का मौका प्राप्त हुआ है।

मुझे याद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दो बार संसद को ऐसे निर्देशित किया था। पहली बार शाहबानो केस था और अभी शायरा बानो केस है। शाहबानो केस के बाद क्या हुआ, सारे देश में इमरजेंसी लगी और शायरा बानो केस के बाद आज़ादी मिली इस देश की बहनों के लिए। ये दो राजनीति करने वाली सरकारों का फर्क है। मैं दावे से कहता हूँ कि आज अगर हमारे हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी होते तो जरूर आकर, भारत माता के सुपुत्र माननीय नरेन्द्र मोदी जी और इस देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का सम्मान करते। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी और पूरी शिवसेना पक्ष की तरफ से, मैं देश के विकास के काम करने वाले भारत माता के सुपुत्रों को धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, आज से सात साल पहले, अगर देश के 125-130 करोड़ लोगों से यह पूछने की कोशिश होती थी कि क्या इस देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने की कोई कोशिश करे, तो सारे देशवासी बोलते थे कि ऐसा करने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में काम करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी के 72 वर्ष के बाद इस देश की बहनों को आज़ादी देने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने में सक्षम हैं और आज वही दिन है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जब संविधान लिखा गया, तभी इक्विटी और इक्वैलिटी, एकता और समानता इस देश के सारे लोगों को मिलनी चाहिए थी। संविधान में उसका अन्तर्भाव किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले राज करने वाले, राजनीति करने वाले जो लोग थे, कांग्रेस के कार्यकाल में, मुस्लिम समाज को उन्होंने वोट बैंक माना और इस वोट बैंक को संभालने के लिए काम किया। चाहे वे गरीबी हों, अशिक्षित हों, विकास से कितने भी दूर हों, तब भी उनको कोई फिक्र नहीं थी। हमारा वोट बैंक है, हमें मिलना चाहिए और पांच वर्ष में एक बार उनका वोट लेना, उसके बाद फेंक देना, ऐसी राजनीति कांग्रेस के कार्यकाल में चली थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी के रक्षण के लिए भगवान श्रीकृष्ण आए, दुर्योधन और दुःशासन से उनको बचाया, वैसे ही आज माननीय नरेन्द्र मोदी जैसा भाई उनको मिला है और मुस्लिम बहनों को आज असलियत में न्याय प्राप्त हुआ है। सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि हमें कितने वोट्स मिले हैं। नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि इक्विटी,

इक्वैलिटी और कर्त्तव्य भावना सामने रखकर आज सभी मुस्लिम बहनों को न्याय देने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए, मैं फिर एक बार सरकार को धन्यवाद दूंगा। ... (व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वह आपके कार्यकाल में नहीं होगा और कांग्रेस के कार्यकाल में भी नहीं हुआ। ... (व्यवधान)

(1445/RAJ/AK)

सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके लिए असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए ऐसी प्रथा-परम्परा को समाज के माध्यम से नहीं तो कानून के माध्यम से दूर करने की जरूरत है। यह संविधान ने कहा है और वह करने की जिम्मेदारी राजनीति करने वाले लोगों की होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से इसके पहले जो राजनीति करने वाला पक्ष कांग्रेस था, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? वे बहुत बड़ी घोषणा करते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटी। उनके सभी लोग गरीबों पर राज करते समय, गरीबों को हटाया और खुद सम्राट बन गए। आज की राजनीति वैसी नहीं है। आज गरीबों के हित के लिए जिन योजनाओं पर अमल करना हो, उन पर सक्षम दृष्टि से अमल करते रहे हैं। भारत के सारे लोग चाहे वे किसी धर्म, किसी जाति या किसी प्रांत के हों, अपना पूरा भारत एक है। भारत में रहने वाले सारे भारतवासी एक हों, सबका विकास उनके विश्वास के माध्यम से करना है, इसका ध्यान 16वीं लोक सभा के राजकर्ता के पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी थे, उन्होंने किया है। आज भी पूरे देश ने उनके हाथों में अपना भविष्य दिया है। उन्हें भरोसा है कि माननीय नरेन्द्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जब प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं तो वे पूरी तरह से उनके सुख-दुःख को ध्यान में रखते हैं। उनके माध्यम से हमारा भला हो सकता है, यह विश्वास पूरे देश के लोगों के दिल में है और उनके विश्वास को न्याय देने का काम ऐसे कानून के माध्यम से हो रहा है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरे सामने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अखंड भारत है, इस भारत का सपना सच होना चाहिए, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, जो सपना स्वतंत्रता के वीर सावरकर जी ने देखा था, जो सपना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि इस देश के कई भागों को दूर करके उनमें अपनी दूरी पैदा करके, इस देश के बारे में कैसे नफरत पैदा हो सकती है, ऐसे देखने वाले कांग्रेस की जो राजवट थी, अभी वह राजवट दूर चली गई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखंड हिन्दुस्तान का सपना देखा था, आज वह सपना साकार होना चाहिए। देश में फंसे हुए धारा 370 को रद्द करें और अखंड भारत का निर्माण करें। मैं यही गुजारिश करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

1449 बजे

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): सभापति महोदय, हमारी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वर्ष 1960 से साथ हैं। हमारे मित्र और माननीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी यह जानते हैं। वर्ष 1996 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे, उस समय से हम लोग साथ हैं। हम लोग बीच में तीन-चार साल नहीं रहे, लेकिन लगातार उसके बाद से साथ में हैं। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि हम लोग वर्ष 1996 से इस बात के लिए कन्सिस्टेंट हैं कि किसी भी विवादास्पद मुद्दे के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना, उसमें भी तीन बातें लिखी हुई हैं, आज भी वह रिकॉर्ड है। उसमें लिखा हुआ है कि जो विवादास्पद मुद्दे होंगे, धारा 370 के साथ छेड़-छाड़ नहीं होगी, अयोध्या मामले के विवाद का समाधान कोर्ट से होगा या आपसी सहमति से होगा।

(1450/IND/SPR)

कॉमन सिविल कोड में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यह उसमें लिखा है और उस समय से हम साथ हैं। इस बिल का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन नहीं करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि यह एक समाज के मन में अविश्वास पैदा करेगा। एक समाज के मन में एक खास तरह की भावना पैदा करेगा, इसलिए हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। किसी के मन में यह भावना नहीं आती है। पति पत्नी का रिश्ता आपसी सहमति से होता है। आपसी विश्वास का पति पत्नी का रिश्ता होता है। आप किसी कानून को बनाकर पति पत्नी के रिश्ते को तय नहीं कर सकते हैं। किसी के मन में यह भावना नहीं होती है कि पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद हो जाए। आप यदि कानून द्वारा इसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो एक खास समुदाय के लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है। यह बात सही है कि तलाक को कोई भी पसंद नहीं करेगा, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, इसे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन आप कानून बनाने के बजाय उस समुदाय को फैसला करने दीजिए और उनमें जागृति पैदा करने के लिए सरकार जितना प्रयास कर सकती है, उतना प्रयास सरकार को करना चाहिए। लोगों में जनजागृति पैदा करने की जरूरत है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, माननीय मंत्री जी अवगत हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्चर्य किया था कि मुस्लिम समाज के बीच जागृति पैदा करने में हम सहयोग करेंगे।... (व्यवधान) आप चुपचाप सुनिए। हमने बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी है। आप उस समय कहीं और घूमते थे। आज आवश्यकता इस बात की थी कि उस समुदाय के लोगों को लेकर समाज में जागृति पैदा करते। उस समाज को इस बात के लिए सहमत कराते कि आप यह कर सकते हैं। आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आप क्यों नहीं स्वच्छता अभियान को कानून बना देते हैं? यदि कोई आदमी अपने घर से कूड़ा बाहर फेंकेगा, तो उसे पांच साल के लिए बंद कर देंगे। आप स्वच्छता अभियान के लिए एवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि समाज में घर के आगे कूड़ा मत फेंको, सड़क को गंदा मत करो। जागृति पैदा करने की जरूरत है। हमारा समाज सिर्फ संविधान से नहीं

चलता है। यह समाज रीति-रिवाज से, परम्परा से भी चलता है और उस समुदाय में एक परम्परा है। उस परम्परा को खत्म करने के लिए आपको ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ेगा। आपने कानून बनाया, बहुत अच्छी बात है।...(व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह): सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है।

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): राजकुमार बाबू, आप बड़े पदाधिकारी रहे हैं। आपको बताएंगे कि बड़े पदाधिकारी के रूप में आपका अनुभव क्या रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि हड़बड़ी में कोई कानून नहीं बनाएं। आप जागृति पैदा कीजिए और जनजागृति पैदा करके इस कानून को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। राजकुमार बाबू कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक खत्म कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि यह खत्म हो गया। अब कोई तीन तलाक कहने वाला जेल चला गया। तीन तलाक कहने वाले पर एफआईआर दर्ज हो गई और वह कह रहा है कि मैंने तीन तलाक नहीं कहा। यह कौन साबित करेगा कि उसने तीन तलाक कहा है या नहीं। आपने देश में कानून बनाया है, आपने एंटी डॉवरी एक्ट बनाया है। आपने 498 एक्ट बनाया है।

(1455/PC/UB)

राजकुमार बाबू अभी बोल रहे थे, वे बहुत कड़े प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं। उनके बगल में जो माननीय सदस्य हैं, वे भी एक पुलिस पदाधिकारी रहे हैं। आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन देश में उसका मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसका बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का कानून बनाएंगे तो इसका मिसयूज होगा। ...(व्यवधान) गिरिराज बाबू आपका एजेंडा है, हमें मालूम है आपका क्या एजेंडा है। ...(व्यवधान) आप पर्मानेंट उस पर चलते रहते हैं, आप उस पर चलियो। ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस तरह का काम मत कीजिए। आपका जो यह बिल है, इसका सेक्शन 4 किसी भी तरह जनहित में नहीं है। आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस तरह का काम मत कीजिए। आपको मैन्डेट मिला है, बहुत काम करना है। आप काम करियो, ये सब काम तो बाद में करते रहिएगा, जब चुनाव नज़दीक आएगा, तब यह काम होना चाहिए। अभी इसकी क्या ज़रूरत है? अभी जो बाकी काम हैं, उन्हें आप करियो।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड इस बिल का समर्थन नहीं करती है। हम इसका बहिष्कार करते हैं, न हम इसके भागीदार होंगे और न हम इसका समर्थन करेंगे, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री ए. राजा) : श्री अनुभव मोहंती।

1456 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, I rise to support the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 which is in favour of the Muslim women.

The modern era is an era of women and, as parliamentarians, it is our duty and responsibility to ensure the empowerment of women not only in the present but for decades to come.

Sir, our Odisha's Chief Minister, hon. Shri Naveen Patnaik Sir, our Party Leader, has always been a champion of the cause of women through many State Government schemes like Mission Shakti, Mission Khushi and Mission Pari through which lakhs of women have been empowered and lakhs of girls are being encouraged to move forward in their lives. He has also set a precedent of nominating 33 per cent of women candidates in the Lok Sabha Elections and I am proud to say that Odisha has sent 33 per cent women to the Lok Sabha for this term.

Sir, now I will come to the Bill. The Government has decided to support the Supreme Court Judgment through this Bill and this is an admirable cause. The hon. Law Minister has pointed out that more than 200 cases have come even after the Supreme Court's Judgment which is really alarming. After the hon. Supreme Court says and makes a law, it should not happen. The idea is to remove an age-old practice of some Indian Muslim men and provide relief and justice to the Indian Muslim women from a constant threat of instant divorce through pronouncement of *Triple Talaq*.

Sir, the Bill has undergone a few changes over the past few iterations and in its present form, it seeks to deter Muslim husbands from whimsically divorcing their wives. If passed, the Bill shall provide equality to women that the Constitution of India mandates and the hon. Supreme Court recommends.

1458 hours

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Madam, correct me wherever I am wrong or if I am wrong, no other country having a majority population of Muslims has such a law, then why India has it? It is not in Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Iraq or Iran. Then why are we so far behind? So, my stance and my Party's stance on this Bill is that we are in complete agreement with the Government as far as the letter and intent of the Bill stand.

Now, I wish to point out certain issues that should be addressed in the Bill and I would request the hon. Minister to consider these certain suggestions from our side.

(1500/KMR/SPS)

My respected senior and a former Member of this august House, esteemed Shri Tathagata Satpathy Ji spoke on this Bill in the 16th Lok Sabha. Mr. Bhartruhari Mahtab Ji has spoken on this and moved five amendments. I am happy and glad to say that the Government has almost accepted all the amendments. There are just one or two suggestions which I would like to make.

Tathagata *babu* had said, "The Triple Talaq Bill criminalises a civil wrong done by a particular community. As marriage itself is a civil contract, we feel that divorce-related offences under it should not be criminalised unless they can be linked to domestic violence or other criminal law issues." Since the Bill proposes that the act of triple talaq will result in imprisonment up to three years for the husband, there is no clear provision as to how the incarcerated person will provide maintenance to the wife.

Madam, these are generally poor people like rikshaw pullers, those working in hotels, etc., and they depend on their daily wages. They work every day, they earn every day, and they feed themselves every day. So, if such a poor person is sent to jail, how is it possible for him to pay maintenance to his wife. This is really complicated and this has to be clarified by the Government.

Also, as the triple talaq is void and the divorce would not have taken place, an incarcerated man may be coerced to provide subsistence allowance to a woman who is still his wife legally. When we say triple talaq is considered illegal and void by the Supreme Court law, how is it possible that the husband in jail will have to pay the maintenance to his legally-wedded wife? We have to think about that also.

The Bill should include a provision giving women the option to ratify a marriage annulment and claim the maintenance under this Bill. The wife has to be empowered and given a choice to elect whether she wants criminal consequences or civil consequences. Let her take the decision, let her take the power to take whichever one she opts for.

(P. 343 A)

Moreover, society today is moving towards decriminalising certain things and improving inter-personal relationships. Section 377 has been decriminalised. So, let us think beyond party lines, beyond political agendas. If we can think on those lines and consider it on a wider basis, it will be more helpful for the Indian Muslim women. Of course, it will be an honour from our side to those women and will empower them to move forward.

Madam, I would like to say that declaring the practice of triple talaq as void and illegal and providing for punishment as well as subsistence, acts as a sufficient deterrence to potential perpetrators of instant divorce and will go a long way in empowering Muslim women in this country. I am very happy today that I have been given this opportunity to speak on this wonderful historical Bill. I feel really privileged to be a part of this historical debate. For this, I would like to thank my party Biju Janata Dal, my leader Navin *babu*. And of course, Madam, I thank you for giving me this opportunity.

I believe the Government will definitely accept my suggestions and the hon. Minister will kindly address them during his reply.

Thank you.

(ends)

1504 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): थैंक्यू सभापति महोदया यहां पर मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2019 डिस्कस हो रहा है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): दानिश अली जी, इसका समर्थन कीजिएगा।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आप समर्थन करने लायक बिल लाते तो हम जरूर समर्थन करते। अभी भी हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप समर्थन करने लायक बिल लाइये। पूरा हाउस यूनैनिमस होकर उसका समर्थन करेगा। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने सवाल किया है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। वह भी बैठे-बैठे सवाल किया है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): दानिश अली साहब आप अपनी बात बोलिए।

(1505/MM/SNT)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): चेयरपर्सन मैडम, ऐसा लग रहा है कि जैसे महिलाओं को अधिकार दिलाने का राइट सिर्फ इनका है, बाकी विपक्ष में बैठे हुए लोगों को इसका कोई ध्यान ही नहीं है।

... (व्यवधान) हम आपको बता देना चाहते हैं कि महिलाओं के अधिकार दिलाने की बात तो कभी आपने की ही नहीं है। ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ... (व्यवधान) I am not yielding.

माननीय सभापति : इस बात को रिकॉर्ड में से निकाल दिया जाए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैंने अगर ऐसा कुछ कहा है तो बिलकुल कीजिए। ... (व्यवधान) मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैंने कुछ नहीं कहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए। रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग कृपया करके बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप कृपया अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सभापति महोदया, मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि एक अच्छे विषय पर बहस

चल रही है और पर्सनल टाइप के एलिगेशन पूरी पार्टी पर लगाना सही नहीं है। यह अनुचित है और उसको रिकॉर्ड से निकाला जाना चाहिए।

माननीय सभापति : उसको रिकॉर्ड से निकलवा दिया गया है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए, किसी पर व्यक्तिगत चार्ज मत लगाइए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैं किसी पर नहीं लगा रहा हूँ ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदया, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो रहा है, यह कहां का इंसाफ है... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप ऐसी कोई बात यहां मत बोलिए।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आप हाउस में इंसाफ नहीं दे रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ... (व्यवधान) मैडम, मुझे याद दिला दिया गया है कि मेरा टाइम अब स्टार्ट हो रहा है।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे आगे खड़ी हुई है। हमारी बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानती है और उनके उसूलों पर चलती है। महिलाओं का सशक्तिकरण मेरी लीडर बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है कि महिला क्या कर सकती है। वे चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हैं... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिखाया है... (व्यवधान) आज जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है ... (व्यवधान) आज जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है ... (व्यवधान) लोग बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद करते हैं... (व्यवधान) परिंदा भी पर नहीं मार सकता था... (व्यवधान) आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं।

मैं सबजैक्ट पर आना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी जब यह बिल लेकर आए तो उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा... (व्यवधान) सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जब यहां बिल रखा तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रोशनी में यह बिल ला रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत को, ट्रिपल तलाक को निरस्त कर दिया है। अब इस देश में कोई भी व्यक्ति ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है, वह null and void है। चैप्टर वहां क्लोज्ड हो गया। Chapter is closed there.

(1510/SJN/GM)

अब यह बिल किसलिए लाया जा रहा है? कानून की क्या जरूरत है? इन्होंने जिस बात को कहा है... (व्यवधान) सभापति महोदया, प्लीज हाउस को आर्डर में कीजिए। मैं आपके माध्यम से

यह कहना चाहता हूँ कि ये कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। पांच जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है कि ट्रिपल तलाक को अलाउ नहीं है। उसमें दो जजों ने कहा है कि इसमें कोई कानून होना चाहिए था... (व्यवधान) मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। यह ... (Not recorded) है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आपको अपनी बात कहनी चाहिए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, किसलिए यह जो एक सिविल अफेन्स है, उसको क्रिमिनल अफेन्स में बदलना चाहते हैं? आपने कहा है कि अगर जो ट्रिपल तलाक देगा, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी नल एंड वाइड कर दिया है कि वह तलाक नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ, आप उसके पति को जेल में भेज रहे हैं। जब उसका पति जेल में रहेगा, आप उसके वापिस आने के बाद उसमें निगोशीएशन का क्लॉज भी खत्म कर रहे हैं।... (व्यवधान) मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ... (व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे बस दो मिनट और दीजिए। ऐसी ... (Not recorded) मत कीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जल्दी से खत्म कीजिए। आप बिना मतलब की बातों में इधर-उधर समय गंवा रहे हैं। आपको अपनी बात करनी चाहिए थी।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, उन्होंने डिस्टर्ब किया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको टाइम दिया गया था। आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आप उनसे क्यों उलझ रहे हैं?

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, मैं आपको एड्रेस करके कह रहा हूँ।... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, इन्होंने स्पीकर के लिए कहा कि आप ... (Not recorded) मत कीजिए।... (व्यवधान) स्पीकर के खिलाफ ... (Not recorded) शब्द का प्रयोग किया है, वह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कानून बनता है, तो ... (Not recorded) शब्द नहीं आता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ... (Not recorded) शब्द को रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक सर्वे के

मुताबिक जो तलाक है, वह 0.56 प्रतिशत है, आधे प्रतिशत से भी कम है। उसमें तलाक का बिद्धत कितना है, यह डिबेट का प्रश्न है...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मुझे बताइए, आप उधर देखकर क्यों बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, वे मंत्री होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात को मुझसे कहिए।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद, आजम खां जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, सरकारी पक्ष का यह तरीका ठीक नहीं है। जिस तरीके से मंत्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वह सुनना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको मुझसे कहना चाहिए। आप इधर-उधर की बातों में क्यों भटक रहे हैं? आपको मुझसे कहना चाहिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदया, हमारे देश में इतने कानून हैं। 498 आईपीसी है, जो दहेज का एक्ट है, उसको लागू कीजिए। आप इस सिविल अफेन्स को क्रिमिनल अफेन्स में मत बदलिए...(व्यवधान) यह हमारी पार्टी का स्टैंड है...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

... (Interruptions) ... (Not recorded)

माननीय सभापति : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

(इति)

1514 बजे

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुख्तार साहब चले गए हैं, कुछ अच्छे शेर सुनाए थे। मैं चाहूंगा कि वह जहां भी हों, यह सुने कि—

“तू इधर-उधर की न बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा।”

माननीय सभापति : आप भी इधर देखकर बात कीजिए। उधर मत देखिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं तो आपको इतना देखूँ कि आप मुझसे कहें कि नजरें हटा लो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नजर नहीं हटाना है, आप मेरी तरफ देखकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, ... (Not recorded) ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं छोटी ... (Not recorded) हूँ इसलिए?

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, ... (Not recorded) ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह बोलने का सही तरीका नहीं है। इस सब को रिकार्ड में से निकाल दिया जाए।

...(व्यवधान)

(1515/KN/RSG)

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर) : आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं। आप ... (Not recorded)

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) : मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। इस टिप्पणी के लिए माफी माँगनी चाहिए।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है, आप ये शब्द वापस ले लीजिए। यह ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोले हैं, यह ठीक नहीं है। आप वापस ले लीजिए।...(व्यवधान)

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल) : यह आपके लिए बोला गया है, मैं इसका विरोध करती हूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : यह रिकार्ड से निकलवा दिया है। मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, कृपया आप सुनिए।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मैंने अभी माननीय सांसद महोदय को सुना है। उनको उस हाउस का और इस

हाउस का लम्बा अनुभव है। उत्तर प्रदेश विधान सभा का भी अनुभव है। वहाँ वे वज़ीर भी रहे हैं। चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं, उनको अच्छी समझदारी है। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, इसके लिए उनको माफी माँगनी चाहिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माफी माँगिए।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): इन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माफी माँग लीजिए।

...(व्यवधान)

1517 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष : बैठिये, प्लीज बैठिये। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, गलत। जो भाषा गलत है, मैंने टोका है। यह गलत है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह भाषा मत बोलिए। मैडम, नहीं, प्लीज। यह सदन है। किसी भी माननीय सदस्य के प्रति इस तरीके की बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्यगण, चेयर की गरिमा बनाना आपका काम है। सदन में मर्यादित बोलना भी सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है। हर विषय को मर्यादित कहते हुए आप अपनी बात कहें, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी ऐसी चीज, मैं खुद देखूँगा, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक होगा तो मैं सब को हटाऊँगा।

माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): पहले माफी माँगो। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): मुझे और बाकी लोगों को इस सदन और उस सदन का लम्बा अनुभव है। आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ वह भी एक महिला के खिलाफ नहीं कहा। हमारी सम्मानित सदस्य प्रिंसाइड कर रही हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। सर, उनको माफी माँगनी चाहिए। मैं आपसे यह अपील करूँगा। यह बहुत गम्भीर विषय है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बताइये।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): स्पीकर सर, इसमें रूल बड़ा स्पष्ट है। रूल नंबर 10, पेज नम्बर 7, यह साफ कहता है-

“The Deputy Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall, when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding.”

(1520/CS/RK)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। इसमें किसको आपत्ति है? जब सभापति चेयर पर बैठते हैं, तो उन्हें ऐज ए स्पीकर पूरा अधिकार होता है।

...(व्यवधान)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): इन्हें मॉफी माँगनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): महोदय, जो कुछ कहा गया है, वह आपके लिए कहा गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइए। मैं आपकी बात भी सुनूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बोलिए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मुझे दो ही बातें कहनी हैं। मैं यहाँ हाउस में बैठा हूँ। इनके पहले वरिष्ठ सदस्य दानिश अली ने बोला।...(व्यवधान) रूलिंग पार्टी के 3-4 मंत्री से लेकर सब लोग हल्ला करने लगे। ये सत्ता पक्ष के लोग हैं।...(व्यवधान) दानिश अली जी बिल के बारे में बोल रहे थे।...(व्यवधान) उसके बाद आजम खां जी का नम्बर आया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप इन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, फिर आजम खां साहब बोलने के लिए खड़े हुए। जब वे बोलने लगे, रूलिंग पार्टी की बेंचेज की तरफ से हल्ला होने लगा। जो सभापति महोदया चेयर पर पीठासीन थीं... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, ये सही नहीं कह रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है कि आप इनके बोलने के बाद बोलिएगा तो फिर आप बीच-बीच में क्यों ऐसा करते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, उन्होंने बोला कि आप मेरी ओर देखिए। आजम खां बोले कि मैं आपकी ओर देखना चाहता हूँ, लेकिन... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया)... (व्यवधान) आप देखिए, क्या हो रहा है?... (व्यवधान) इस हाउस में 78 महिला सदस्य हैं। उनमें एक भी मुस्लिम महिला नहीं है।... (व्यवधान) 2 मुस्लिम मंबर बोलेंगे और उसी समय रूलिंग पार्टी के सभी लोग हल्ला करेंगे।... (व्यवधान) हम आपका संरक्षण चाहते हैं, तभी विरोधी लोग बोल सकें।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं उस समय हाउस में था और जो सौगत राय जी कह रहे हैं, वह सही नहीं है।... (व्यवधान) वे दानिश अली जी का उदाहरण देकर बात को कह रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए। दादा, आप बैठिए। मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप बोलिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं उस समय हाउस में ही था। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोग इसलिए उत्तेजित हुए, सौगत दा जो डीविएट कर रहे हैं, वह विषय नहीं है। दानिश अली जी वाला विषय अलग था। वह टोका-टाकी वाला विषय था। यह जो आजम खां साहब वाला विषय था, इस विषय में कुटिलता झलकती है और भाव बहुत अच्छे नहीं हैं।... (व्यवधान) अच्छे भाव नहीं हैं और चेयर के प्रति दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है।... (व्यवधान) शब्दों का प्रयोग भी ठीक नहीं है।... (व्यवधान) पहले तो उन्होंने नकवी साहब को टोका कि वे कहाँ चले गए? उन्होंने इधर-उधर की बात की। चेयर से कहा गया कि आप इधर-उधर मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। ऐसा तो आसन कहता ही है। जब उन्होंने वह दूसरा शेर पढ़ा, वह ठीक नहीं था। चेयर के सम्मान के लिए उन्हें माँफी माँगनी ही चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : सुप्रियो जी, अब आप बोलिए। आपकी बात इनसे अलग हो तो ही बोलिएगा। आप बात को दोहराएँ नहीं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): सर, मैं बात को दोहरा नहीं रहा हूँ। जब दानिश साहब बोल रहे थे, मुझे ये शब्द दोहराते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सबके सामने ऐसा कहा गया।

माननीय अध्यक्ष : आप उस बात को मत दोहराइए।

श्री बाबुल सुप्रियो : उन्होंने कहा कि...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) इसके बारे में हमने बोला कि ये गलत शब्द हैं। यह मेरा पॉइंट नम्बर वन है।

पॉइंट टू यह है कि जब आजम खां साहब ने बोला, जैसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर निशिकांत जी ने कहा है, पहले स्पीकर मैडम ने उनसे कहा कि आपको जो भी कहना है, आप मुझे कहिए। उन्होंने उसके बाद जो दो लाइन बोली हैं, वे इतनी वाहियात हैं कि मैं उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ...(व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है। अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बाबुल सुप्रियो : महोदय, मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूँ। सौगत दादा जो बोल रहे हैं, वह बिल्कुल असत्य है।...(व्यवधान) आजम खां साहब का जो क्वोट है, उन्होंने उसे चेंज करके बोला है।...(व्यवधान) उन्होंने भी गलती की है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।...(व्यवधान)

(1525/RV/PS)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद आजम खां ने जो बोला है, उसे सारा देश देख चुका है। उसके बाद आप उस शब्द को साबित कीजिए। आप अन्दर जाइए, रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद सभा चलाइए और उसके बाद राय सुन लीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात सुनिए। सभा कोई स्थगित नहीं होने वाली है। इस लोक सभा का इतिहास रहेगा कि यहां सभा कोई स्थगित होने वाली नहीं है। ठीक है न!

माननीय अखिलेश जी।

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद आजम खां साहब, जो अपनी बात कह रहे थे और जब उन्होंने अपने शेर की दो लाइनें कहीं तो पीठ से यह कहा गया कि मुझे देखकर कहा जाए। मैं समझता हूँ कि उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गयी हैं, कहीं ऐसा नहीं है, जहां पर पीठ पर अंगुली उठाने की बात हो।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, अगर ये ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहते हैं तो इनसे ज्यादा ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कोई नहीं हो सकता, ये जो बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इधर से पूरे मिलकर ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहेंगे क्या?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): ये कैसे कह सकते हैं? क्या ये इतनी तमीज वाले लोग हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय अखिलेश जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एक राज्य के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन, आपने जो शब्द बोला है, वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य, पहले तो आपने जो वह शब्द बोला है, उसके लिए माफी माँगें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह गलत है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले आप ही बोल लें। जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूँ तो मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूँ। जब मैंने अखिलेश जी को बोलने के लिए कहा है तो अखिलेश जी को बोलने दें। आप भी बैठ जाइए। सदन में जब चर्चा कर रहा हूँ तो जिस माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाया है तो सदन से यह अपेक्षा करता हूँ कि उसकी पूरी बात सुनने दी जाए। सदन में अगर कोई बात आई है, उस पर वाद-विवाद होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था, जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि इनकी भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर वह अन-पार्लियामेंटरी रहा तो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिएगा...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) शब्द सदन में उचित है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसा कोई भी शब्द इधर से बोला गया हो, अगर माननीय मंत्री जी ने बोला होगा तो भी मैं उसी भाषा में बात करूँगा, जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरी आँखें

आपको अलग-अलग नजर नहीं आएंगी। अगर आपको मेरी आँखों में अन्तर नजर आए तो आप बताएं। कभी भी कोई वरिष्ठ मंत्री भी अगर यह भाषा बोलता है, जैसे बैठे-बैठे एक माननीय सदस्य ने कहा तो माननीय सदस्य को मैंने तुरन्त कहा कि इस शब्द का उपयोग इस सदन में करना उचित नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन को सारा देश देखता है। इस सदन के अन्दर मेरा आपसे यह आग्रह है।

मैं सुबह साढ़े नौ बजे आता हूँ और सदन जब स्थगित होता है, उसके बाद आधे घंटे तक यहां रुकता हूँ। कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं सदन छोड़ कर जाता हूँ। इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतम समय मैं सदन में बैठूँ, लेकिन सभापति पैनल की एक व्यवस्था है, इसके कारण मैं सदन छोड़ कर जाता हूँ।

(1530/MY/SNB)

माननीय सदस्य, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं। आपने कहा या कोई और माननीय सदस्य ने ऐसा बोला होगा, अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं कि उसने ऐसा बोला है, तो वह भी खेद व्यक्त कर लेगा। आप नाम बता दीजिए, अगर इनमें से किसी ने बोला है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नाम बता दीजिए। मैं उनसे कहूंगा, वे खेद व्यक्त करेंगे। आप बताइए कि किसने ऐसा बोला है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, क्या आप लोगों को बैठे-बैठे बोलने की कोई प्रॉब्लम है? आप संख्या में बड़े हो सकते हैं, लेकिन सदन सब की सहमति से चलता है। इसलिए, कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करें।

माननीय सदस्य, आजम खान जी, अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यह बोला गया है, तो आप अपनी तरफ से विचार रख दें कि आपका ऐसा वक्तव्य नहीं था, जो भी आपको रखना है। पहले आप खड़े होइए।

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर): मान्यवर, मैंने तो कहा कि मेरी ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हो आप और ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हो, बहुत ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हो। बार-बार कह रहे हैं कि बहुत ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन में बोल देंगे कि ऐसा कोई शब्द बोला गया है, तो मैं सदन से माफी चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर): मान्यवर, मेरी बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूँ, जिससे किसी का मन दुखे। ...(व्यवधान) पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, तो Sir, I declare my resignation in the House just now.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप शुरू करें... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, हमें सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम बायकॉट करते हैं। ... (व्यवधान)

1532 बजे

(इस समय कुंवर दानिश अली और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां (रामपुर): ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं है। ... (व्यवधान) मान्यवर, ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल होगा? ... (व्यवधान)

(इति)

1533 बजे

(इस समय श्री मोहम्मद आजम खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती किरण खेर।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, यह अच्छा नहीं हुआ है। ... (व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): सर, इनमें से जिनको जाना है, जाने दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय कल्याण बनर्जी, आप एक सेकेंड रुकिए।

... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I was not interfering in anything. I was listening to the views expressed by various Members. Hon. Member Shri Danish Ali was leaving the House and you had just before that criticised that words like ... (Not recorded) are unparliamentary. You yourself have said this. I am a neutral person. He was going out, comments have come from that side, I do not know exactly who has said that ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कर रहे हो, चले जाओ, इधर से निकल जाओ। ... (व्यवधान) It has been said just now. I am not speaking any untruth. आपने बोलना है न, What is this behaviour? He was walking out and such comments are being passed every time. This should not also be allowed. Maybe, when you are allowing me to speak, if I use any unparliamentary word, then that is bad. Similarly, I am sitting and I am not speaking but just passing certain comments which are parliamentary, then that is also bad. Therefore, this is also not fair and this is not good. I was sitting here and these comments have come from that side. I do not

know who have made these comments. But this is improper and this should not be done.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अधीर रंजन जी आप शॉर्ट में बोल लीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, इस सदन के अंदर हम एम.पी. लोग कैसे चलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमारे पास रूल बुक है, प्रोसिजर्स हैं, आपका डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ सारी किताबें वगैरह भी हैं और खासकर हमारा संविधान भी है। अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो हम आपके सामने अपना तर्क पेश करेंगे। सदन के आप मालिक हैं। आप तय करेंगे कि किस को यहां से हटाया जाए और किसको यहां रखा जाए, किसको एक्सपंज किया जाए और किसको यहां रखा जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जब यह कहते हैं कि मैं किसी को नहीं ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हूं, चाहे वह कोई भी हो।

माननीय अध्यक्ष: मैंने ऐसा ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) शब्द नहीं बोला है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): नहीं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम किसी को (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) सर, हम भी यह चाहते हैं कि कोई भी हो, आप किसी को ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) अगर कोई दोष करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई गलती करेगा, तो आप किसी को ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) यह मैसेज हमें मिल गया है।

(1535/CP/RU)

हम इसलिए बड़े साहस से, बड़ी दृढ़ता के साथ आपके सामने हर बात रखते हैं।

सब खत्म होने के बाद, आपके व्यवस्था देने के बाद आपने उनको बोलने का मौका दिया। फिर दोबारा कोई किसी की बात पर रूठ कर चला जाए और वह भी जब ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा होने लगे, तब माइनोरिटी कम्युनिटी के दो-तीन लोग अगर सदन से चले जाएं, यह हम सबके लिए अशोभनीय है। ऐसा मुझे लगता है। इससे बाहर बुरा संदेश जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष को ज्यादा धैर्य रखना चाहिए। हम जैसे आप अधीर न हों, आप ज्यादा धीर हों, क्योंकि सरकार आपकी है। आपके 353 सदस्य सदन में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हमें इतने अच्छे स्पीकर साहब मिले हैं, जो हम सबके साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। यह मेरी राय है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अधीर रंजन जी ने अभी अपनी बात कही। मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ। हम एक्सपंज करते हैं और कार्यवाही से हटा तो देते हैं, लेकिन यह भी उचित नहीं है कि सदन में कोई इस तरह की भाषा बोले, फिर कहें कि इसको एक्सपंज कर दें, मैं इसको उचित नहीं समझता। एक बार जनता के बीच में वह भाषा चली जाती है, तो जनता में संसद के प्रति एक गलत भाव बनता है, गलत इमेज बनती है। मेरा सुझाव है कि बोलते समय सभी माननीय सदस्य संसद की गरिमा के अनुसार बोलें। एक भी शब्द एक्सपंज करने की आवश्यकता इस संसद में नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती किरण खेरा

1537 hours

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

I rise to support the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill that makes the retrograde and archaic practice of instant Talaq a non-bailable offence.

Our country has over 17 crore Muslims, out of which more than eight crore are Muslim women. If you analyse the Census 2011 data, you will find that for every one divorced Muslim man, there are four divorced women. That means, 80 per cent of divorced Indian Muslims are women. But logically, if ten cases of divorce take place, there should be ten divorced men and ten divorced women. Right? This data implies that four times as many Muslim men as women remarry after pronouncing divorce. It is not just this but these men dump their wives through a simple proclamation of 'Talaq, talaq, talaq'. Muslim women have, so far, had no say in the Talaq-e-Biddat practice of divorce in Muslim personal law. This Bill seeks to change that, and I extend full credit to this Government for taking heed of this very important issue.

Four decades have passed since the Shah Bano case, a woman whom the courts provided maintenance after her husband divorced her by triple talaq but her grievance was side-lined and her struggle was disrespected when the Congress Government of that day enacted a law and restricted Muslim women's right to claim maintenance beyond a period of 90 days after divorce. It was a travesty of justice, and with one stroke they destroyed the future of many Muslim women and their children. Ironically, the Act was named as Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act.

I want to ask some questions to the Members of the Congress Party. Which rights were they protecting by leaving the woman vulnerable to the whim of her husband? Why was triple talaq not banned then? क्यों इन्होंने उस वक्त उसे इल्लिगल नहीं कहा, बैन नहीं किया? Why had their Governments always pledged loyalty to protection of minorities but turned a blind eye to the Muslim women of this country? Was their Government only for protection of minorities as long as it constitutes Muslim men who controlled the vote banks?

I am extremely happy that this Government does not indulge in this kind of hypocrisy. We have unequivocally condemned the practice of triple talaq.

We have unequivocally stood for the Shah Banos of the country. After the Supreme Court judgement till July, 2019, as the hon. Minister of Law was telling us, hundreds of cases of triple talaq have been reported from various parts of the country.

(1540/KSP/NK)

Imagine the number of cases that go unreported because इन बेचारी मुस्लिम महिलाओं को यह प्रथा लगती है कि यह नार्मल है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि लीगली उनके साथ क्या हुआ है? Our legal system provides a fair and efficient system of divorce to women. This practice is an insult to our legal system also. सारी मुस्लिम कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, मिश्र, जार्डन, मोरक्को और ट्यूनेशिया ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया है। The *Bharatiya Muslim Mahila Andolan* conducted a national survey in 2015 and found that 92.1 per cent of Muslim women backed a total ban on oral or unilateral divorce. It is now time for India to take this step.

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बारे में बात की, इनकी जितनी भी स्पीचेज थीं, Unfortunately, with due respect to everybody, I found that they lacked any substance. ये सिर्फ लीगल बात करते हैं और उसको करने से पहले बोलते हैं कि we stand for women empowerment. What kind of women empowerment are you talking about? You are paying lip service to the Muslim women of this country who need their legal rights to be taken care of and those women need to be given the same rights as all the other women who belong to any religion in this country. So, don't make an argument just to appease vote banks. Let us be real, let us be truthful and let us stand with the Muslim women of this country.

Sir, a lot of people have contended this Bill, saying if '*talaq talaq talaq*' does not mean anything and does not legitimize a divorce, why criminalize it and why criminalize a void verbal statement? I want to tell these people that it is important to send a message that a wife is not a disposable commodity. Even if the utterance is null and void now, the idea of it still symbolizes a one-sided end to marriage. Penalization of the word itself is the first crucial step towards curbing the power they once held.

I want an India where no woman in a Muslim household is scared of those three tragic words any more. I want an India where every Muslim man sees the wife as an equal, not as a commodity he can discard in such a callous fashion. The Supreme Court has said before and I would like to reiterate it: "A

women is not mortgaged to her husband after marriage. Her individual identity remains intact. We cannot put her through injustice claiming that her religion allows for it. उसका भी दिल है, उसकी भी जिन्दगी है, उसके भी बच्चे हैं। वह जीता-जागता इंसान है। यहां पर कोई परसेंट बता रहा था, पाइंट वन परसेंट है, पाइंट टू परसेंट है। अगर पाइंट एक परसेंट भी औरत दुखी है तो सरकार को हाऊस द्वारा प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। इसे आप आंकड़ों या परसेंटेज में नहीं निकाल सकते।

Sir, a woman after marriage is still a citizen of this country and this Government will protect her rights even if her religion cannot. Divorce is being given by husbands over Skype, over Whatsapp, over Email and SMS and phone calls. What kind of institution of marriage is this? If divorce becomes a mere whim, do the vows taken during marriage mean anything? Imagine the distress and uncertainty this creates, imagine the injustice. We have to realise that this practice is an easy bail out for all other evils too, such as dowry, domestic violence or even infidelity. कई दफा मन भर जाता है तो तलाक, तलाक, तलाक बोल देते हैं। उसमें कई दफा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, कुछ और नहीं होता है, जैसा बोल रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, डाऊरी बिल है, वे तुरंत दूसरी जवान बीबी से शादी कर लेते हैं। वह औरत बच्चों के साथ सड़क पर होती है। उसके भाई और बाप जो गरीब हैं उसे वापस नहीं लेना चाहते। अक्सर फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आती है इसीलिए इन औरतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। This current system ensures no accountability on the part of the husband.

कबूल है, कबूल है, पर क्या कबूल है, कब तक कबूल है, जब तक स्काइप पर बेगम को तलाक, तलाक, तलाक न कह दें, तब तक है? I want to ask this House today. How long is the validity of this *qubool hai*? The Prime Minister has said this before and I urge everyone again that this Bill and this issue is about women's rights. Do not make it about religion. Yet everybody who has spoken has spoken about religion.

(1545/SK/SRG)

हमने कहा है – सबका साथ, सबका विश्वास। हमें उन औरतों पर विश्वास है और उन औरतों को हम पर विश्वास है, इसीलिए हम उनके लिए यहां खड़े हैं।

We should condemn this practice unanimously. That is why, a uniform divorce law becomes important, so our women are not left at the mercy of their religion or their husbands after marriage. I would also exhort the Minister to hold nationwide campaigns and spread awareness about the practice of triple

talaq being null and void now for the uneducated Muslim women who are still tied by this archaic practice.

No law which brings injustice to women and children can be considered an intrinsic part of any religion which preaches compassion and it cannot be part of any country which is civilized. There is nothing anti-Muslim to stand up for the rights of women.

I would urge all Muslim men to be part of repealing this capricious practice from the society and their families.

The institution marriage is an institution of mutual respect. It is an institution of equal power, and any practice that intends to challenge that is derogatory and should be challenged. Marital relationships cannot be allowed to be patriarchal institutions driven by power vested in a male. सिर्फ आदमी की पावर नहीं हो सकती, इसमें हर पत्नी और औरत का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। A wife is a partner in the family. She is not cattle to be herded anyhow. अभी तुम आओ, शादी करो- कबूल है, कबूल है, कबूल है और अब तुम जाओ - तलाक है, तलाक है, तलाक है। ऐसे कैसे चल सकता है? वह जीती जागती इंसान है, हमारे देश की औरत है, हमारी बहन है।

The dignity of the Muslim wives needs to be upheld and if their husbands cannot do it, then the State will step in, our Government will step in.

With this, I congratulate the Government for taking this great step and I again extend my full support to this Bill. I respect this Government, my Prime Minister and the Law Minister for bringing it in. I am sure that it will bring justice to my Muslim sisters.

With these words, I conclude.

(ends)

1547 बजे

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यहां व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी पार्टी का समय कम है, इसलिए मैं मंत्री जी की कुछ बातें, जो उन्होंने पिछली बार सदन में इस बिल के संदर्भ में कही थीं और वर्तमान में मीडिया चैनल और लोकसभा में इंटरव्यू के वक्त कही हैं, उसी का जवाब देना चाहता हूँ। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए या मिसइंटरप्रेट हो जाए तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मुझे सही करें।

महोदय, सत्ता पक्ष कहती है कि कांग्रेस मिक्सड बात कर रही है, मिक्सड वॉएस है, कभी बिल के पक्ष में कहती है और कभी बिल के विपक्ष में कहती है। यह सत्ता पक्ष की चाल दिखाने के लिए है कि कांग्रेस कन्फ्यूज्ड हैं। कांग्रेस कन्फ्यूज नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसी दिन हमारी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वैलकम किया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या कहा गया था कि तलाक-ए-बिद्दत अनकांस्टीट्यूशनल है, हमने माना। अगर तलाक-ए-बिद्दत के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पढ़ें तो इसे सिनफुल कहा है कि यह एक तरीके से पाप है, हमने इसे माना है। तलाक-ए-बिद्दत आर्टिकल 14 के खिलाफ है क्योंकि महिला के पास वह ताकत नहीं है जब उसका शोहर एक ही सैकिण्ड में तीन शब्द तलाक के कहकर शादी को भंग करता है। यह संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हम इसके पक्ष में हैं, हमने इसका स्वागत किया है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व कानून मंत्री ने भी इसका स्वागत किया है। इस पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है, आप बाहर के मीडिया में निर्वाचन भाषण में हमारी स्थिति के साथ तोड़-मरोड़ करने की कोशिश न करें।

महोदय, कानून मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून लाने के लिए निर्देश दिया है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ा है। जस्टिस खेहर ने कहा है –

“This is for the Parliament to bring a law.”

(1550/MK/KKD)

“We, therefore, hereby direct the Union of India to consider appropriate legislation, particularly with reference to ‘talaq-e-biddat.’ आप यहां सुन लीजिए, मीनाक्षी भी सुन लीजिए। “We hope and expect that the contemplated legislation will also take into consideration advances in Muslim Personal Law, ‘Shariat’, as have been corrected by legislation the world over, even by theocratic Islamic States”

सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बेशक कानून लाइए, लेकिन जो कानून लाएंगे, वह कानून शरीयत के अनुकूल है कि नहीं और दूसरे 22 देशों में जहां ‘तलाक-ए-बिद्दत’ बैन है, उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। अब मैं कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहां लिखा है कि ‘तलाक-ए-बिद्दत को आप क्रिमिनल ऑफेंस कर दीजिए, कहीं नहीं लिखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, इसको आप लेकर आए हैं। आप बता दीजिए कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यह 'तलाक-ए-बिद्दत' के खिलाफ पहला जजमेंट नहीं है। इससे पहले भी बहुत जजमेंट हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने इस जजमेंट को जितना अटेंशन दिया है, उतना पुराने जजमेंट को नहीं दिया है। गुवाहाटी हाइकोर्ट का एक जजमेंट है कि 'तलाक-ए-बिद्दत' नहीं हो सकता, उससे पहले रिकान्सिलिएशन होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में मंजूर अहमद का एक केस है कि अगर हम 'तलाक-ए-बिद्दत' तीन बार बोलें तो तीन बार को एक ही बार गिना जाए। हमारे देश में विभिन्न समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जिसमें कहा गया है कि 'तलाक-ए-बिद्दत' अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हमें एक भी जजमेंट दिखा दीजिए। मैं विद्वान नहीं हूँ, न मैं कानून का छात्र हूँ, आप मुझे एक भी जजमेंट दिखा दीजिए, जहां यह कहा गया है कि 'तलाक-ए-बिद्दत' को क्रिमिनल ऑफेंस करना चाहिए। आप 22 देशों की बात करते हैं कि 22 देशों में यह बैन है, हमारे यहां क्यों नहीं है? हम इसका स्वागत करते हैं, हम भी मानते हैं कि यह पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन, आप बता दीजिए कि 22 देशों में से किस देश में यह क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या ट्यूनिशिया, पाकिस्तान, इराक या सीरिया में क्रिमिनल ऑफेंस है? मात्र एक देश में क्रिमिनल ऑफेंस है, वह बांग्लादेश है, जहां एक साल का है। आप जो बिल ला रहे हैं जिसमें तीन साल के लिए 'तलाक-ए-बिद्दत' को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, यह केवल आपकी सरकार यहां पर ला रही है। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ 'to demonise Muslim and to penalise Muslim men.' यही आपका उद्देश्य है। कानून मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आज 'तलाक-ए-बिद्दत' के केसेज हो रहे हैं। 200 से ज्यादा केसेज हो गए हैं। सरकार क्या करे, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी पुलिस स्टेशन में रख दें? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी मुस्लिम महिलाओं या महिलाओं को वर्ष 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रावधान हैं, उसके बारे में हम उनको जानकारी क्यों नहीं देते हैं? जो मेंटेनेंस के लिए जो 125 सीआरपीसी का सेक्शन है, उसके बारे में उनको लीगल अवेयरनेस क्यों नहीं देते हैं? आज 'तलाक-ए-बिद्दत' शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन इसके द्वारा भी अगर हैरासमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस महिला के पास भी उतना ही अधिकार है, जैसे एक हिन्दू महिला के पास है कि वह पुलिस में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कम्प्लेन्ट करे। मीनाक्षी जी यह तो सेक्युलर एक्ट है। आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्यों नहीं लाते हैं? वर्तमान में इस बिल में मेजर लक्यूना है। आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं। जब एक हिन्दू पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है क्या उसको जेल जाना पड़ता है, जब एक पारसी व्यक्ति अपनी पत्नी को घर पर छोड़ता है क्या उसको जेल में जाना पड़ता है? आपकी सरकार ऐसा कानून क्यों ला रही है कि अगर हिन्दू महिला को पीड़ा होती है तो दो साल तक जब तक डिसेर्शन नहीं होता, तब तक वह डिवोर्स फाइल नहीं कर सकती। जब पारसी महिला का डिवोर्स का केस होता है तो दो साल जब तक उनके शौहर छोड़ नहीं देते तब तक वह केवल डिवोर्स के लिए ही फाइल कर सकती है। आप ऐसा कानून क्यों लाएं जो हिन्दू और पारसी नारी के पक्ष में नहीं हैं। मैं कानून मंत्री जी पूछना चाहता हूँ। क्या यह संविधान के आर्टिकल 14 के

खिलाफ नहीं है? संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि हर उस नागरिक को उस कानून के सामने समान रूप से संरक्षण मिलना चाहिए। आप जो संरक्षण एक मुस्लिम महिला को देना चाहते हैं, हम आपसे आवेदन करते हैं कि हिन्दू और पारसी महिला को भी दीजिए। इस पूरे बिल का नाम चेंज करके 'Indian Women Marriage and Protection Act.' कर दीजिए। मुस्लिम क्यों रखा है? इसका मतलब आपकी मंशा सही नहीं है। आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं।

(1555/YSH/RP)

मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। मैरिटल रेप को अगर क्राइम साबित कर देंगे तो शादी की जो परम्परा है, वह बिगड़ सकती है। मतलब जब एक मुस्लिम पुरुष तीन शब्द, जिसका आज कोई संवैधानिक अर्थ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वे तीन शब्द अगर वह बोल दे, तो उसको तीन साल की सजा हो जाती है। लेकिन जब एक आदमी अपनी पत्नी के साथ जबर्दस्ती करता है, तो वह आपके लिए कानून नहीं है। यह कैसा जेन्डर जस्टिस है। यह कैसी जेन्डर इक्वैलिटी है। कानून मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल मेनडेट है। हम 350 हैं। क्या पॉलिटिकल मेनडेट का मतलब यह है कि हम स्टैंडिंग कमेटी को खत्म कर दें? क्या स्टैंडिंग कमेटी भी एंटी नेशनल हो गई है? क्या स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजना भी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हो गया है? हम यह मांग कर रहे हैं कि आप इस बिल को तंदुरुस्त कीजिए, संवैधानिक ढांचे में लाइए। मुस्लिम महिलाओं का पक्ष पूछिए।

सर, बस एक मिनट और दे दीजिए। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठकर मुस्लिम महिलाओं को कैसे अपने निकाहनामे में, कान्ट्रेक्ट के अन्दर ही तलाक ए बिदत जायज नहीं है यह उस कान्ट्रेक्ट में डालिए, यह आप क्यों नहीं करते हैं। अंत में, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और पांच साल बाद आपने सबका विश्वास इसमें जोड़ दिया, यह जोड़ना पड़ा, क्योंकि आपके पांच साल के विकास के बाद भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएँ इसलिए आपको यह जोड़ना पड़ा। इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ ... (व्यवधान) अगर आपको सबका विश्वास चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मॉब लिंग पर लॉ लाइए, अगर आपको सबका विश्वास चाहिए तो असम में जो रिटायर्ड ... (व्यवधान) सर, खत्म कर रहा हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाहा जो एन.आर.सी. में नहीं है, उनकी पत्नी को आप न्याय दें... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपके ही लोगों का समय जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अगर आपको सबका विश्वास जीतना है तो कठुआ में जब एक बच्ची का रेप होता है तो दो राज्य मंत्रियों को वहां न भेजे... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुनील तटकरे के अलावा किसी का अंकित नहीं हो।

...(व्यवधान)

(इति)

1557 hours

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Thank you very much, Sir. I am happy that nowadays we are talking more about women empowerment. I am proud that the first Women Policy in the country and the first women reservation in the local self-Government was given in Maharashtra. Maharashtra was a pioneer State and my mentor Shrad Pawar ji was heading the State at that time.

Since morning I talked to many of the Muslim families, who are renowned and highly reputed families and who work in various sectors of my Raigad Parliamentary Constituency. They expressed their feelings that there is no such law in Islam. It is not written in Quran and Hadees that one can give the triple talaq at once. It is a wrong interpretation. If there is fight happening in a marriage, the first solution is that the husband should try, explain and solve the problem. If still it is not solved, they should sleep separately. And the third solution is that their families should involve and try to solve the problem. After doing all this, if still they could not solve the problem, then they have to go to the Sharia Court. The solution of their problem will be given according to the Quran and Hadees. The whole procedure is very long and it takes time to understand the husband and the wife.

Sir, the criminalisation of talaq under Sections 3 and 4, while intending to protect the married Muslim women, face some legal and operational challenges. Since marriage under Islamic law is a civil contract, the Bill must follow the civil procedure. The current criminal nature of offence is, in this respect, inappropriate given the nature of the subject. Moreover, the scholars suggest that the legislation should have included the offence under the ambit of this Domestic Violence Act instead of complete criminalisation.

In this manner, women would receive many more benefits such as protection against violence, right to residence in marital home which are not available under the current provisions.

(1600/RCP/RPS)

If you go through the survey and remove the percentage of triple talaq, it is hardly one per cent in India. The Government is passing the Bill and is assuming that they are only favouring women, but the man of the house goes to jail and he has to face punishment. There will be more hatred among the married couples. After he goes to jail, who will take the responsibility of his wife, his kids and the rest of his family? Who will feed them? In fact, they will suffer more after he goes to jail.

Nowadays, the Muslim community is facing mob lynching in the country. So, we oppose the provision of punishment in this law.

Thank you very much, Sir.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको स्थिति से अवगत करा दूँ कि सभी माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ। बीएसी में भी सभी माननीय सदस्यों का यह मत था कि जितना समय आबंटित होता है, उससे ज्यादा समय सभी को सदन में मिल रहा है। इसलिए हर बिल पर बोलने के बारे में सभी लोगों ने बीएसी में बैठकर यह तय किया है। इसलिए सभी लोग संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री असादुद्दीन ओवैसी ।

1601 बजे

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): शुक्रिया, मोहतरम स्पीकर साहब।

मैं इस बिल की मुखालफत में खड़ा हुआ हूँ। यह मेरी कंसिस्टेंट एप्रोच है। तीसरी मर्तबा मैं इसकी मुखालफत में खड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह, जब तक जिन्दगी बाकी रहेगी, इस बिल की मुखालफत करता रहूंगा।

मोहतरम स्पीकर साहब, यह बिल हिन्दुस्तान की आईन की दफा 14, 15, 21, 26 और 29 की खिलाफवरजी करता है। यह हमारे आईन के बुनियादी हकूक की मुखालफत करता है। अब आप देखिए कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने होमो-सेक्सुअलटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं तो वाकई मैं आप नया हिन्दुस्तान बनाने जा रहे हैं, मैं मुबारकवाद देता हूँ आपको।

तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर कोई मुसलमान गलती से अपनी बीबी को तीन बार तलाक कहता है, तब भी शादी नहीं टूटती है। यह बात आप बिल में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती है। यहां पर जितने एवाने अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस्लाम में नौ किस्म के तलाक हैं, जिनमें से एक है ट्रिपल तलाक। होता यह है कि अगर किसी मुसलमान ने तीन मर्तबा एक साथ तलाक कह दिया, यह औरतों के खिलाफ इसीलिए है कि उस मुस्लिम मर्द पर आज केस दर्ज करेंगे, वह पुलिस में जाकर बोलेगा कि मैंने तीन बार नहीं, एक बार कहा है। अब इस्लाम में यह चलन है कि तीन महीने के बाद तलाक हो जाता है। आप इस तरह का कानून बनाकर उस मर्द को मौका दे रहे हैं और उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है।

चौथी बात, बर्डेन ऑफ प्रूफ में उस मर्द के घर से कौन कोर्ट में जाकर, उस कमजोर महिला, जिसके खिलाफ जुल्म किया गया है, उसकी ताईद में खड़ा रहेगा? आप बर्डेन ऑफ प्रूफ औरत पर डाल रहे हैं। आपको मुबारक हो, वाकई मैं यह आपकी अच्छी सोच है। आप शौहर को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, जेल में डालने के बाद, क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटिनेंस देगा? अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसे तीन साल सजा देते हैं तो क्यों वह औरत तीन साल तक उस शादी में रहे? क्या यह औरतों पर जुल्म नहीं है कि मर्द जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठी रहे? तीन साल के बाद जब वह जेल से निकलेगा तो क्या औरत यह कहे कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है? यह कौन सा इंसाफ है? आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने को अख्तियार मिलना चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हैं।

पांचवीं बात, बेल देने के बारे में बिल में कहा गया है कि कोर्ट खातून को सुनेगा। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते। बेल देने के बारे में प्रॉसिक्यूशन इंडिपेंडेंटली बहस करता है और कोर्ट फैसला देता है। यहां आपने तय कर दिया, ऐसा न मर्डर के केस में है, न दफा 307 में है, लेकिन आप बोल रहे हैं।

यह कम्पाउंडेबल कब होगा? आप इसे महिला पर डाल रहे हैं। दफा 498 में ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है। जब डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होता है तो एक ऑफिसर एप्वाइंट होता है, जो जाकर मियां-बीवी से बात करता है, फिर अपनी रिपोर्ट देता है। आप शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं।
(1605/RAJ/SMN)

सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यह एनडीपीएस एक्ट में होता है। यह टेररिस्ट एक्ट में होता है, आप वह भी छीन ले रहे हैं, आपको मुबारक हो। कोर्ट क्या कह रही है, नॉन-एस्ट, जब तलाक नहीं होता है तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं। मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ। एक्ट्स रियस नहीं है, एक्ट्स रियस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे।

सर, आप पॉक्सो एक्ट बड़ी नीयत से बना रहे हैं। मैंने आज नोबेल प्राइज विनर, कैलाश सत्यार्थी का स्टेटमेंट पढ़ा है। वह कह रहे हैं कि गुजरात में बच्चों का जो रेप होता है, उन केसेज को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे। कन्विकशन रेट नौ प्रतिशत है। इस तरह के हस्सास केसेज में आप सजा नहीं दे रहे हैं और आप इन्साफ करने के लिए निकले हैं, आपको मुबारक हो।

सर, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रुडेंस में तीन साल की सजा, 153(ए), 233, उसमें तीन साल, इसमें तीन साल गुस्से में ला रहे हैं। सर, आपका तीन साल बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिसप्रुडेंस के अगेन्स्ट है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपका मकसद क्या है? मैं आपके जरिए हुकूमत से सिफारिश करता हूँ। आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। इस्लाम में निकाहनामा है। आप एक कंडिशन लगाइए कि कोई भी मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो मेहर के एप्माउंट का पांच सौ फीसद देना पड़ेगा। Violation of a condition will lead to conviction and to prison also. इस्लाम में शादी जन्म-जन्म का साथ नहीं है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। यह जिंदगी के हद तक है और हम उसमें खुश हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वह जन्म-जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है।...(व्यवधान) मैं यह क्यों कहता हूँ?... (व्यवधान)

सर, अब जो शादी कर रहे हैं, जिनके पास बीवी है, उनको मालूम है। इसीलिए सब हँस रहे हैं।...(व्यवधान) सबको मालूम है कि क्या तकलीफ है। सभी बाहर जाकर जिंदाबाद कहेंगे लेकिन घर में क्या होता है, सभी को मालूम है।

सर, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 में रिलिजियस डीनॉमिनेशन को अपने राइट को प्रोटैक्ट करने का अख्तियार है। हिन्दुस्तान में मुसलमान होमोजिनस नहीं है, हनफी, शिया और अहले हदीस हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए शियाओं सेगा है, अहले हदीस मानते हैं लेकिन हनफी नहीं मानते। बार-बार जो इस्लामिक मुमालिक का उदाहरण देते हैं, आप जरा पढ़ लिया कीजिए। अल्जीरिया में शाफई है, केरल में शाफई है। ईरान में शिया है। यह गलत तरीका है। हमें इस्लामिक मुमालिक से मत मिलाइए। वरना रैडिकलिज्म बढ़ेगा। हमें इस्लामिक मुमालिक से मतलब नहीं है, हमें हिन्दुस्तान, भारत से मतलब है।

सर, आप सरकार की साफ नीयत देखिए। जब 'मी टू' मूवमेंट चला तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया। आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। आपकी महिलाओं से मोहब्बत आपको मुबारक हो। हमारे भारत में 23 लाख हिन्दू महिलाएं हैं, जो अपने हसबैंड के साथ नहीं हैं। तो कहां गई आपकी मोहब्बत?... (व्यवधान)

सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं कमजोर हूँ, दो तो भगा दिए गए... (व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं के जो रेप हुए, उनके एक भी केस में कन्विकशन नहीं हुआ। मुबारक हो, यह आपकी मोहब्बत है! जुलाई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉब-लिंगिंग के खिलाफ कानून लाइए। आप अभी तक वह नहीं लाए, आप वह क्यों नहीं लाते हैं? मैं खत्म कर रहा हूँ – लास्ट सन्टेन्स।

अगर आप वाकई में यह करना चाह रहे हैं तो जल्लिकडू पर ऑर्डिनैस लाएं। क्या मुझे आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? अगर आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के वजीरे आजम, हिन्दुस्तान के वजीरे दाखला, हिन्दुस्तान के वजीरे कानून, बीजेपी की जितनी महिला एमपीज हैं, उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में सबरीमाला लेकर जाइए, कृपया उन्हें लेकर जाइए। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कह रहा हूँ कि यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमदुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह कयामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे, कानून बनाने से सोशल ईविल का खात्मा नहीं होता है। औरतों पर जो जुल्म हो रहा है, वह कानून से खत्म नहीं हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि राजीव गांधी जी ने जो कानून बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अपने इल्म में इजाफा करें और अपनी ... (Not recorded) का सबूत मत दीजिए। यह कानून मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म करेगा, इसीलिए मैं इसकी खिलाफत करता हूँ।

(इति)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): شکریہ، محترم اسپیکر صاحب، میں اس پل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں، یہ میرا کنسٹیٹ اپروچ ہے۔ تیسری مرتبہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں اور انشاء اللہ جب تک زندگی باقی رہے گی، اس پل کی مخالفت کرتا رہوں گا۔

محترم اسپیکر صاحب، یہ پل ہندوستان کی آئین کی دفعہ 26□21□15□14 اور 29 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھئے کہ ٹریل طلاق کو کریمینلز کر دیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے ہومو سیکسویلیٹی کو ڈی کریمینلز کر دیا ہے، ایڈلٹری کو ڈی کریمینلز کر دیا اور آپ ٹریل طلاق کو کریمینلز کر رہے ہیں تو واقعی میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔

تیسری بات، سپریم کورٹ نے کہا، یہ پل بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار طلاق کہتا ہے تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہ بات آپ پل میں کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں ٹوٹتی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ایوانِ اراکین ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں 9 قسم کی طلاق ہیں، جن میں سے ایک ہے ٹریل طلاق۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے تین مرتبہ ایک ساتھ طلاق کہہ دیا، یہ عورتوں کے خلاف اس لئے ہے کہ اس مسلم مرد پر آج کیس درج کریں گے، وہ پولس میں جا کر بولے گا کہ میں نے تین بار نہیں ایک بار کہا ہے۔ اب اسلام میں یہ چلن ہے کہ تین مہینے کے بعد طلاق ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح کا قانون بنا کر اس مرد کو موقع دے رہے ہیں، اور اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون مسلم خواتین کے خلاف ہے۔

چوتھی بات، برٹن آف پروف میں اس مرد کے گھر میں کون کورٹ میں جا کر، اس کمزور عورت، جس کے خلاف کیا گیا ہے، اس کی تائید میں کھڑا ہوگا۔ آپ برٹن آف پروف عورت پر ڈال رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، واقعی میں یہ آپ کی اچھی سوچ ہے۔ آپ شوہر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں گے، جیل میں ڈالنے کے بعد، کیا کوئی

شوہر جیل میں بیٹھ کر مینٹی نینس دے گا؟ اگر کورٹ نے فیصلہ لیا کہ اسے تین سال سزا دیتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے؟ کیا یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ مرد جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھی رہے۔ تین سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو کیا عورت یہ کہے کہ بہاروں پھول برسائو، میرا محبوب آیا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے، جو آپ نہیں دے رہے ہیں۔

پانچویں بات، بیل دینے کے بارے میں ہل میں کہا گیا ہے کہ کورٹ خاتون کو سنے گا۔ ہوم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے ہیں۔ بیل دینے کے بارے میں پروسیکیوشن انڈیپینڈینٹلی بحث کرتا ہے اور کورٹ فیصلہ دیتا ہے۔ یہاں آپ نے طے کر دیا، ایسا نہ مرڈر کے کیس میں ہے، نہ دفعہ 307 میں ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں۔

یہ کمپاؤنڈیبل کب ہوگا؟ آپ اسے عورت پر ڈال رہے ہیں۔ دفعہ 498 میں ایسا نہیں ہے، ڈومیسٹک وائلینس میں ایسا نہیں ہے۔ جب ڈومیسٹک وائلینس کے قانون کا استعمال ہوتا ہے تو ایک آفیسر اپونٹ ہوتا ہے، جو جا کر میاں بیوی سے بات کرتا ہے، پھر اپنی رپورٹ دیتا ہے۔ آپ شادی کو ختم کر رہے ہیں، عورت کو روڈ پر لا رہے ہیں اور اس کے شوہر کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔

جناب، پریزمپشن آف انوسینس، یہ این-ڈی-پی-ایس۔ ایکٹ میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیررسٹ ایکٹ میں ہوتا ہے، آپ وہ بھی چھین رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ کورٹ کیا کہہ رہی ہے، نان ایسٹ، جب طلاق نہیں ہوتا ہے تو آپ پھر کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ میں بھی قانون کا اسٹوڈینٹ ہوں ایکٹس ریس نہیں ہیں، ایکٹس ریس ہوا ہی نہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سزا دیں گے۔

سر، آپ پاسکو ایکٹ بڑی نیت سے بنا رہے ہیں۔ میں نے آج نوبل پرائز ونر کا اسٹیٹمینٹ پڑھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں بچوں کا جو ریپ ہوتا ہے، ان کیسز کو مکمل کرنے کے لئے 25 سال لگیں گے۔ کنوکشن ریٹ 9 فیصد ہے۔ اس کے حساس

کیسز میں آپ سزا نہیں دے رہے ہیں اور آپ انصاف کرنے کے لئے نکلے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔

سر، کریمنل جیورسپروڈینس میں تین سال کی سزا، 233, (A), 153 اس میں تین سال، اس میں تین سال غصہ میں لا رہے ہیں۔ تین سال کی سزا بیسک کریمنل جیورسپروڈینس کے خلاف ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کے ذریعہ حکومت سے سفارش کرتا ہوں۔ آپ لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں۔ اسلام میں نکاح نامہ ہے۔ آپ ایک کنڈیشن لگائیے کہ کوئی بھی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹریپل طلاق دیتا ہے تو مہر کے اماؤنٹ کا 500 فیصد دینا پڑے گا۔ Violation of a condition will lead to conviction and to prison also. اسلام میں شادی جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ یہ زندگی کی حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جنم جنم کا ساتھ ہے، نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے۔ (مداخلت)۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں۔ (مداخلت)۔

سر، اب جو شادی کر رہے ہیں، جن کے پاس بیوی ہیں، ان کو معلوم ہے۔ اس لئے سب ہنس رہے ہیں۔ (مداخلت)۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا تکلیف ہے۔ سبھی باہر جا کر زندہ باد کہیں گے، لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے سبھی کو معلوم ہے۔ سر، آرٹیکل 26 کا وائلیشن کیوں ہے؟ آرٹیکل 26 میں ریلیجیوس ڈینومینیشن کو اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے۔ ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہیں، حنفی، شیعہ و اہل حدیث ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، مختار عباس نقوی صاحب، چلے گئے، ان سے پوچھ لیجئے شیعہ میں صیغہ ہے، اہل حدیث مانتے ہیں، حنفی نہیں مانتے۔ بار بار جو اسلامک ممالک کی جو مثال دیتے ہیں، آپ زرا پڑھ لیا کیجئے۔ الجیریا میں شافعی، کیرل میں شافعی ہیں۔ ایران میں شیعہ ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے ہمیں اسلامک ممالک سے مت ملائیے، ورنہ ریڈیگنڈرم بڑھے گا۔ ہمیں اسلامک ممالک سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اسلام سے مطلب ہے۔ ہندوستان سے مطلب ہے۔

سر، آپ سرکار کی صاف نیت دیکھئے۔ جب می۔ٹو۔ موومینٹ چلا تو گروپ آف منسٹر کی رپورٹ کہاں گئی؟ آپ نے گروپ آف منسٹر کو ڈیسبینڈ کر دیا۔ آپ نے اپنے ایم۔پی۔ کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ آپ کی خواتین سے محبت، آپ کو مبارک ہو۔ ہمیں ہمارے ہندوستان میں 23 لاکھ ہندو خواتین ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہیں، تو کہاں گئی آپ کی محبت (مداخلت)۔۔

سر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں کمزور ہوں، دو تو بھگا دئے گئے (مداخلت)۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مظفر نگر میں مسلم خواتین کی جو ریپ ہوئی ان کے ایک بھی کیس میں کنوکشن نہیں ہوا، مبارک ہو، یہ آپ کی محبت ہے۔ جولائی، 2018 میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ماب لنچنگ کے خلاف قانون لائیے۔ آپ ابھی تک وہ نہیں لائے، آپ وہ کیوں نہیں لاتے ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں۔

اگر آپ واقعی میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جلی کٹو پر آرڈینینس لائیے۔ کیا آرٹیکل 29 کا مجھے پروٹیکشن نہیں ملے گا؟ اگر آپ واقعی میں خواتین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعہ سے سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کے وزیر داخلہ، ہندوستان کے وزیر قانون، بی۔جے۔پی۔ کے جتنی مہیلا ایم۔پیز ہیں ان کو اسپیشل ائر کرافٹ میں سپری مالہ لے کر جائیے، کریپا انہیں لے کر جائیے۔

میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب، تمدن، ان کے مذہب سے دور کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ ہم جب تک ہندوستان میں رہیں گے صفِ قیامت تک رہیں، اپنے دین پر رہیں گے، قرآن اور سنت پر رہیں گے۔ قانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہ قانون سے ختم نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ راجیو گاندھی جی نے جو قانون بنایا، اس کو سپریم کورٹ نے اپ ہیٹ کیا۔ اپنے علم میں اضافہ کرو اور اپنی جہالت کا ثبوت مت دیجئے۔ یہ قانون مسلم خواتین کے ساتھ ظلم کرے گا، اس لئے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ شکریہ

(ختم شد)

(1610/IND/MMN)

1610 बजे

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर चौका कैसे होगा, क्योंकि आपने मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया है। जिन्होंने इतनी मुबारकबादें दी हैं, उन्हें भी दो-चार मुबारकें हम भी दे दें। मैंने देखा कि बहुत सारे लॉ के अभ्यास विशारद यहां बैठे हुए हैं, जो पहली शादी में ही अपनी पत्नी से तंग आ गए हैं। जब उन्होंने मुबारकबाद दी, तो मुझे इस बात का इल्म हुआ कि वे हम सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। यहां चचा बैठे थे, जो चिल्ला रहे थे, हम सभी यहां बैठे हैं। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि कल गलती से आपके खुशहाल परिवार में उस बेटी को व्हॉट्सएप पर तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया तो हम आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए दुखी होंगे। आपकी मुबारकबाद का क्या अर्थ है? महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है। मैं स्वयं मराठी से पढ़ी हूँ। हम अंग्रेजी दस-बारह साल के होने के बाद सीखते हैं। तब 'ही' और 'शी' का मतलब सीखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि बाबा how is 'he' or 'she' placed? उन्होंने कहा कि 'ही' पुरुष होता है और 'शी' महिला होती है। मैंने कहा कि 'ही' और 'शी' क्यों होता है। तब उन्होंने कहा कि 'ही' पुरुष होता है, लेकिन 'ही' के पहले 'एस' लगाया है क्योंकि superior to 'he' वह महिला 'शी' होती है, यह मेरे पिताजी ने सिखाया है। इसी विचारधारा को लेकर हम चलते हैं। इसी बात पर मैं अपने प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उसी superior to 'he' को वे ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए यह बिल लाए हैं।

महोदय, जब हम विवाह पद्धति के बारे में बात करते हैं, it is a sacred institution. आप उसे बिजनेस कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। शायद कांट्रैक्ट कहते हैं। हमारे में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, वे चाहे कोई भी हों चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों या क्रिश्चियन हों, in sickness and health, I am with you. जब मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं, तो हर सात सवालों पर हम एक-दूसरे के साथ रहते हैं। हम ये विचार लेकर चलते हैं। मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूँ कि इसी पद्धति को हर किसी को उस ताकत के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। धर्म की परिभाषा हर कोई अपने रूप से बता सकता है। धर्म की परिभाषा अपने रूप से कोई भी आगे ले जा सकता है, लेकिन धर्म की परिभाषा के साथ जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज की परिभाषा भी धर्म के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आज समाज बदल रहा है। समाज यह विचार कर रहा है कि आज जिस रूप से भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, हमें हमारे धर्म के विचारों में भी कहीं न कहीं बदलाव लाना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जिस धर्म से हूँ, हम उसमें भी बदलाव लाएं। बदलाव पर कई विषय पहले भी चले हैं, चाहे सती प्रथा हो या बाल विवाह हो या कोई भी अन्य विषय हो, उसमें भी समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने कई बदलाव किए।

वर्ष 1956 में हमें डायवोर्स के लिए ताकत मिली कि ऐसा न हो कि पति को अच्छा न लगे और वह पत्नी को छोड़ दे, यदि पत्नी चाहे तो वह भी लड़ सकती है। यह ताकत हमें समाज में हमारे कानून ने दी है। कानून यही कहता है कि समानता हर किसी को चाहिए। हम गांधी जी के तीन बंदरों की बात करें। एक कहता है कि बुरा न सुनें, एक कहता है कि बुरा न बोलें और एक कहता है कि बुरा न देखें। लेकिन कानून ने हमें यह सिखाया है कि समाज में बुरा हो तो उसे सहना भी नहीं चाहिए और उस सहने के खिलाफ हम सभी हैं। 21वीं सदी में मंगल ग्रह पर यान भेजने की बात हो रही है। आज इसरो में सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिक हैं और अभी भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि महिलाओं को तीन तलाक न दें, तो चल जाएगा, कुछ नहीं होता। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मुझे दुख होता है कि यहां कई महिला सांसद बैठी हैं। हमें प्लेन में कहां जाना है या नहीं जाना है, यह बाद में तय करेंगे, हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस बात को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हम सर झुकाकर सुनते हैं। यहां बहुत सारी महिला सांसद बैठी हैं। मुझे अच्छा लगा कि वे अपने भाइयों के लिए लड़ रही हैं कि भाई जेल कैसे जाए। ऐसे कैसे हमारा भाई जेल जाएगा। वे सोच रही हैं कि यह समाज सुधार की बात नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं सदन में यही प्रश्न उठाना चाहती हूं कि जब मेरे घर की बहू-बेटी के लिए कोई एसएमएस पर कहेगा कि तुम्हें मैंने तलाक दे दिया, उसे रास्ते पर ले आया, तो उस रास्ते पर आने वाली लड़की के लिए यह गलत नहीं होगा कि हम चुप रहें।

(1615/PC/VR)

अगर हमारी बहू-बेटी पर कोई आंख भी उठकार देखता है तो हम कहते हैं कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर हम यह कानून क्यों नहीं बना सकते कि जो यह करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा जेल में जाएगा, लेकिन चौथा और पांचवां व्यक्ति सोचकर बोलेगा कि तलाक बोलूं या न बोलूं, इसलिए यह कानून बनाया गया है। इस सदन में यह चर्चा क्यों हो रही है? इस बिल पर चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि अगर खाने में नमक नहीं है तो तलाक, तलाक, तलाक। मुझे तुम्हारे दांत ठीक नहीं लगते - तलाक, तलाक, तलाक। ये कहानियां हैं, आप इन्हें पढ़िये। मुझे तुम्हारी शकल पसंद नहीं - तलाक, तलाक, तलाक। मुझे पांच और औरतों की शकल पसंद है, जैसे एक ही शादी कई जन्मों का रिश्ता न हो, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। मुझे पांच औरतों की शकल पसंद है - तलाक, तलाक, तलाक। यह तलाक है या मज़ाक है? महिलाओं की जिदगी के साथ खेलना और उस प्रताड़ना पर हम सबके द्वारा मज़ाक करना, मुझे नहीं लगता कि ठीक है।

हम इसी कानून को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। **Reform is all about society.** यहां पर बैठे हुए हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं। हम जो कानून बनाते हैं, उससे सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ यह नहीं है हम कानून बनाते रहें, हमारा काम है कि हम उससे आने वाली जनता को, समाज को आगे बढ़ाएं। मैं इस सदन से यह अपेक्षा करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहती हूं कि मंत्री जी, आप एक-दो लोगों की बात न सुनते हुए, जो आपको मुबारकबाद दे रही हैं, उन दस लाख महिलाओं की बात सुनिए, जिन्होंने आपको पेटिशन साइन कर के दी है। मेरी हर मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, मैं ये सब-कुछ नहीं कर सकती, मुझे तुम रास्ते में फेंक नहीं सकते। यहां पर कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, आप इस

कानून को तो समर्थन दीजिए। हर वक्त प्रिवेंशन क्योर से बैटर होता है। यह कानून एक रूप से प्रिवेंशन है। हमें इस प्रिवेंशन को समर्थन देना चाहिए।

मैं इसमें थोड़े-बहुत सजेशनस भी देना चाहती हूँ। महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए हम यह कानून ला रहे हैं। मैं यहां पुरुष सांसदों से पूछना चाहती हूँ। हिन्दू परिवारों में दहेज का मौका था, दहेज अब क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है। अगर कोई भी दहेज मांगता है तो हम उसको, सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे परिवार को जेल भेज सकते हैं। किसी मुस्लिम पिता को कैसा लगेगा जब उसकी बेटी से बोला जाए कि तुमसे हम दहेज तो लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। इस रूप में यहां बैठे हुए सारे पिता इस बात को नहीं सोचते हैं? क्या आप अपनी बेटी-बहू पर यह प्रताड़ना देख सकते हैं?

यह विषय पॉलिटिक्स से ऊपर है। यह समाज के रिफॉर्म का एक इमोशनल विषय है। इस विषय को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आदरणीय मंत्री जी को यह सजेशन भी देना चाहती हूँ कि इस एक्ट में जो पहले के बहुत सारे पेंडिंग केसेज हैं, आप उन्हें एक्ट में लेंगे, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस 'सुपीरियर-ही' के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस धर्म के सुधार के लिए हम जहां खड़े हैं, हम उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना से करोड़ों गैस सिलेंडर्स दिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए शौचालय दिए तो क्या उन्होंने यह सोचकर दिया था कि ये मेरी मुस्लिम बहनें हैं, ये मेरी हिन्दू बहनें हैं, ये मेरी ये बहनें हैं, ये मेरी वो बहनें हैं? नहीं। महिलाओं को कभी भी आप जाति और धर्म में नहीं बांट सकते। महिलाओं का सम्मान और धर्म वो और उसका परिवार होता है। आप ट्रिपल तलाक देकर उसको उसके परिवार से दूर करेंगे तो आप सबसे बड़ा गुनाह और पाप कर रहे हैं।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार यह कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक अनपढ़ लोगों में होता है, गांवों में होता है। ऐसा नहीं होता है। आपने जयपुर की एमबीए की हुई बेटी आफरीन की कहानी सुनी होगी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। पढ़ी-लिखी लड़की को पति ने छोड़ दिया और उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। मैं यही जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो अवसर दिया है, यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस अवसर को आगे ले जा रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस चुनाव के बाद इस सरकार को 'वुमेन लेड डेवलपमेंट' सरकार बनाया है। जब महिला आगे बढ़ेगी, तब ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए यह समानता का कानून बहुत ज़रूरी है।

अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहूंगी - एक खौफ था सफर में उनसे, कहीं कोई बात न चुभ जाए ऐसी जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा, कहकर तलाक-ए-बिदत के वो तीन बोल तू क्या देगा तलाक-ए-कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर सदियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है, आज पहली बार मुझे मुझसे मिलवाया है, यह वो मुस्लिम बहन बोल रही है, शाहबानो की तकलीफ की खाक से शायरा बानो ने एक चिराग सुलगाया है और उस चिराग के साथ हर एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े रहकर आदरणीय प्रधान मंत्री ने उसको उससे मिलवाया है। मैं आदरणीय मंत्री रवि

शंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह बिल सिर्फ महिला सशक्तीकरण का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखाने का है।

(1620/SPS/SAN)

सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर, महिलाओं को सम्मान देकर, महिलाओं को आगे बढ़ाकर, नारी तू नारायणी यह सिर्फ विचारधारा नहीं, हम करके दिखाते हैं। ये सब करके हम बिल को आगे बढ़ाएं। मैं इस बिल को समर्थन देना चाहती हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो समय बी.ए.सी. में अलॉट था, वह समाप्त हो चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

1620 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I thank you. You always inform about the timing when I am to speak.

Sir, at the outset, I fully agree with the view that triple talaq is uncivilised. It does not exist in many Muslim countries, including Pakistan, Indonesia, Bangladesh and Egypt. I also support the Supreme Court's verdict that it is unconstitutional. As we all know, the verdict of the Supreme Court is the law of the land. If the Supreme Court has pronounced a judgement that triple talaq is illegal, it is considered as illegal by our existing laws themselves. Then, what is the need of introducing a Bill of this kind?

The Muslim minorities in our country are living in a feel of fear. This feeling is increasing day by day. It is because you are passing Bills on NIA, UAPA and now, triple talaq, targeting the Muslims. So, I vehemently oppose the Bill.

My first contention is that the Bill is discriminatory in nature. It deals with the cases under the Code of Criminal Procedure. It is to be noted that all the other religious marriage Acts deal with the cases under the Code of Civil Procedure and have simple penal provision in case of violation. It violates Article 14 of the Constitution that ensures equality before the law or the equal protection of the laws.

If a woman simply comes to a police station and files a false petition before the SHO, then the SHO can take her husband into custody and sent him to jail, without bail, for three years. Further, it is surprising to note that a husband can be jailed upon the complaint of any person related to his wife by blood or marriage. This provision can be misused at various levels. Do you think about the consequences of this provision? I would like to seek a clarification from the hon. Minister. If the husband goes to jail, then who will pay the maintenance? The bail may be granted by a magistrate only after hearing the woman. It contravenes the relevant sections of the CrPC and the Evidence Act. As per the existing CrPC and the Evidence Act, the witness comes only at the time of taking evidence. The hon. Minister himself is an eminent lawyer. Here, the witness comes into picture at the time of granting bail.

Sir, we all know that Indian courts are clogged with a large number of cases and notorious for their long pendency. I feel that it is also relevant to bring

to your attention the complaints under Section 498A of the IPC. In many cases, the hon. Supreme Court has observed that it is used as a weapon rather than a protection. The case of Arnesh Kumar *versus* State of Bihar is an example. So, in false cases, chance of getting a bail is more difficult under the provisions of the Bill. Also, in 2017, the Supreme Court had said that the bail plea may be decided as far as possible on the same day. Bail is the right of an accused and a cardinal principle laid by CrPC. The intention of the Government is very clear. It is adopting a policy of jail, not bail.

It is to be noted that the educational and social backwardness was responsible for the condition of Muslim women far more than triple talaq. I would request the hon. Government to take necessary steps in this regard.

By the verdict of the hon. Apex Court, triple talaq is null and void. So, there is no need of bringing a legislation in this regard.

Thank you.

(ends)

(1625/RBN/MM)

1625 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you. I spoke on this Bill at length on 27th December, 2018. This Bill continues to criminalise a civil act and, therefore, there is no change in my Party's stand.

1625 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

I have been sitting through the debate right from the beginning. I do not think there is a single party in this House that wants to support the act of triple talaq. The House is unanimous in saying that we condemn this practice and we want to make it illegal. The only thing that everyone from the Opposition seems to be objecting to is making it a criminal act.

The Bill is a consequence of the Supreme Court judgement in Shayara Bano versus the Union of India case. It set aside the practice of Talaq-e-Biddat, which is otherwise known as triple talaq.

From what I have been able to understand, there are two types of legal divorce in Islam. One is Kula which is initiated by the wife with the husband's consent and the other is Talaq-e-Sunnah, which is initiated by the husband. I just want to briefly go through that a little bit for the sake of background. I won't take much time. Divorce is not taken lightly in the Muslim community. Men and women are required to follow a process that involves separation of at least three months or three menstrual cycles. During these three months, efforts for reconciliation are made. If they fail the divorce is finalised and the husband has to pay a *Mehr* or a bride price, which is a mandatory payment paid or promised by the groom to the bride at the time of marriage itself. The logic behind the three month waiting period is, to ensure that the wife is not pregnant at the time of separation. If she is, child support also figures in the divorce proceedings. The other reason is to allow each other enough time to find a place to live so the husband and the wife are not left in the streets.

Talaq-e-Biddat or instantaneous talaq being followed by some misogynistic Muslim men is not in consonance with Quran which many hon. Members have already mentioned. So, the demand of Muslim women that talaq should be Talaq-e-Sunnah and not Talaq-e-Biddat is absolutely justified.

If you look at the world scenario, particularly in Islamic countries, many of them have either banned triple talaq or regulated it, like our neighbour Pakistan, which passed the Muslim Family Laws Ordinance in 1961 or in Morocco which introduced the Moroccan Family Code in 2004. Similarly, 20 countries, such as Egypt, Turkey, Tunisia, Bangladesh, as the Minister said, have already banned this. We should ban it as well.

Coming to the Bill, the main issue remains the same. According to Clause 4 of the Bill if the husband leaves the wife pronouncing triple talaq, he is punished with imprisonment for a term which may be extended to three years and a fine. I have one simple question. What if a Muslim man does not say triple talaq and abandons his wife? What happens in that case? Does he go to jail? No, he does not. So, this is something, I think, we need to look at.

Marriage is a civil contract. The Government, through this Bill, is saying that breaking up this civil contract is a criminal offence. That is not a good precedence for many other instances of civil law.

The other point to be noted is this. The Supreme Court has already pronounced triple talaq as invalid. So, if the husband leaves the wife after pronouncing triple talaq it amounts to abandonment. So, I am sure everyone in this august House agrees that rules and laws should apply equally to everyone in this country irrespective of caste or religion one belongs to. If a Hindu or a Christian man abandons his wife, is he jailed or fined? I do not think so. Why should a Muslim man go to jail for abandoning his wife when Christians and Hindus do not suffer the same consequences.

(1630/SM/SJN)

Clause 5 of the Bill reads: 'A married Muslim woman upon whom triple talaq has been pronounced, shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and the development of children'
...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude now.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I looked at the 2011 Census to get some data. Table no. C-3 is related to marital status of women of religious community. Sir, there are 2.3 million women in this country, according to the 2011 Census, who are either separated or abandoned, more than two times the number of divorced women. Out of 2.3 million women, 2 million women are Hindu women; 2.8 lakhs are Muslim women; 0.9 lakhs are Christian women; and 0.8 lakhs are other women.

What are we going to do about 2 million Hindu women or almost 1 million Christian women who are abandoned? Is the law not going to take care of them? It is only taking care of 10 per cent of the abandoned women in this country. What about the other 90 per cent women who are abandoned? How are they supposed to survive?

Clause 7 says that the Government has made triple talaq a cognizable and non-bailable offence, subject to scrutiny by Magistrate. Both these laws are contradictory. One is about providing subsistence allowance and the other is about being put into the jail. On the one hand, you are expecting the husband to provide financial assistance to wife and children and, on the other hand, you are shipping him off to jail, while the family suffers in the outside world. Many hon. Members have brought in this point. I would like to hear the hon. Minister's response on this.

Sir, I would like to reassert that the Telugu Desam Party is totally against Triple Talaq. We are all for women's rights. But this Bill seems to be discriminatory. Therefore, we do not support this Bill. We urge the Government to withdraw the Bill and bring out a new one to make Triple Talaq illegal without making it a criminal offence.

(ends)

1632 hours

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Speaker, Sir, I am a woman and I have been given this opportunity to speak on this important Bill. I feel privileged and I profusely thank you.

Sir, as I stand up to talk about this Bill, I am reminded of a quote from Gloria Steinem. She was a prolific writer. She said: "The story of women's struggle for equality belongs to no single feminist nor to any one organization. It belongs to the collective efforts of all who care about human rights." I underscore this expression 'human rights'. We are not talking of Indian women, Muslim women or Hindu women. We are talking of human beings.

Sir, I must tell you that this particular day is a historic day. I wonder how many women from all walks of life, from all sections, especially the Muslim women must be glued to the TV set and are waiting for a positive response from Lok Sabha regarding this particular Bill. I am sure they all must be glued to the TV set and are awaiting with bated breath.

I think all of us need to commend the efforts of the Government and the hon. Prime Minister for having shown the courage to come up with this kind of Bill. This Bill in the Lok Sabha is not something new. This has come twice. This has been debated upon and the suggestions that have been worthwhile have been incorporated.

Sir, this Bill is a logical culmination of the verdict given by the hon. Supreme Court in Shayara Bano case on 22nd August, 2017. Since morning, we have been discussing about it. We are aware of the judgement. The judgement was clear. It very clearly held that *talaq-e-biddat* violated constitutional morality and was against the tenets of the Holy book of Quran. We are aware of this very fact.

Sir, I must say that this historic judgement was a step towards liberating Indian Muslim women from the whimsical and capricious method of divorce. There is no room for conciliation. This is absolutely against the principles of natural justice. This violates human rights and this is against the concept of women empowerment that all of us have been talking about.

Sir, in 1984, when the famous Shayara Bano case had come up, I was in high school.

(1635/AK/KN)

We were all so very excited when the judgement had been passed. A particular Muslim sister of ours goes to the court, and seeks sustenance and maintenance from her husband who had pronounced instant 'triple *talaq*' -- the three words. She needs sustenance, and she needs maintenance. Of course, I must thank the then Supreme Court. In fact, the Judges there came up and stood in favour of this woman, *Shah Bano*. I remember that we were in High School, and there was a celebration in the girls High School.

We celebrated the judgement of the Supreme Court. But, unfortunately, come what may, we see one fine day that the then Congress Government nullified the effect of this great judgement and it limited the alimony to just 90 days of divorce. इस्लामिक लॉ में जो इद्दत, पीरियड है, उसी समय यह एलिमनी दिया जाएगा। ऐसा कहा गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी।

Sir, with all conviction at my command, but at the same time with all humility, I would say that there cannot be a better time than today to put an end to such regressive notions of patriarchy, which treat women in an undignified manner. This is a classic example of inadequate policy response to such social practices in the name of religion.

Yesterday, when I was told that I had to speak today on this issue, I went through all the discourses or all the deliberations that had taken place in the Lok Sabha when this Bill had come up for debate. I went to the library, and I sat there till late hours and I was going through the discourses. I am extremely happy to place before this august House, and I also need to congratulate the hon. Minister and the Government headed by hon. Prime Minister for having incorporated all the worthwhile suggestions. It is a cognizable offence, but there are ways on how to do it. This has already been discussed and I need not delve deep into it.

It is definitely a non-bailable offence, but there is conditional bail. We are also talking of compoundable offence. We are all aware of something compoundable, namely, if the couple wants to settle the dispute outside the court, then they can do it and the Magistrate will take note of it. Of course, there is the issue of allowance also. The *Shah Bano* case would not have happened had this Act been there at that point of time. We need to give the subsistence allowance. It was under Section 125 of the Criminal Procedure Code.

Of course, there is the issue of custody of children also. Imagine, women are on the streets. Where will the children go? So, it is a very good thing that has been brought in, and I once again congratulate the hon. Minister and the Government for having thought about all these humane elements. It takes a toll on the mental health of children if father and mother separate themselves from each other. So, definitely it is a great thing that the custody issue has also been brought in here.

Since morning, I have been sitting here in this particular seat and listening to all the discourses. I am surprised that there is absolutely no content or substance. Where is the logic or argument for it? Why should we say no to this Bill? There is absolutely no convincing logic whatsoever. Nearly, 20 Islamic countries have banned this. In this Parliament, there have been legislations against dowry and *sati*, then what is the problem about this particular thing that we are talking about?

I was going through a '*Business Standard*' Report -- I am sorry that I am mentioning the name of the newspaper -- where the hon. Minister had been quoted. I have done a good deal of research last night. At that point of time in December, 2018, the hon. Minister had mentioned this in the '*Business Standard*' Report.

(1640/SPR/CS)

Between January 2017 and December 2018, more than 477 cases of Triple *Talaq* had been registered. This is unfortunate because this was after the 22nd August 2017 judgement of the Supreme Court. We have just discussed the violation of constitutional morality. I know it is time to wind up but at the same time this is an historic opportunity for all of us in this august House; we all need to unanimously support this particular Bill cutting across party lines. It is a question of women; it is a question of her rights; it is a question of human rights. That is why, we need to support it.

I am reminded of a quote from the departed leader, Nelson Mandela. He said, "Freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from all forms of oppression." Before I conclude, I would just like to make a remark – somebody said, and I have read somewhere – when men are oppressed, it is a tragedy. I repeat, when men are oppressed, it is a tragedy. ...(*Interruptions*) But when women are oppressed, it is a tradition. This is not acceptable. And this tradition of oppression of women must go. On behalf of all the Muslim sisters of the country, I will appeal to all the Members of this august House to unanimously come forward and support this Bill.

(ends)

1642 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I oppose this Bill. This Bill is unconstitutional, unwarranted, biased and ill-motivated. I have closely been listening to the former speakers. Many stories have been told here about Triple *Talaq*. There are electronic *talaq*, WhatsApp *talaq*, etc. Many coloured stories were told. I would like to say with all humbleness that this kind of argument in support of this Bill is far away from the truth. We have to think about it.

Muslim population in this country varies from 13 to 14 per cent. Out of this, according to the 2011 Census, divorce rate among Muslims is 0.56 per cent only. In this, many are *talaq*-related. In *talaq* itself, how many Triple *Talaq* cases are there? You all know that. So, you are trying to create a myth here. Such fabricated stories will not have life. You are not going to succeed in this. Your approach is not at all correct. I would like to say that this is a clear violation of Article 25 of the Constitution which guarantees the freedom of faith, and prophesying the faith.

The Supreme Court has ultimately declared that Triple *Talaq* is null and void. As correctly asked by the speakers who spoke before me, I would also like to add to the viewpoint, and ask the Government as to what is the necessity of bringing another legislation. As far as my Party is concerned, we were maintaining the same stand in this and on Sabarimala. We are of the opinion that Article 25 is giving us a fundamental right. Muslim Personal Law is governed by the principles of Fundamental Rights. When you encroach on this, it is highly objectionable.

(1645/UB/RV)

Sir, I have another point to make about divorce. Divorces are taking place in different communities, not only among Muslims. It may not be in the mode of *Single Talaq* or *Triple Talaq*, but divorce is a reality in India. Why is the Government not taking that into notice? Why are they not educating the women who have become victims of divorce? They are silent on that. Why are they not showing compassion in such other cases? Why are they not going for the rescue of these ill-fated women? Why are they not arguing for criminal prosecution of the husbands in such other cases? Sir, with one shot, they are killing two birds. The 1986 legislation also nullified the decision in the Shah Bano case. These kinds of actions are highly objectionable.

Sir, my friend, Mr. Owaisi was talking about mob lynching. The people sitting on the Treasury Benches are saying many things about the ill-fated women. In 2018, in just one year, 27 persons were killed. Incidents of mob lynching have increased four to five folds in that year. Even the hon. Supreme Court has directed the Government to make an enactment to stop mob lynching and such other cases. The Government has not made any legislation. They have not done anything for that. What relief have they given? What kind of argument they have made on such cases? We all know that those people are also suffering; they are also having a lot of difficulties.

I request the hon. Members sitting on the other side, instead of making this kind of appeal, to do something for them. What are they doing for them? Here, it shows that they are maintaining double standard. If people are suffering, they have to argue for them. Their intention is to blackmail a particular community. They are not going to win it. They have targeted the Muslim community, that is their intention. They are not going to win in this kind of wicked things. I would like to tell you that the Government has an intention to keep the Muslims in fear complex. We are not going to fear these kinds of actions. We will fight and defeat such kind of actions.

(ends)

1647 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I would like to remind you that in Vedic period, women in our country were treated with good respect and honour. In general, they had obtained significant positions in various fields and in some cases, they were the decision-making authority. They also had opportunity like men had to develop themselves; they were completely free to choose their own path of life and select a life partner.

Sir, if you go to our medieval history, we can understand that women's status in the society had been deteriorated in the Middle Ages because of various bad practices against women in the society.

Sir, on this note, I would say that this Bill is the commitment of this Government under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji to give equal power to women in our society and give them opportunity to reach the highest position in social arena.

Sir, I would like to quote article 14 and article 15, "There shall be no discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth". This Bill will be another significant step to strengthen the related article in our Constitution. Sir, this is not a matter of majority or minority. It is a matter of humanity. It is a matter of women's rights. Our colleagues in the Opposition were talking about the logic and stories.

Sir, some funny things happened in our country.

(1650/KMR/MY)

Sir, some people say that there is no God but when we go to the temple, we can see them standing in the queue to worship the God. Why should they have such double standards? They are just confusing the people. Sir, through you, I would like to ask them one question. Will they agree if the same Muslim law is adopted for Hindus also? Sir, this Bill will endeavour to provide equal rights to all women in India irrespective of their religion.

Some of my colleagues were saying that there could be a law for men's empowerment also. I thank them for this. But right now, this Bill seeks to provide equal rights to all women irrespective of their religion. I, therefore, want to know whether they accept this piece of legislation or not.

Finally, I would say that given the right opportunities, women will achieve great successes and reach heights. Social practices like these should not be forced on them as they become impediments to their development. With these words, I support this Bill. Thank you.

(ends)

(Page 384-A)

1652 hours

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019 has been brought for consideration. The Constitution of India framed by our Babasaheb Ambedkar provides equal rights and equality for the people of all religions. Babasaheb Ambedkar insisted for creation of a secular country. But this has become a question mark now. Myself and my party both think that this Bill is aimed to target and to make a negative impact on the Muslim minorities. I support the cause that the women should be given equal status. They should be treated with equality and the women should get equal rights on property. My party also supports this view. Here equality is considered to be unilateral. BJP talks about Common Civil Code. Why is that BJP not bringing Common Marriage Law. I want to ask that why is it so that BJP is not ready to bring a legislation for protection of all women irrespective of religion. Hon. Supreme Court in its verdict accorded permission to women to visit Sabarimala temple. But BJP which was in power at that time did not try to implement this verdict of Hon. Supreme Court. This BJP government talks high about women and their protection. I want to ask the Government why is it not ready to implement providing women the access to Sabarimala temple? The marriage laws should be common. After putting a ban on the triple talaq you will punish the male member of that family. If that is so who will support the affected family? How will they be protected? How will you provide allowance? These are the several questions which I want to ask while opposing this Bill. The Government is not worried about other Marriage laws. Large number of Hindu divorce cases are pending in the Hon. Courts. The Government is not concerned about Hindu Marriage Laws. I want to ask the government that why it is not showing any concern about these laws? Inter-caste marriages take place particularly in Tamil Nadu. But those who get into inter-caste marriages are killed. The Government is not concerned about bringing a legislation to prevent these honour killings. I want to stress that a special law should be legislated to check this menace.

(Page 384-B)

HON CHAIRMAN: Mr. Selvaraj, please conclude.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM): Sir. Just give a minute. At the time of our country's independence, and when Pakistan was separated, the national leaders instilled confidence among the minorities ensuring that their lives will be protected. That is the reason why Muslims live with confidence in this country. I want to say that in order to instil such a confidence in their minds, laws like these should not be brought or implemented. I oppose this Bill. Thank you for this opportunity.

(ends)

(1655/SNT/CP)

1656 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

1656 hours

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.

When the Bill was being introduced, its introduction was opposed on the ground that it offends the Constitution. The hon. Minister, in his introductory remarks, said that this House and the Parliament are supreme, sovereign and competent to make laws, and if the laws face some constitutional issue, that has to be dealt with by the court. I am of the view that it may not be a correct statement. This House is under a constitutional duty to enact a law that is in consonance with the mandate and spirit of the Constitution. This Bill, being an example of class legislation, offends the fundamental principles and ethos of the Constitution.

Hon. Speaker, Sir, it is painful that veiled attempts are being made to attribute insensitivity towards the imperatives of gender justice against the legal system, against the religion that, fourteen and a half centuries back, for the first time, recognised the right of women to hold property, to dispose of property and to enjoy property, that declared marriage a civil contract and gave women a right to pull out of the contract in certain circumstances. Moreover, the Supreme Court has held that Sharia law does not recognise instantaneous and irrevocable divorce.

Sir, why do I stand to oppose the Bill? It is because the Supreme Court has already held triple talaq to be void and illegal and there is no occasion to go in for a law. It is law of the land under article 141 and the need to have a separate law and enactment does not arise.

Secondly, the justification given for this Bill is that, it is dictated by the Supreme Court; it has to follow the diktat of the Supreme Court. The Supreme Court did not direct the Government to make triple talaq a crime and a penal consequence for the triple talaq. So, it will not be right to say that this law is being made to follow the Supreme Court judgement.

Thirdly, what is the end object? Is this going to work? What is the object of the law? The object is to promote marital harmony, peace and unite the broken families. Does this law serve that purpose? Will this law promote and ensure marital harmony? What kind of a law is it when we say that the divorce pronounced is illegal or void, but the family continues to be united, and the husband-wife relationship subsists notwithstanding the divorce? How can we make the wife a prosecutrix, make her prosecute her husband and send him to prison for three years, and at the same time, say that we are promoting marital harmony?

(1700/GM/NK)

The proposed Bill suffers from contradictions within and cannot achieve the objectives that are intended to be achieved by it. The framework given in the Bill is not going to work at all. The theme of the debate on this side is as if all of us were in favour of triple talaq. None of us are in favour of triple talaq, because the Quran does not permit triple talaq, as has been held by the Supreme Court. What we are saying is that the pronouncement should not be made an offence having penal consequences. That is precisely the objection. The Government should delete section 4 from the proposed Bill. The Government feels that the judgement of the Supreme Court is not sufficient, though it is otherwise the law of the land that is to be followed by every court. Wherever triple talaq is taken as a defensive action for maintenance, it will not be accepted by the Court and maintenance will be awarded notwithstanding the triple talaq. But what is the need to have a law? It is already covered by the Supreme Court's judgement.

The next point is; what will be the fate of the family that we want to unite, if we allow section 4 to survive in this Bill! None of us is in favour of the triple talaq. All the time it has been said that women are victimised because of triple talaq. We do not support that. But what will we achieve by making it an offence? How can a Muslim wife prove it? As has been rightly stated by one of the hon. Members, the burden is on the woman to prove it. How can she prove it? It is an uneven field. If she proves it and her husband is convicted, what will be the plight of the family? How will the family survive? Her husband will be behind the bars and at the same time, she will ask for maintenance for herself, and if she has children, for them too. So, this Bill is not going to serve any purpose. Rather, it will go in backward direction. It will not do any justice, as has been proclaimed that it is going to do justice to Muslim women. It will further push those families into difficulties that are sought to be united under the law.

(ends)

1703 hours

*SHRI THOL THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on an important Bill. I want to say that this Bill is unilateral, brought with an intent and against the spirit of the Constitution of India. The Constitution of India, framed by our revolutionist Dr. Ambedkar allows religious freedom. Freedom to every religion is envisaged in the Constitution of India but this Bill is interfering in that religious freedom. In all the matters like marriage, divorce, legal heirship, property rights, separate freedom is provided for Hindus, Muslims and Christians. There are personal laws available. They are also called as family laws. This Bill is creating a situation by interfering in the personal law. People of other religions cannot interfere in the customs followed by Hindus for so long. Government cannot interfere. Similarly Government should not interfere in the Shariat law, which is the personal law for Muslims. We should understand that this is what is called as religious freedom and secularism that are enshrined in the Constitution of India. I think that the intent of this law is to bring Common Civil Code. We cannot accept any sort of interference in the Muslim Personal law, This will create confusion among the Muslim families. I see this as an effort to create confusion among the men and women of Islam. I want to register and insist upon at any stage that my party, Viduthalai Chiruthaikal Katchi will not accept this law. Why are you differentiating justice between Hindu women and Muslim women? There is an illusion that Hindu women have secured living and there is no security for Muslim women. Therefore the Government is showing so much concern. That's why this Bill is being brought in a hurried manner. I want to urge the Hon. Minister and the Government that they should ponder over the issue of whether Hindu women are living with full protection. Every day Hindu women are affected. Many Hindu women are left with no support; they, in large number, face atrocities. It is a matter of grave concern that

* Original in Tamil

(P.387A)

one's own children and daughters are being killed in this country in the name of honour killing. I want to ask whether this Government will come forward to protect the Hindu women of this country.? This law will destroy the Muslim families besides affecting their unity. This law will be misused to take vengeance against Muslim men. Hon. Minister should give up this Bill which is brought with a malicious intent and I urge that he should withdraw this Bill. This law should never be implemented. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

(ends)

(1705/RSG/SK)

1707 बजे

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी और पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। यह बिल तीसरी बार लोक सभा में आया है। जब यह बिल पहली बार आया था –

I want to quote Ms. Flavia Agnes, a women's rights lawyer and Director of Majlis, which runs a rape victim support programme in Mumbai. She says: "The Government is intending to override a well-established norm that laws for minority communities must be enacted after holding discussions with community leaders/representatives, legal experts, and other stakeholders, and after striving to reach a consensus, by tabling the Bill to criminalise triple *talaq*. Behind this hasty move is the formulation that the Muslim woman must invariably be projected as devoid of rights and lacking agency, and the Muslim male as pre-modern, lustful, polygamous, and barbaric."

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बोलने का समय कम है, मुझे पता है। यह चर्चा कभी जनरलाइज भी होती है, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो नई पीढ़ी के युवा मुसलमान हैं, उनकी सोच अलग है। ट्रिपल तलाक की चर्चा हो रही है, ओवैसी साहब और मसूदी साहब ने बताया, इस्लाम में तलाक एन्क्रेजेबल चीज नहीं है।

(1710/MK/RK)

अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल कीं, उनमें से सबसे ज्यादा तलाक के ऊपर है। यह एन्क्रेजेबल थिंग नहीं है। ट्रिपल तलाक पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इस नए बिल के सेक्शन 4 पार्ट में है। अगर नॉन मुस्लिम डिवोर्स देगा, उसको सजा नहीं होगी और सिर्फ मुसलमानों को होगी। इस बात के हम खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, कांग्रेस सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए पंचायत और नगरपालिका में विमेन रिजर्वेशन बिल लाई थी, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं पंचायत और नगरपालिका में हैं। अगर यह सरकार असलियत में नारी सशक्तिकरण चाहती है तो जल्द से जल्द विमेन रिजर्वेशन बिल भी सदन में आना चाहिए। आज इस सदन में एक भी मुस्लिम महिला नहीं है। अगर विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा तो कम से कम 2-4 मुस्लिम महिलाएं आ जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रवाद का भी जिक्र होता है। हमारा निवेदन है, ऐसा न हो जैसे सारी दुनिया के मुसलमानों के अंदर सैप्रेटिज्म ग्रे हो गया है, यहां न हो। हमें कहा जाता है - 'हुब्बुल वतन मिनल ईमान' यह देश प्रेम, स्वदेश प्रेम ईमान का अंश होता है, ईमान का पार्ट होता है। यह हमें सिखाया जाता है और यह सशक्त होना चाहिए। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात कहते हैं, मुस्लिम

नारी के सशक्तीकरण की बात कहते हैं, तो यह भी सोचना होगा कि असम के डिटेंशन कैम्प में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, असम में मोहम्मद सनाउल्लाह, जो कारगिल युद्ध में भी था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, तब उनके परिवार की महिलाओं का क्या अनुभव रहा था, यह भी सोचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि इस बिल में पनिशेबल आफेंस बोला गया है, इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सदन में कोई महिला मुस्लिम सांसद नहीं है। मैंने कई बार सुना। सदन की जानकारी में होना चाहिए, सुबह सप्लीमेंटरी प्रश्न में श्रीमती सजदा जी ने प्रश्न पूछा था। वे पहली बार इस सत्र में बोली थीं। चार-पांच माननीय सदस्यों ने यह बात सदन में कही है।

1713 बजे

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Thank you, Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. This is a historic moment for all of us because this Bill will give Muslim women equality and a dignified life, which is their well-deserved right. मैं सुबह से सदन में बैठी हुई हूँ। सब लोग तीन तलाक बिल को मानना नहीं चाहते हैं। मैं तीन प्रश्न सदन में पूछना चाहती हूँ। आप लोग मुस्लिम महिला, मुस्लिम पुरुष की बात करते हैं। मेरे तीन प्रश्न हैं। In the Dowry Prohibition Act, 1961, which is a Hindu Act, section 3 talks about the penalty for giving or taking dowry; हिंदू के लिए। He shall be punishable with imprisonment up to five years and a fine which shall not be less than Rs.15,000.

The second point is, under section 498A of IPC, a Hindu Act, to stop offences of cruelty by the husband or his relatives against the wife, the husband shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years and shall also be liable to a fine.

The third point is, under the Hindu Marriage Act, 1956, section 17 talks about the punishment for bigamy; the offence is punishable with imprisonment up to seven years and a fine. ये सभी कानून हिंदू लोगों के लिए है। ये जब पास हुआ तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जब मुस्लिम के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान हो गया तो इधर के सभी लोग परेशान हो गया। सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने कहा कि 3 साल की सजा होगी तो वे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे पाएंगे

(1715/YSH/PS)

सुदीप जी, मैं आपसे यह बात पूछना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे हिन्दू लोग हैं, तो हिन्दुओं के लिए यह एक्ट है। तब आपने कुछ नहीं बोला था, अभी मुस्लिमों के लिए आप बोल रहे हैं।

*(There are many Hindus in West Bengal. You should not forget this. Don't just think about the Muslims. You are crying for the provision of imprisonment of the Muslim men. The Bengalis are watching this. They are not liking this.)

It is a matter of oppression, exploitation and injustice. It is a tool to loot the right of equality from the crores of Muslim sisters. India's Muslim population is

* Original in Bengali.

about the world's second largest and one of the largest Muslim-minority population. So, it is high-time that we take responsibility; bring their representatives to this Parliament; to give their mothers justice that they deserve who have waited and fought for such a long time. This law will give dignity to my Muslim sisters whose struggle started legally with Shah Bano and I hope, they will be given justice in this session of Parliament.

It is easy for everyone to just leave this issue alone as has been done in the past. But this Government loves to do things that are hard. That is why, we are being inspired to work day and night tirelessly in this Parliament. Swami Vivekananda said, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing." It is from his energy that we derive our inspiration from. But why should Muslim women continue to live in fear? Why must they live in sadness? Why are their new and young family subjected to fragments? Are they not entitled to human rights?

सईद लुधियानवी जी की एक शायरी है। मुझे आती तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ:

औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसको बाजार दिया,
जब जी चाहा मसला, कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया।

मुस्लिम महिलाएं क्यों डर के रहें? क्या संविधान उनको अधिकार नहीं देता है? क्या इस सेक्युलर देश का संविधान भी उन्हें बस एक मुस्लिम महिला के रूप में ही देखता है। मैं सदन से यह सवाल करना चाहती हूँ, उनको आजादी सिर्फ ट्रिपल तलाक से नहीं चाहिए, बल्कि पॉलिगेमी और हलाला जैसे अपराधों से भी आजादी चाहिए। विवेकानन्द जी ने कहा है कि औरत ने हजारों सालों तक संघर्ष किया है, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा दृढ़ता और धैर्य है। मुस्लिम महिलाएं भारत में सदियों से आजादी का इंतजार करती रहीं। जब टर्की को सन 1926 में ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिला था तो वे चुप रहीं। जब आजाद भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश की बहनों को अपने आन्दोलन से सन् 1961 में ट्रिपल तलाक से छुटकारा मिला था तो वे रोती रहीं। शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक भारी बहुमत से सदन ने काले कपड़े से ढक दिया। सीरिया, ईराक, सुडान, लीबिया जैसे देशों ने भी अपनी महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजाद कर दिया है, लेकिन भारत की सियासत के इस खेल में किसी ने भी हमारी मुस्लिम बहनों के भीगे हुए नकाब को महसूस नहीं किया। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार अपना फर्ज निभाने के लिए बेताब है, क्योंकि हमारा संकल्प है 'सबका साथ, सबका विकास' और इसी पर हमारे देश की सारी मुस्लिम महिलाओं का विश्वास टिका है। जब ट्रिपल तलाक बिल की बात सदन में होती है तो टीएमसी वाले चुप बैठे रहते हैं। न कुछ सुन पाते हैं, न कुछ बोल बाते हैं, बस दिमाग चलाते रहते हैं कि इधर जाएंगे तो कितने वोट

जाएंगे और उधर जाएंगे तो कितने वोट जाएंगे...(व्यवधान) यह कैलकुलेशन है। ये लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, गलती इनकी नहीं है। गलती इनके घराना की है। इनके नाम के पीछे भी कांग्रेस का नाम जुड़ा है...(व्यवधान) कुछ साल पहले सुजेट जोर्डन का पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था, जिसके बारे में सभी जानते हैं। सुजेट अभी इस दुनिया में नहीं है। वहां की मुख्य मंत्री ने बोला कि यह छोटी घटना है, सजाई हुई घटना है। एक महिला पुलिस ऑफिसर सच को सामने लाने के लिए इसमें कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उसका ट्रांसफर कर दिया। एक महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद भी वह महिला के साथ नहीं है। ईशरत जहां समेत पांच मुस्लिम महिलाएं इस तीन तलाक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही हैं, ईशरत जहां पश्चिम बंगाल की है, वह आज भी लड़ रही है, लेकिन वहां महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद ईशरत जहां की मुसलमान लोग बदनामी कर रहे हैं।

(1720/RPS/SNB)

आप देख लीजिए कि एक महिला होने के बावजूद भी, महिला और धर्म को पूरा का पूरा एक कर दिया है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले, इलेक्शन के टाइम में स्टेज के ऊपर एक महिला सांसद बोल रही थीं कि हम तीन तलाक का सपोर्ट नहीं करते। उस टाइम में मुख्य मंत्री जी ने स्टेज पर बोल दिया कि नहीं, वह छोटी बच्ची है, मैं तीन तलाक को सपोर्ट करती हूँ, उनकी बात छोड़ो, यह पार्टी लाइन है। आप इसे देख लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आज इस सदन के सारे मेंबर्स मिलकर नारी के जीवन से इस अपराध को 'तलाक, तलाक, तलाक' करें। धन्यवाद।

(इति)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, Ms. Locket Chatterjee was very dear to Mamata ji and so she was dear to us also! But, in West Bengal Parliamentary constituencies are only 42. She possibly fell in the category of 43+. So she could not have been given ...(*Interruptions*) I hope she does better! ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सुश्री एस. जोतिमणि जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुश्री एस. जोतिमणि जी, की बात अंकित हो, बाकी किसी की बात अंकित न की जाए।

...(व्यवधान) ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी है, इसलिए वह किधर भी बोलें, इधर बोलें या उधर बोलें। केवल दो मिनट में बोलिए।

1721 hours

SUSHRI S JOTHIMANI (KARUR): Hon. Speaker, Sir, I would need only three minutes.

Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I rise to express my serious reservations on the Muslim Women (Protection of Rights and Marriage) Bill, 2019, especially on its criminality clause.

Many of my colleagues here have said that the hon. Supreme Court has already struck down the clause of instant triple talaq. My colleagues from the Treasury Benches have very passionately and eloquently spoken about talaq. The heart of the hon. Minister bleeds for our Muslim sisters against this injustice. I wish the same heart bleeds for our non-Muslim sisters, especially Hindus. I would like know from the hon. Minister as to why he is differentiating between Muslim women and non-Muslim women. Why does the Government think non-Muslim women, especially Hindu women, are not going through any kind of marital dispute? Does he not know of any men from the Hindu community who have abandoned their wives? The hon. Minister has to think about this. What is the reason behind bringing this Bill? I am accusing this Government that they are bringing this Bill only to suit their political agenda which is to divide people on religious lines. Now, this Government is applying the same policy -- divide and rule -- policy amongst women as well. With utmost determination and hope, I am saying that the Government will not succeed in their political agenda by dividing women on religious lines. Yes, we are women of this great land and have our own faiths. This is a matter of our personal choice which we are practicing in our personal lives. But when it comes to sharing the personal space, we are just women and daughter of this great country. We have been meted out injustices for decades now, whether it is a Hindu woman, Christian woman, Sikh woman -- irrespective of religion, we all have been going through the same oppression, subjugation, discrimination and sexual harassment which is both rape and marital rape. I am again using the word 'marital rape'. A law on this has to be passed by this Parliament. I hope the hon. Minister will take the initiative for that as well. So, these are the kind of subjugations that women go through. We are going through the glass ceiling every other day on the same basis without any religious basis. This is the ground reality which every woman is facing. The Government is not taking this into account but only bringing a law

in the name of protecting the Muslim women. You are never supporting the Muslim women. You are actually against the non-Muslim women. I am accusing the Government for this.

Secondly, I strongly believe that we have miles to go to fight for our justice together as a woman. We will not get divided by the divisive agenda of this Bill or the ideology of the Government. I hope all the sisters, irrespective of religion, will agree with me. Not only women, men who have sisters and are willing to fight for justice for women will agree with me on this. So, I would like to request the hon. Minister, through you, to send this Bill to the concerned Departmentally-related Standing Committee.

Thank you.

(ends)

(1725/RAJ/RU)

1725 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लगभग साढ़े पांच घंटे से बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई है। हमारे विद्वान मित्रों ने बहुत ही प्रभावी भाषण दिया है। उनकी लिस्ट लंबी है। मैं सभी का नाम लेकर समय जाया नहीं करूंगा। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। हम यह कानून ख्वातीनों के लिए लाए हैं। इस सदन की जिन महिला सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उनका विशेषरूप से साधुवाद, धन्यवाद करूंगा - मीनाक्षी लेखी, किरण खेर, कनिमोझी, I hope she is there but she is not present पूनम महाजन, अपराजिता सारंगी, लॉकेट चटर्जी, all of them have spoken brilliantly, though their perspectives are different.

सर, मैं बिन्दुवार उत्तर दूंगा। कई बिन्दुओं के बारे में बार-बार कहा गया है। अब कहा जा रहा है कि आप यह मुस्लिम के लिए क्यों लाए हैं, यह विषय सभी ने उठाया है। चूंकि ट्रिपल तलाक वहीं है और कहीं नहीं है। अगर तीन तलाक किसी और जमात में होता तो हम उसके लिए भी कार्रवाई करते। यह बहुत सरल बात है, सीधी बात है। इसको लेकर इतना सिर उठाया जा रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आता है।

सर, एक बात और है, मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि यह दुनिया के 20-22 इस्लामिक मुल्कों में नियंत्रित हुआ है। यह कई जगह सिविल है, कई जगह यह क्रिमिनल है। वे सब वेल नोन हैं, मैं उनकी बहस में नहीं जाऊंगा। मैं एक बात कोट करना चाहता हूं। आमिर अली कमेंट्री ऑन मोहम्मडन लॉ, यह पहली बार वर्ष 1908 में छपी थी। आमिर अली बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे प्रिवी काउंसिल के मैम्बर थे। उस समय वे बंगाल हाई कोर्ट के जज बने। कलकत्ता हाई कोर्ट बाद में बना था। अब तक इस किताब के दर्जनों एडिशन निकल चुके हैं। मैं इसके वर्ष 2005 के एडिशन का एक पैराग्राफ तलाक-ए-बिद्दत के बारे में पढ़ना चाहता हूं। सर, मुझे पांच-छः लाइनें पढ़ने की इजाजत दीजिए।

“As a matter of fact, the capricious and irregular exercise of the power of divorce which was in the beginning left to the husbands was firmly disapproved by the Prophet. It is reported that when once news was brought to him that one of his disciples had divorced his wife pronouncing talaq thrice at the same time, the Prophet stood up in anger on his chapel and declared that the man was making a play thing of the words of God and made him take back his wife.”

मैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब का बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने तीन तलाक पर इतनी बंदिश रखी तो हिन्दुस्तान को 70 सालों से मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। इस सदन में यी तीसरी बार आया है। मुझे क्षमा करेंगे। हम सारी कम्यूनिटीज का सम्मान करते हैं। कुछ लोगों की चाहत, इस कानून की स्कूटनी का कम है और इस कानून को रोकने का अधिक है, यह समस्या है।

सर, मैं इसे थोड़ा विस्तार से बोलना चाहता हूँ। इस सदन ने बहुत कानून बनाया है। मीनाक्षी जी और पूनम महाजन जी ने उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है। हम ने वर्ष 1955 की बहस के बाद हिन्दू लॉ में बहुत बदलाव किए। इसी सदन ने उसे पास किए। हिन्दू मैरिज एक्ट है। जब बाल-विवाह शारदा एक्ट में खत्म हुआ तो कहा गया कि हम ने इसको खत्म कर दिया, लेकिन क्या हम कोई उम्र निर्धारित करेंगे तो हम ने उम्र निर्धारित की कि पति की उम्र 21 साल और पत्नी की उम्र 18 साल। यह एसेंशियल्स ऑफ हिन्दू मैरिज में रखा गया और सेक्शन 18 में प्रावधान किया कि अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो दो साल की सजा होगी। यह कानून आपकी सरकार ने वर्ष 1955 में पास किया था, इसके लिए आपको अभिनंदना। आपने इसके लिए हिम्मत दिखाई।

सर, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 आता है। मैं आदरणीय लॉकेट जी को बहुत विनम्रता से सुधार दूँ कि यह सभी पर लागू होता है।

(1730/IND/KSP)

चाहे वह हिंदू पति हो या हिंदू सास हो, चाहे वह मुस्लिम पति हो या मुस्लिम सास हो, इसमें सजा दोनों पक्षों को है। जो डॉवरी लेगा या डॉवरी देगा, उसे पांच साल की सजा है और जो डॉवरी की डिमांड करेगा, उसे दो साल की सजा है। यह कानून आपकी सरकार लाई, अच्छी बात है। फिर इंडियन पीनल कोड में 498 (ए) आया। महोदय, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ –

“Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.”

चाहे वह हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो। यह कानून वर्ष 1983 में बना। उस समय भी आपकी सरकार थी। वर्ष 1955 का एक्ट आप लाए, आपका अभिनंदना। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट आप लाए, आपका अभिनंदना धारा 498 (ए) आप लाए, आपका अभिनंदना। यदि आपका यह इतिहास था, तो वर्ष 1986 में 400 सांसदों की मैजोरिटी में शाह बानो केस में आपके कदम क्यों हिलने लगे हैं, यह बड़ा सवाल है। इनकी 400 सदस्यों की मैजोरिटी थी, हमारे उनसे विरोध हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि राजीव गांधी जी प्रोग्रेसिव थे, इतने बड़े मैनडेट से आए थे। जिस कांग्रेस की यह परम्परा रही है, उस कांग्रेस के पांच एकमात्र शाह बानो के लिए 125 रुपये की मैनटेनेंस पर क्यों हिलने लगे, यह बड़ा सवाल है। शाहबानो से शायराबानो तक यही यात्रा है। क्या यात्रा है – Triple talaq is bad.

ट्रिपल तलाक गलत है - 'लेकिन'। यह 'लेकिन' क्या है? यह सवाल 'लेकिन' का है, 'वोट' का है। कांग्रेस पार्टी ये चारों कानून लाई, मैं कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करता हूँ, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी के पांच 1986 में क्यों हिलते हैं और आज तीन तलाक पर भी कांग्रेस पार्टी के पांच क्यों हिल रहे हैं, यह हम पूछना चाहते हैं? जैसा मैंने पहले कहा था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 20 से ज्यादा इस्लामिक मुल्कों में तीन तलाक नियंत्रित हो सकता है। गौरव बाबू, मैं आपको बता दूँ कि यह बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं बेलेबल है और कहीं नॉन बेलेबल है। जार्डन, सीरिया, इजिप्ट, मलेशिया में भी नियंत्रित है। So, let us not go into that debate. सिविल के अलावा क्रिमिनल बनाया है। जहां शरिया है, वहां वे बदल सकते हैं, हम तो सैक्युलर कंट्री हैं। यही सवाल हम कर रहे हैं। ओवैसी साहब हैं या चले गए। मुझे लगता था कि ओवैसी साहब को इस्लाम की बहुत जानकारी है। अभी मैंने अमीर अली का जिक्र किया, अगर प्राफेट मुहम्मद ने ही इसे गलत पाया और एक बंदे ने किया, तो उसे कहा कि अपनी पत्नी को वापस लो। हमें लगता है कि प्राफेट साहब की बात अंतिम है। मुझे अच्छा लगता कि ओवैसी साहब जैसे लोग हिंदुस्तान में घूमते और तमाम ख्वातीनों के सामने कहते कि अगर कोई तीन तलाक देता है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ क्योंकि प्रोफेट साहब ने कहा है कि यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट की मेरे पास पूरी जजमेंट है। हमारे दोस्त राजीव ललन कहां हैं? उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट देकर कहा कि आप इंटरफेयर मत कीजिए, हम अपनी जमात को समझाएंगे, कांट्रैक्ट को ठीक करेंगे और शादी के वक्त हर पति अपनी पत्नी से कहेगा कि I will not give you triple *talaq*. क्या उन्होंने कुछ किया?

(1735/PC/SRG)

उन लोगों ने कुछ किया? पूरे हिन्दुस्तान में उनके लोगों ने और उनके समर्थकों ने तीन तलाक के खिलाफ मीटिंग ज़रूर कराई। इसीलिए, कहता हूँ जनाब ओवैसी साहब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे, मैं यह भी कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) अब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कारण यह कानून लाया गया। सर, आप मेरा पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि हमने क्या कहा। दो माननीय न्यायमूर्ति श्री नारिमन और श्री ललित ने कहा - "It is unconstitutional, arbitrary and void." इससे बात खत्म हो गई? माननीय जज, कुरियन साहब ने कहा - "If it is a sin in Quran, how it can be legal in law?" बाकी लोगों ने कहा कि हम इसे मानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को एक कानून लाना चाहिए। यह बात मैंने सच्चाई से रखी है।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ। इस संसद को कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। यह संसद खुद अपने आप में सक्षम है, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम कानून क्यों लेकर आए? वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई थी, सायरा बानो तीन तलाक के खिलाफ वर्ष 2013 में न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गई थीं, माफ करेंगे आपकी तरफ से कोई जवाब फाइल नहीं हुआ था, उस समय आपकी सरकार थी। मेरे पास यह फाइल आई कि क्या करना है? हम अपने प्रधान मंत्री जी के पास गए और उनसे इस विषय के बारे में पूछा। उन्होंने कहा जाओ, न्यायालय में तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े हो जाओ, मोदी जी की

सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। ... (व्यवधान) इसके बाद हमने एफिडेवेट फाइल किया, बहस भी हुई।

सर, हमें एक बात बताई जाए, निर्णय हो गया, जजमेंट आ गया और जैसा कि मैंने कहा कि वर्ष 2017 से 574 केसेज़ हुए हैं और जजमेंट के बाद दिनांक 24 जुलाई, 2019 तक 345 केसेज़ हुए हैं। जब हम ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके बाद भी 101 केसेज़ हुए हैं। यूपी में 74 केसेज़ हुए हैं। आज यह बताना ज़रूरी है, मैंने इन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानने की कोशिश की। क्या होता था? डाउरी लाओ नहीं तो तलाक, तलाक, तलाक, सुबह लेट से उठी तो रोटी नहीं सिकी हुई थी। सर, यह मेरे लिए भी अनुभव था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने मुझे आईटी विभाग भी दिया है। एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आईं वह मुस्लिम जमात की थीं। उसने मुझे बहुत भावुक किया, उसने कहा कि उसने तीन बच्चियों का जन्म दिया, उसके पति ने दुबई से उसे तलाक, तलाक, तलाक कह दिया। आप मुझे यह बताइए कि हम यह कहें कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मढ़कर टांग लो, क्योंकि पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस कहती थी कि हमारे पास पावर ही कहां है। एफआईआर करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए, कानून में पावर ज़रूरी है। क्या इन तमाम ख्वातीनों को हम सड़क पर छोड़ दें? मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं नरेन्द्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूँ, राजीव गांधी सरकार का नहीं। ... (व्यवधान)

अगर सन 1986 में यह काम हो गया होता तो शायद यह काम हमारे लिए नहीं छोड़ा गया होता। ... (व्यवधान) अधीर बाबू, मैंने तो बड़ी विनम्रता से आपकी सरकार का अभिनंदन किया है, आप मेरी बात शांति से सुनिए। ... (व्यवधान) आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) इसको क्रिमिनल क्यों बनाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सब पर सोच है। आप देखिए हम लोग कितने फेयर हैं कि जिस समय हम लोगों के पास यह बात लाई गई कि कृपया कर के इसको स्पेसिफाई कीजिए कि क्या कोई पड़ोसी एफआईआर कर सकता है, कोई दुश्मन आघात कर सकता है? इस पर हम लोगों ने कहा, नहीं, एफआईआर भुक्तभोगी महिला करेगी या उसके मैरिज या ब्लड के रिश्तेदार करेंगे।

इस पर उन्होंने कहा कि समझौते की गुहार होनी चाहिए? हमने कहा बिलकुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, हम क्यों किसी की शादी को तोड़ेंगे। We have also put a condition for that. आप यह बताइए कि इसको पीनल क्यों कर दिया, बार-बार कई लोगों ने यह सवाल किया।

(1740/SPS/KKD)

जब हिन्दुओं के खिलाफ मैरिज में कानून पर पीनल लॉ हुआ, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हिन्दू मैरिज एक्ट के सैक्शन 5 में इस बात का प्रावधान है कि अगर एक पत्नी के रहते हुए आपने दूसरी शादी की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी, वह है सैक्शन 494 आई.पी.सी., उसमें सजा 7 साल है। एडल्टरी 498 है, मैं 494 की बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने डाउरी प्रोविजन की बात की। अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात की गई। डोमेस्टिक वायलेंस का ईको सिस्टम पूरा अलग है। उसमें यह है कि यदि आपके खिलाफ वायलेंस होता है, आप मैरिज से हों या आप साथ रहते हों तो प्रोटेक्शन आफिसर आएगा और वह मजिस्ट्रेट के यहां कम्प्लेंट करेगा, उसके बाद आपको एक साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। यदि उसका उल्लंघन होता है तो उनके

खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उनको एक साल की सजा हो सकती है, जो कि नॉन बेलेबल है। यह कोई तीन तलाक को हैण्डल नहीं करता है, इस बात को समझा जाए। इसीलिए हिन्दुओं के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 है। मैं एक बात सदन में बड़ी विनम्रता से साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि हमने न तलाक-ए-हसन को क्रिमिनल किया है, न तलाक-ए-अहसन को क्राइम बनाया है, हमने सिर्फ तलाक-ए-बिद्वत को कहा है कि यह क्राइम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है और उसके पहले प्रॉफिट साहब, बड़े अदब से कहेंगे कि उन्होंने भी कहा कि यह गलत है। इसलिए यह बनाया गया है। आज जो लोग जमात की बात करते हैं, आज जो लोग सियासत की बात करते हैं, आज जो हुकूम की बात करते हैं, आज मैं उनसे इस सदन में सवाल पूछूंगा कि ख्वातीनों के लिए उन्होंने क्या किया है? मैं आज सदन में कहना चाहता हूँ और बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सी ख्वातीने आई थीं। उन्होंने कहा कि हम आपको इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि इस कानून के बाद हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है। उन्होंने यह बहुत पीड़ा से कहा था। इसलिए हमने बार-बार कहा है कि यह सवाल न धर्म का है, न पूजा का है, न इबादत का है, न प्रार्थना का है, न वोट का है, बल्कि यह नारी की गरिमा, नारी के न्याय और नारी के सम्मान का है। बार-बार कहा गया कि आप हमारे फेथ में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या महिलाओं के साथ नाइंसाफी करना फेथ कहलाता है? कौन सा धर्म कहता है कि अपने धर्म की बेटियों और महिलाओं के साथ नाइंसाफी करो? No religion permits that.

सर, मुझसे बार-बार सवाल किया गया कि बाकी रिलीजन में क्या प्रावधान है, आप जरा बताएंगे? सर, चाहे वह पारसी कानून हो, चाहे वह बाकी के कानून हों, उनमें प्रावधान हैं।

Indian Christian Marriage Act, 1872, Section 66 says:

“False oath, declaration, notice or certificate for procuring marriage...shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and, at the discretion of the Court, with fine.”

Similarly, in the Parsi Marriage Divorce Act, 1936, there is Section 5, which deals with ‘Punishment for bigamy’. अगर इसमें कोई दूसरी शादी करता है तो सैक्शन 494 और 495 आई.पी.सी. लागू है। पारसियों के मामले में कानून है। ... (व्यवधान) सर, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में प्रावधान दिया गया है। मैं एक बात बार-बार कह रहा हूँ कि if someone goes and takes a divorce in the court, there is no need for any penal provision. He is following a legal course. मुस्लिम को भी प्रोविजन है। तलाक-ए-अहसान है, तलाक-ए-हसन है, बाकी भी हैं, अगर कोई उसको फॉलो करेगा, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने कहा कि जो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा, उसको क्रिमिनल सजा होगी। प्रोसीजर फॉलो करके तलाक-ए-बिद्वत को हर कोर्ट ने गलत कहा और पैगम्बर साहब ने गलत कहा, फिर भी आप कहेंगे कि हम करेंगे

और आप किए जा रहे हैं। एक-एक हफ्ते पहले से किए जा रहे हैं। यह मुल्क है, मुल्क को इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

सर, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, जो मैं थोड़े बड़े सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक-आध सदस्य ने इस मुल्क की परम्परा की बात कही है और कहा गया है कि टारगेट किया जा रहा है। मैं आज एक बात बड़ी विनम्रता से बोलूंगा कि हमें अकलियती जमात का वोट कब मिलता है, लेकिन हम जब भी जीतते हैं तो सबका साथ, सबके विश्वास के साथ ईमानदारी से काम करते हैं।

(1745/MM/RP)

सर, मैं इस सदन में दो उदाहरण देना चाहता हूँ और पहली बार दे रहा हूँ। एक है, करीमुलहक जो जलपाईगुड़ी के हैं और टी-गार्डन के वर्कर हैं। वह पहाड़ों में रहते हैं और मजदूर हैं। उनकी मां गुजर गयी क्योंकि एम्बुलेंस पहाड़ों में नहीं पहुंच सकी। उसने कमिटमेंट किया कि मैं बीमार लोगों को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने लगभग दो हजार लोगों की जान बचाई है। एक दिन वह अपने बागान में काम कर रहे थे, पीएमओ से फोन जाता है कि आप करीमुलहक हैं, आप ऐसे-ऐसे काम करते हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय से करीमुलहक को फोन जाए, जो चाय बागान में काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। उनसे कहा गया कि प्रधान मंत्री जी आपसे बात करेंगे। मोदी जी ने कहा, करीमुलहक जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप दिल्ली आइए, हम आपको पद्मश्री देने जा रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हमने यह जानने की सोची कि उसका ईमान क्या है? वह अच्छा काम कर रहा है। ... (व्यवधान) टारगेट की बात की गयी, इसलिए अब आप सुनिए।

सर, वर्ष 2015 में वर्ष 1965 की वॉर के पचास साल पूरे हुए थे। प्रधान मंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों से कहा कि आप लोगों को इंडिया गेट पर लगी एगज़िबिशन को देखना चाहिए। जिस दिन हम गए थे, उस दिन हमें अब्दुल हमीद की कहानी को जानने की इच्छा हुई कि वह लड़ाई कैसे लड़ी गयी थी। जिस जीप पर चढ़कर कंधे पर रखकर छः-छः मिसाइलों से पाकिस्तानी टैंकों को मारा था, वह जीप भी वहां थी। उसका ड्राइवर भी मुस्लिम था, जो अब लगभग 75 साल का हो गया था। उसने हम लोगों को पुरानी कहानी बतायी। उनकी हिम्मत देखकर पाकिस्तान के लोगों को लगा कि इसको कैसे खत्म किया जाए और एक गोला जीप के जिस तरफ अब्दुल हमीद खड़े थे, उस तरफ दागा और वे शहीद हो गए। उनको परमवीर चक्र मिला था। हमने उस जीप को भी देखा था। सर, उस दर्शन के बाद हम लोग बहुत भावुक हुए। हम लोगों को बताया गया कि अब्दुल हमीद जी की पत्नी मौजूद हैं। हम सभी लोग उनके पास गए और उनके पैर छुए। उस समय हम लोग एक देशभक्त के पैर छू रहे थे, हम किसी मुस्लिम का पैर नहीं छू रहे थे। यह हमारी सोच है और यही हमारी सोच रहेगी। यह सोच सियासी नफा-नुकसान और वोट की उठा-पटक से नहीं बदलेगी, यह हम कहना चाहते हैं।

सर, यह कहा जा रहा है कि क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। वह मैनेटेनन्स कैसे दे पाएगा? इस सवाल पर मैं क्या कह सकता हूँ? ... (व्यवधान) आप सब यह कह रहे हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज़ क्यों बनाया है, यह सिविल ऑफेंस है। ... (व्यवधान) मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। यह भी कहा गया कि अगर आप इसे पीनल करोगे तो कैसे वह मैनेटेनन्स दे पाएगा, क्योंकि वह तो

जेल में होगा। यह बताइए कि इंडियन पीनल कोड हिन्दुओं पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। कुछ मुस्लिम लोग भी क्राइम करते हैं और जेल जाते हैं तो उस समय यह सवाल नहीं उठता है। जब मुस्लिम पति डाउरी में जेल जाता है तो उस समय सवाल नहीं उठता है कि अपनी पत्नी की चिंता कैसे करेगा? तलाक के बाद तो वे देते ही नहीं हैं। यह बताइए कि तीन तलाक का जब विषय आ रहा है तब यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने क्यों यह पूरा आर्किटेक्चर बनाया है? अगर पूरी चर्चा में कोई सार्थक सुझाव आता तो हम उसे स्वीकारते, सिर्फ एक आया, इसको डिक्रिमनलाइज कर दो, आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। मतलब पत्नी बनकर रहे, थाने नहीं जाएगी। अगर थाने में जाएगी तो उसको थाने में ही बेल मिल जाएगी। पति कहेगा कि जाओ, जो करना है करो। यह सवाल है। The penal law is also a deterrent. ऐसे लोगों को रोकने के लिए कई बार कानून में डेटरेंस जरूरी होता है। यह बहुत बढ़िया कहा गया कि जब हिन्दू समाज में डेटरेंस लाया गया तो उसका असर दिखाई पड़ रहा है। चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे वह शारदा एक्ट हो, चाहे शादी की उम्र की बात हो या फिर बाइगैमी की बात हो या पहले पत्नी के रहते, दूसरी पत्नी की बात हो, यह सब बंद हुआ है।

सर, स्टैक होल्डर की बात बार-बार की गयी। स्टैक होल्डर में कौन आता है? क्या इस मुल्क की ख्वातीनें स्टैक होल्डर्स हैं या नहीं? क्या मुसलमान समाज की बेटियां स्टैक होल्डर्स हैं या नहीं? Therefore, I would like to raise the question before this hon. House that whenever you talk of stakeholders' consultation, for us, the one and only relevant stakeholders are the women who are victim of triple talaq and not the All-Indian Muslim Personal Law Board.

(1750/RCP/SJN)

We are hearing their voices. We are addressing their concerns and we are giving respect to their voices. यह हमने बार-बार कहा है। महोदय, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार भी मुस्लिम समाज के लीडरान ने तीन तलाक के खिलाफ कोई नेशनल कैम्पेन किया होता, ईमानदारी से कुछ किया होता, तो मैं उन्हें खुद बुलाता और उनसे बात करता। लेकिन मेरे पास भी पैरवी आई है, जैसे आपके पास आई थी कि रवि जी आपसे एक ही गुजारिश है कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दीजिए। मैंने यही कहा कि क्या इस मुल्क की ख्वातीनों के बारे में कुछ नहीं कहना है?

महोदय, अब बार-बार डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। There is no discrimination; I have already explained that. अब बार-बार कहा गया है कि अबेन्डेनमेंट, अरे भाई अगर हिन्दुओं की संख्या अधिक है, तो हिन्दुओं की ही संख्या अधिक होगी। यह कौन-सा बड़ा विषय है। इस देश में हिन्दु मुस्लिम से बहुत ज्यादा हैं। हम किसी की भी पत्नी के अबेन्डेनमेंट को उचित नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के कानून में, हिन्दू मैरिज एक्ट में, आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, बाकी में इस बात का पूरा प्रावधान है। 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो ऐसी अबेन्डेन पत्नियां हैं, उनकी चिंता करें और इसके अंतर्गत कार्रवाई भी होती है। अब किसी ने कहा है कि कई झूठे केस

होते हैं, वे नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, यह सवाल माननीय गृह मंत्री जी ने कल उठाया था। अगर किसी मामले का दुरुपयोग होता है, तो क्या उस कानून को खत्म कर दिया जाए? क्या इस मुल्क में 302 का दुरुपयोग नहीं होता है? कई बार लोग फॉल्स फंसते हैं और कोर्ट से छूटते हैं। 420 में होता है कि नहीं होता है, लोग कोर्ट से छूटते हैं। अगर किसी प्रावधान का दुरुपयोग हुआ है, तो वह प्रावधान गलत है, यह पूरी सोच अपने आपमें निरर्थक है, क्योंकि वह सेफ गार्ड है, वह डिटेरेंट है, समाज को ठीक करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए।

महोदय, यह बात हुई कि मॉब लिंगिंग का कानून लाइए। अच्छा लगता है, आप जितने उत्साह से मॉब लिंगिंग की बात कर रहे थे, अब आप उसी उत्साह से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लेकिन जब कानून के कई समझदार लोग बोलते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मर्डर के लिए सेक्शन 302 पीनल कोड है कि नहीं, 120बी कांसिपिरेसी के लिए, 149 है कि नहीं और आज मॉब लिंगिंग में ऐसे लोगों को कोर्ट सजा दे रही है कि नहीं दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वह एक अलग से विचार करने का विषय है, लेकिन अगर मॉब लिंगिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो कार्रवाई भी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पढ़ने के लिए कोई शेरो-शायरी नहीं है। लेकिन आज मैं बड़ी शांति से सुन रहा था कि मुझे कोई रोशनी दिखाई पड़ जाती, तो मैं उस रोशनी को तुरंत समझने की कोशिश करता। इसलिए बार-बार स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, एक वक्त होता है, जब किसी के दर्द की आवाज को सुनना चाहिए। आज इस मुल्क की ख्वातीनें, हमारे मुस्लिम समाज की बेटियां-बहनें इस सदन से बहुत आस लगाए हुए हैं। मैं आज फिर कहूंगा कि इसे सियासी चश्मे से न देखा जाए, यह सवाल है इंसानियत का, इंसानियत का, मानवता का, उसको देखकर पूरा सदन इस बिल को पारित करे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : माननीय कानून मंत्री जी,...(व्यवधान) कोई हमदर्द न था, तो कोई दर्द भी न था, अभी कोई हमदर्द मिल गया, तो हमारा दर्द भी बढ़ गया। इसलिए, आप हमदर्दी की बात मत किया कीजिए। कानून मंत्री जी, अच्छा लगता है कि आप इस बिल को यहां पारित करवाने के लिए पैगंबर जी का हवाला लेने लगे हैं। हम लोग इस सदन में या बाहर भी कहते हैं कि राम भी वही है, जो पैगंबर है। राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है। अगर यह आप सब समझ जाएंगे, तो हिन्दुस्तान में कोई और बिल पारित करने की जरूरत नहीं होगी...(व्यवधान) बात यह है कि...(व्यवधान) आपने कहा है कि तलाक-ए-बिद्दत एक...(व्यवधान) मैं क्लेरिफिकेशन ही मांग रहा हूँ...(व्यवधान)

(1755/KN/SMN)

सर, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-बिद्दत हसबेंड देते हैं और खुला वाइफ देती है तथा मुबारक म्युचुअली होते हैं। मुसलमान कम्युनिटी में ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह शरीयत, 1937 को ऑब्सोलेट समझ कर तलाक-ए-बिद्दत पर अपनी राय जताई। आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप अलग से अपनी तरह क्यों इसको इंटरप्रेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह नहीं कहा कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसको सजा दिलाने का इंतजाम करें। यह आपको नहीं कहा, क्योंकि हिन्दुस्तान में जो एग्जिस्टिंग कानून हैं, वे काफी हैं। अगर कोई गलती करे, अगर कोई किसी को डिवोर्स दे, उसको सजा देने के लिए हिन्दुस्तान में जो कानूनी व्यवस्था है, वह काफी है। आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारा विरोध इसी छोटे मुद्दे पर है। देखिये, हमने विरोध करते-करते आपको भी थोड़ा समझदार बना दिया। हमने पहले विरोध किया, हमने आपको अच्छी-अच्छी सलाह दी, आपने तीन अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। लेकिन उसमें भी आप घुमा-फिरा कर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर बिना दबाव डालकर कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं क्रिमिनलाइजेशन का विरोध करता हूँ। अभी भी विरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुदीप बन्दोपाध्याय। माननीय सदस्य, कोई क्लेरिफिकेशन करनी है, कोई स्पष्टीकरण हो तो पूछिए। डिबेट शुरू नहीं करें। आपका कोई स्पष्टीकरण हो तो पूछिए, नहीं तो डिबेट शुरू नहीं करें।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Ravi Shankar Ji, I categorically say that when the Supreme Court gave its judgement that divorce, by pronouncing talaq three times, is null and void, we took it for granted that this issue would not be reflected upon any further. We told it but you did not appreciate this stand. It was all out in support of your Bill. We, in principle, extended support by saying that we will follow the Supreme Court judgement. But punishment of three years imprisonment, which we oppose very categorically, is excessive, arbitrary and irrational. This was our statement.

Nothing was mentioned in it particularly about this issue and it has not been responded at all and as a mark of protest, we walk out from this.

1758 hours

(At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो पूछ लें।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय मंत्री जी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए ऐफिडेविट का हवाला दिया है। मैं सुबह से सारी बहस सुन रहा था और ओवैसी जी ने भी जिक्र किया था कि यह जो ट्रिपल तलाक है, वह सिविल ब्रीच ऑफ कान्ट्रेक्ट है, क्रिमिनल नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में ऐफिडेविट दिया है, मैं क्लेरिफिकेशन जानना चाहता हूँ कि उन्होंने पाँच शब्द उस ऐफिडेविट में यूज किए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जो है- हराम है, गुनाह है, अन्यायपूर्ण है, जालीनामा है और क्रूरता है। ये जो शब्द यूज किए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड खुद मानता है कि यह ऑफेंस है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर ऐफिडेविट में ये शब्द यूज किए हैं तो क्यों नहीं इस बिल में यह एक्सप्लेनेशन या क्लेरिफिकेशन जोड़ दी जाए कि खुद मुस्लिम बोर्ड मानता है कि यह ऑफेंस है, इसलिए इसकी सजा दी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुभव मोहंती।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय मंत्री जी ने अपना बहुत अच्छा जवाब रखा। I really appreciate it. मेरा एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, जो मैंने अपनी स्पीच में भी रखा था। वह यह है कि please make me understand, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद this Triple Talaq is void तो उसके बाद when he is imprisoned, will he pay maintenance to his legally wedded wife or legally divorced wife? यह बता दीजिए, मतलब जब ट्रिपल तलाक वॉइड है तो उसको कैसे हम समझेंगे?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगणों, छः बज गए हैं। सभा की सहमति हो तो इस विधेयक की समाप्ति और जब तक शून्य काल चले, तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

(1800/MMN/CS)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I want to ask two questions to the Minister.

माननीय अध्यक्ष : केवल क्लेरिफिकेशन पूछिएगा।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): The first question is, what is the crime here? I think we all agree that the crime here is the desertion of a wife without taking responsibility. But why then criminalise only one community's way of achieving this desertion? Why is a law criminalising and punishing desertion only by Muslim husbands when other husbands can also desert their wives with impunity? We have to find out how we address this particular act.

My second question to the Minister is this. The Minister in his reply today mentioned three laws, Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act and so on, brought by the Congress Party. But those Acts were not illegal till we passed the law. This is already illegal, thanks to the Supreme Court. The Supreme Court has declared it as illegal and void. So, why was this law necessary? ...(*Interruptions*) Let me just explain. He said that it was necessary for the police. But when the Supreme Court said that section 377 was void, they never brought a law to say that the police need a law in order not to prosecute homosexuals and gays. What is the logic of doing that here?

माननीय अध्यक्ष : ओवैसी जी, केवल क्लेरिफिकेशन पूछिएगा।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मेरा क्लेरिफिकेशन यही है कि 377 होमोसेक्सवैलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया, अडल्टरी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आप यह जो कानून बनाने जा रहे हैं, आपके पास तादाद भी है, मैं मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, 498(A) आईपीसी, 125 सीआरपीसी, 86 कैट, ये तमाम बेकार हैं और इसलिए आप कानून बना रहे हैं...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मेरा एक अहम सवाल है। मैं दूसरा क्लेरिफिकेशन जानना चाह रहा हूँ। बेल के वक्त टेरेरिज्म और मर्डर में आप एक्यूज को नहीं पूछते हैं...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप यह बात अपने वक्तव्य में बोल चुके हैं। इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। आपने सदन में चर्चा के समय अपने भाषण में यह बात बोल दी है। मैं चर्चा का एक-एक शब्द सुनता हूँ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): महोदय, ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है, वह उमेदिया शासन से शुरू हुई और उमेदिया शासन के अंदर जो उस समय का कानून था, उसके अंदर 40 कोड़ों की सजा का प्रावधान था। यानी ये भी मानते हैं कि यह सजा लायक गुनाह है, तो आप उसको गुनाह की सजा दे सकते हैं। सजा बदल सकते हैं, नहीं तो 40 कोड़े मारने पड़ेंगे... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप सिर्फ इन्हीं बातों का जवाब देना।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं जिन बातों का उत्तर दे चुका हूँ, जो प्रश्न दोहराये गए हैं, मैं उनका जवाब नहीं दूँगा। माननीय शशि थरूर ने कहा कि हम डाउरी एक्ट लाए, तो बाद में उसे इल्लीगल कहा। आप भी सुप्रीम कोर्ट की तरह कहते कि डाउरी इल्लीगल है, आपने उसमें पैनल क्लॉज क्यों लगाया, क्योंकि डाउरी माँगने वाले को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आपने ऐसा किया। आपने वही किया, जो आपके प्रोटेक्शन ऑफ वुमेंस फॉर डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट में है। इसीलिए यह तीन तलाक ऑलरेडी गलत साबित हो गया, इल्लीगल हो गया, तो जो वह करता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। यह डेटरेंस है, जो हमने करने की कोशिश की है। यह बहुत साफ-साफ है।

As far as your question is concerned, the reply is very simple because triple talaq is illegal *per se*. Therefore, the relationship between the husband and wife subsists. Therefore, she is entitled to subsistence allowance and not maintenance allowance. The words we have used are, 'subsistence allowance'. Since talaq-e-biddat, triple talaq, does not end the marriage in terms of both the Supreme Court's judgement and our law, the marriage subsists and when the marriage subsists, he has to pay subsistence allowance.

Coming to the questions of Shri Asaduddin Owaisi, मैं एक बात कहूँगा कि क्यों हमने कहा है कि पत्नी को सुनने के बाद बेल सुनाई जानी चाहिए। इसका एक कारण है, इसमें कई बार समझौते की गुंजाइश होगी, क्योंकि यह पत्नी और पति की तकरार है।

(1805/RV/VR)

सर, मैं सीधा कहूँगा कि बेल आएगा तो बेल के लिए या तो उनके पति रहेंगे या वकील साहब रहेंगे। उनसे पूछेगा कि क्या तुमने तीन तलाक दिया है? अगर नहीं दिया है तो पत्नी को इज्जत से ले जाओ और यह सुनने के बाद उसे रिकॉर्ड कर देगा। बात खत्म। अगर तुमने दिया है तो जेल जाओ। यह तो बहुत सीधा हमने किया है। इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। उसको कानूनी जामे में घुमा-घुमाकर करते जाएं तो मोदी जी की सरकार घुमा-घुमा कर नहीं चलती है, सीधे चलती है। I think I have explained all the points.

1806 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker, Sir. The learned hon. Minister has replied to almost all the queries, which have been raised in the House except the ones of the Mover of the Resolution, that is, myself, who has raised very serious issues.

Regarding the promulgation of Ordinance, the hon. Minister was very silent. Three Ordinances were promulgated consecutively from September 2018 to the last February.

Coming to the last portion of the hon. Minister's reply to the discussion, on the Ordinance as well as on the Bill, that is, as regards mob lynching, the hon. Minister has very specifically stated that, to an extent, it is justifiable also. For the sake of argument, I do appreciate the argument advanced by the hon. Minister that though there is mob lynching which is affecting the minorities and *Dalit* people in the country, there are ample provisions in the Indian Penal Code under Section 120, which is about Criminal Conspiracy, to address that issue. So, there are many provisions so as to address that issue. I fully appreciate it.

Our argument, which we have advanced is, when the hon. Supreme Court has declared it as null and void and it is void *ab initio*, it has become an illegal act and the marriage still subsists. Marital relations between husband and wife still subsists. But the Government wants to separate them. How could it be possible? The Government wants to send the husband to jail. The Supreme Court says that husband and wife relationship will still subsist though the husband has pronounced talaq, talaq, talaq. It will not stand in law. So, the husband is husband and the wife is wife. The marriage still subsists.

No doubt, the hon. Minister has given a very wonderful reply to the pertinent question raised by the hon. Members. I do appreciate it. But, at the same time, when the hon. Minister says that there are ample provisions so as to compare and address the mob lynching, in this case also, Section 498A is there. As far as desertion and bigamy is concerned, it is a special Act, which has nothing to do here. So, here he has diverted. Mr. Shashi Tharoor has rightly stated that since this has already been declared by the Supreme Court as null and void, there is no significance in having the law.

Sir, I will conclude after raising my final point just for academic exercise. My point is, even if any desertion or if anything happens as far as the aggrieved wife is concerned, she is having other course of remedies so as to redress her grievances. In such a situation, let us allow the husband and wife to live together to have a better life. This is one point that I wanted to raise.

Then, the constitutional morality, which a very learned hon. lady Member from the other side has talked about, is a very good point. I think, if the Government agrees, let us have a discussion on the judgements on constitutional morality. The Attorney General, Shri K.K. Venugopal, after the Sabarimala Verdict, has made a very pertinent point. He said, if the Supreme Court or the judiciary is giving verdicts on the basis of constitutional morality, then the apprehension made by the former Prime Minister, Pt. Jawaharlal Nehru will become a reality. What was the apprehension made by Pt. Jawaharlal Nehru? The apprehension was that the judiciary will become the Third Chamber of the Legislature. Here, in this case, a minority judgement has been taken into consideration so as to make a legislation that will never hold good.

With these words, I respond. Thank you very much, Sir.

(ends)

1809 hours

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(1810/MY/SAN)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे 23 अक्टूबर, 2019 तक परिचालित किया जाए।”

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं डिजीजन चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

1811 बजे

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष (लॉबीज) खाली कर दिए जाएं –

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

(1815/RBN/CP)

ANNOUNCEMENT RE: DIVISION

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips. ...(*Interruptions*) ... (*Not recorded*)

I repeat, hon. Members, Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips. Members will be supplied at their seats with 'Ayes' and 'Noes' printed slips for recording their votes. 'Ayes' slips are printed on one side in green, both in English and Hindi and 'Noes' in red on its reverse. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, Identity Card numbers, constituencies and State/Union Territory and date at the place specified on the slip. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention' (Yellow colour) slip. Immediately after recording their vote, each Member should pass on the slip to the Division Officer who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Officers. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुनः रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

1819 hours

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

1824 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

(1830/MK/SPR)

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 303

नहीं: 82

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move :

Page 2, line 3, --

for "resides"

substitute "upon whom the *talaq* is pronounced resides or her place of marriage or the place where she last resided with her husband". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move :

Page 2, for lines 4 to 6, --

substitute "(c) "desertion" includes any act or expression done by a husband towards his wife that is likely to result in the repudiation of conjugal obligations, including the right to live in a matrimonial home.' (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):): Sir, I beg to move :

Page 2, for lines 1 to 3, --

substitute `(b) "Magistrate" means a Judicial Officer in charge of the Family Court of the area where the married Muslim woman upon whom *talaq* is pronounced resides or her place of marriage or the place where she last resided together with her husband; and'. (16)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1835/YSH/UB)

खण्ड 3

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I beg to move:

Page 2, for lines 9 to 11,--

substitute “3. Any act of desertion or attempt at desertion shall be considered “domestic violence” within the meaning and purpose of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.”.

43 of

(12) 2005

Sir, I want Division.

माननीय अध्यक्ष : इस डिविजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है, इसलिए जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –

वे 82/302 हैं।

माननीय अध्यक्ष : जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –

वे 302/82 हैं।

मेरे विचार में विरोध में ज्यादा संख्या है। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1840/RPS/KMR)

खण्ड 4

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, lines 13 and 14, --

for "imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine"

substitute "fine which may extend to ten thousand rupees". (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I beg to move:

Page 2, *for* lines 12 to 14,--

substitute "4. Any person found to have committed desertion, as defined under this law, shall be deemed to be a "respondent" within the meaning of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.". (13)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट ए.एम. आरिफ, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): I beg to move:

Page 2, *for* lines 12 to 14,--

substitute '4. The quantum of punishment or fine, if any, against the Muslim husband who pronounces *talaq* referred to in section 3 upon his wife shall be decided by the Magistrate as per existing laws.". (17)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री अब्दुल खालेक – उपस्थित नहीं।

श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी ।

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): I beg to move:

Page 2, for lines 13 and 14,--

substitute "shall be liable to fine". (18)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

...(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : सर, इस पर मत विभाजन कराया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुनः रखता हूँ:

प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने। ”

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 303/78 हैं।

जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 78/303 हैं।

मेरे विचार में पक्ष में ज्यादा संख्या है। निर्णय 'हाँ' वालों के पक्ष में हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1845/RAJ/SNT)

खंड 5

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I beg to move:

Page 2, for lines 17 to 20,--

substitute "5. Notwithstanding the generality of any existing laws, any wife who has been a victim of desertion, shall have the right to seek compensation or subsistence allowance or any other remedy as provided in the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 or the Code of Criminal Procedure, 1973.". (14)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

1846 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri N. K. Premachandran, Shri T. R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

खंड 6

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, please allow me division. You are ignoring me. I beg to move:

Page 2, for lines 22 to 24,--

substitute “married woman shall be entitled to custody of her minor children in the event of desertion, in such manner as may be determined by the Magistrate”. (15)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, डिविजना।

माननीय अध्यक्ष : मत विभाजना।

मैं इसे पुनः रखता हूँ:

प्रश्न यह है :

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

अब जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 303/8 हैं।

अब, जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं –
वे 8/303 हैं। मेरे विचार में पक्ष में ज्यादा संख्या है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खोल दी जाएं।

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

ANNOUNCEMENT RE: SITTINGS OF THE HOUSE

1849 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, since the Government has more than 17 bills to be considered by this House, I request the House, through you, Sir, the 17th Lok Sabha's first session may be extended up to the 7th August, 2019.

माननीय अध्यक्ष : 17वीं लोक सभा का पहला सत्र 7 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया जाता है।

**(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)**